पंचम माला, खंड 64, अंक 14, सोमवार, 30 अगस्त, 1976/ 8 भाद्र, 1893 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIV, No. 14, Monday, August 30, 1976/Bhadra 8, 1898 (Saka)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. ....

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र / Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 64 में अंक 11 से 17 तक है / Vol. LXIV contains Nos. 11 to 17]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14, सोमवार, 30 अगस्त, 1976/8 भाद्र, 1898 (शक)

No. 14, Monday, August 30, 1976/Bhadra 8, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions**	1—17
तारांकित प्रश्न संख्या 622, 263 और 265 से 272	Starred Questions Nos. 262, 263 and 265 to 272	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	17—111
तारांकित प्रश्न संख्या 264 और 273 से 281	Starred Questions Nos. 264 and 273 to 281	17—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 1904 से 2063	Unstarred Questions Nos. 1904 to 2063	25—111
"करंट" साप्ताहिक में प्रकाशित एक समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege re. News Item published in "*Current*" Weekly	112
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	112—20
वित्तीय समितियां (1975-76)—एक समीक्षा	Financial Committees (1975-76)—A review	120
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
225 वां 226वां और 228वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किये गये	225th, 226th and 228th Reports presented	121
सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति—	Committee on Papers Laid on the Table—	
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Third Report—presented	121
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit—	
19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Nineteenth Report presented	121
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill	121—22

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee . . .	121—22
संविधान (43वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-third Amendment) Bill—	122—31
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	122—129
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta .	122, 129—28
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	123
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	123
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	123
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	124
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	124—25
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar .	125—26
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	126
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	126
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	126
श्री बालकृष्ण वेंकप्पा नायक	Shri B.V. Naik	127
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	129—30
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass as amended	130
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	130
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	130
संविधान पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक—	Fifth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill—	131
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	131—32, 140—42
श्री दशरथ देव	Shri Dasratha Deb	132—33
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari .	133—34
श्री कमला मिश्र 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar' .	134—35
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	135
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	135—36
श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R.S. Pandey .	136—37

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	137
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	137—38
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	138
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	138—39
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	139
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	139
श्री एम० जी० उइके	Shri M.G. Uikey	139
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	140
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	142
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	142
केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक—	Kerala Legislative Assembly (Extension of Duration) Second Amendment Bill—	143—45
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad	143
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	143—44
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	144
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	145

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 30 अगस्त, 1976/8 भाद्र, 1898 (शक)
Monday, August 30, 1976, Bhadra 8, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी भाण्डागरण निगमों का स्थापित किया जाना

*262. **श्री रानेन सेन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किसानों के लिए भण्डार जमा करने हेतु सरकारी भाण्डागारण निगम स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को निदेश दिये हैं कि इस मामले को प्राथमिकता दी जाये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन एक केन्द्रीय भाण्डागार निगम और 16 राज्य भाण्डागार निगम स्थापित किये गये हैं। ये भाण्डागार निगम उपयुक्त स्थानों पर गोदाम/भाण्डागार अधिग्रहण करते हैं और उनका निर्माण करवाते हैं और व्यक्तियों, सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों द्वारा भण्डारण के लिए लाई गई कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि औजार और अधिसूचित जिन्सों का भण्डारण करते हैं। इन भाण्डागारों का उपयोग किसानों के अलावा विभिन्न जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है।

2. अतिरिक्त भण्डारण स्थान बनाने की आवश्यकता के मौजदा संदर्भ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं।

डा० रानेन सेन : इस विवरण में बताया गया है कि एक केन्द्रीय भाण्डागार निगम तथा 16 राज्य भाण्डागार निगम स्थापित किये गये हैं। पता चला है हमारे देश में अनेक कारणों से लाखों टन खाद्यान्न प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। हमारे देश के लाखों गांवों में खाद्यान्न तथा दूसरी फसलें पैदा होती है।राज्य भाण्डागार निगमों का क्या कार्य है? वे इन सब का कैसे प्रबन्ध करते हैं? क्या किसी राज्य ने बहुत से गांवों में भाण्डागार चलाने आरम्भ कर दिये हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सर्व प्रथम यह समझना आवश्यक है कि ये तीन प्रकार के संगठन हैं : पहला, केन्द्रीय भाण्डागार निगम, दूसरा, राज्य भाण्डागार निगम; और तीसरा, सहकारी विपणन संगठन। इन्हें ग्राम्य और ताल्लुका स्तर पर भण्डारण की सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिएं।

जहां तक इनके कार्यकरण का सम्बन्ध है, केन्द्रीय भाण्डागार निगम का संचार की दृष्टि से और खाद्य एवं अन्य वस्तुओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से अखिल भारतीय महत्व के स्थानों पर भण्डारण की व्यवस्था करना सुस्पष्ट निर्धारित कार्य है। राज्य भाण्डागार निगम को जिला स्तर तथा राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर भण्डारण की व्यवस्था करनी चाहिए। सहकारी विपणन संगठनों को गांव एवं ताल्लुका स्तर भण्डारण की सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिएं। भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था का मुख्य विभाजन है।

डा० रानेन सेन : मुझे यह तो पता नही है कि क्या अन्य राज्यों के गावों में भी ऐसी ही प्रणाली है। लेकिन हमारे गांवों में 'ग्रेनगोला' प्रणाली है जहां किसान अपने अनाज का भण्डार करते है यहां गांव का फालतू अनाज का ही भण्डार रखा जाता है एक प्रस्ताव के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है और श्री अग्रवाला ने वक्तव्य दिया है कि किसानों को धानी दी जायेगी लेकिन मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में नितान्त भिन्न बात कही गई है जबकि श्री अग्रवाला द्वारा दिये गये वक्तव्य में यह बताया गया है कि किसानों या ग्रामवासियों को धानी दी जायेगी जिसमें वे अपना खाद्यान्न दालें और अन्य वस्तुएं रख सकते हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वस्तुत वक्तव्य प्रश्न ने संदर्भ में ही दिया गया है, श्री अग्रवाला या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आम सभा में दिए गए वक्तव्य के सदर्भ में नहीं। अत : मैंने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है किसानों को धानियां उपलब्ध कराना भारत सरकार की नीति है। ये धानियां नमी या सीलन रोधी होनी चाहिये। अब तो गैरसरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में इनके निर्माता हो गये हैं। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के समक्ष मामला रखा है कि किसानों को बैंक ऋण दिया जाये हम तो इस प्रयोजन के लिए नीति ही बना सकते हैं। अब इसके कार्यान्वियन का प्रश्न पैदा हुआ है मैं माननीय सदस्य की चिंता को महसूस करता हूं कि हमें इस देश के विशाल क्षेत्रों में यह कार्य करना है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : भारी फसल को दृष्टि में रखते हुए और हमारे सम्मुख विद्यमान लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए मंत्री महोदय ने अपनी व्यवस्था के बारे में ही बताया है, लेकिन यह कल्पना मात्र ही प्रतीत होती है क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि उन्हें यह कार्य करना चाहिये। मैं यह जानना चाहती हूं कि ये भाण्डागार निगम किसानों को किस रूप में भण्डारण सुविधायें प्रदान

करेंगे । क्योंकि दिये गये उत्तर का सम्बन्ध केवल खाद्यानों से ही नही है । कपास, मूंगफली आदि जैसी अन्य फसलो का क्या होगा ? भाण्डागार निगमो की व्यवस्था में छोटे किसानों और ग्रामीण जनता को ये सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कल्पना की जा रही है जिससे वे अपनी वस्तुओं का भण्डार कर सकें ? भण्डारण की सबसे बड़ी समस्या है और कभी कभी तो उन्हें अपनी फसल बहुत कम दामों पर बेचनी पड़ती है क्योंकि उनके पास भण्डारण की सुविधाएं नहीं हैं । क्या यह संकल्पना या योजना तैयार हो गई है या अभी तक यह विचाराधीन है । मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहती हूं ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खेद है, मंत्री महोदय मेरी बात नहीं समझ पाये हैं । सरकार की नीति तो बहुत स्पष्ट है हम अब किसानों को भण्डार बनाने का प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं मुद्रास्फीति को रोकने के लिये ही यह कदम जानबुझ कर उठाया जा रहा है । हम केवल सरकारी क्षेत्र के संगठनों को खरीद करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं और जो सुविधाएं भाण्डागार निगमों द्वारा दी जा रही है उनका उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ही कर रहे हैं । इन निगमों द्वार उपलब्ध की जाने वाली 81 प्रतिशत क्षमता का सरकार द्वारा प्रत्यायोजित एजेंसियां ही उपयोग कर रही हैं । अभी तो इसी पहलू पर बल दिया जा रहा है । लेकिन जब हमारा उत्पादन और बढ़ जायेगा तो हम किसान स्तर पर भी यह व्यवस्था करेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि कुल भण्डारण क्षमता कितनी है और कुल कृषि उपज कितनी है । भाण्डागार निगमों की वर्तमान क्षमता को देखते हुए कितने प्रतिशत उपज का भण्डार किया जा सकता है? दूसरे 1978 तक कुल कितने प्रतिशत उपज का भण्डार हो जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डारगार निगम तथा राज्य भाण्डागार निगमों इन, तीनो एंजेन्सियों को कुल भण्डारण क्षमता 198 लाख मीटरी टन है । यह सहकारी निकायो की क्षमता से अलावा है ।

श्री जगन्नाथ राव : पिछले वर्ष भारी फसल होने से हमारे देश में अब आधिक्य की समस्या पैदा हो गई है । उड़ीसा के कोरपूर जिले में चावल की भारी फसल हुई है और आदिवासी किसान साप्ताहिक पैंठ/बाजार में अपना धान बेचने जाते है क्योकि भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है, इसीलिये आदिवासी किसानों को अपना धान बहुत कम दामों पर बेचना पड़ता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं कि वे अपनी भण्डारण क्षमता बढ़ायें ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने इस मामले पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया है । योजना आयोग ने इस प्रयोजन के लिये, अगले दो वर्ष के लिये हमें 40 करोड़ रुपये का नियतम किया है । यह राशि इस वर्ष के लिये दी गई 20 करोड़ रूपये की राशि के आलावा है । हमें आशा है इन एजेन्सियों के पास प्रतिवर्ष दस से 15 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता हो जायेगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Two kinds of foodgrain is produced. Foodgrains like paddy will not destroy even if it is kept in storage for ten years, whereas wheat, gram, maize etc. are eaten up by rodant. I want to know from the hon. Minister whether the syloes being manufactured by the Central Government could be scientifically dendopped in such a way so that the foodgrains stored there will not be destroyed for a particular perlods ? Similarly has any directions been issued to the State Governments and Cooperative Societies regard-

ing method being adopted for storage of foodrains. It is a fact that various state have incurred losses in storage of foodgrains. The hon. Minister of Agriculture has repeatedly stated that Government would purchase foodgrains offered. But I want to inform you that only last year Government of Bihar had repressed its inability to purchase entire quantity of wheat. The hon. Minister had taken up the matter with Government of Bihar in this regard. Now the question is whether Central Government, State Governments and Cooperatives are able to store foodgrains on scientific basis.

Mr. Speaker : The hon. member want to know whether you have issued any directive to have modern scientific storage facilities.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यहां निदेश जारी करने का प्रश्न नही है । हम तो राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं । मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं । वस्तुतः गत एक दशक में इस क्षेत्र में मुख्य विकास भण्डारण सुविधाओं के बारे में ही हुआ है । हम आधुनिक भण्डारण सुविधाओं का विकास करने का प्रयास कर रहे है जिन से अनाज में धुन नही लगेगा, सील एवं नमी नही आयेगी । यद्यपि हमारी आवश्यकताओ की तुलना में हमारे पास बहुत कम स्थान है, फिर भी हमने समूचे देश भर में विशाल भण्डारण सुविधाएं बना ली हैं । इससे जो हानी हुई है वह एक प्रतिशत से भी कम है । लेकिन मैं वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नही बता सकता ।

रूई कों कमी

263. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रूई की कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) देश में कपास की वर्तमान कमी के लिए दो मुख्य उत्तरदायी बातें ये हैं :—

(i) वर्ष 1975–76 के मौसम के दौरान कपास के उत्पादन में कमी और

(ii) पिछले मौसम की तुलना में मिलों द्वारा कपास की खपत में लगभग 4 लाख गांठों की वृद्धि ।

(ख) उद्योग की मांग पूरी करने के लिए प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में सघन कपास जिला कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित करके चालू मौसम के दौरान कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । इसके साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में समेकित विश्व बैंक कपास परियोजना भी शुरू की गई है । इसके अतिरिक्त, कपास की 2 लाख गांठों को शीघ्र आयात करने का भी कार्यक्रम है ।

श्री नवल किशोर सिंह : वक्तव्य के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1975–76 में कपास उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ? क्या इसका कारण जलवायु है या उत्पादकों को अपर्याप्त समय दिया जाना अथवा नीति का अपर्याप्त कार्यान्वयन है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसके लिए कई कारण उत्तरदायी हैं । पहली बात तो यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र में भारी वर्षा के कारण वहां कपास की फसल को क्षति पहुंची । दूसरी जहां तक लम्बे रेशे वाली कपास की बात है, विपणन सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं ।एक बार तो कपास का मूल्य किसान की आशा से भी अधिक गिर गया जिससे प्रति एकड़ फसल में कमी हुई है । ऐसे ही विभिन्न कारणों से पिछले वर्ष उत्पादन में कुछ कमी हुई ।

श्री नवल किशोर सिंह : वक्तव्य के भाग (ख) के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि किन-किन देशों से कपास का आयात किया जायेगा और हम कब तक लम्बे और छोटे रेशे वाली कपास के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम सूडान और मिस्र से आयात करते हैं । पर हमारी कुल आवश्यकताओं की तुलना में आयात की मात्रा नगण्य है । उदाहरण के लिए हमारे कपड़ा उद्योग को जरूरत 75 लाख गांठों की है लेकिन हम केवल 2लाख गांठें ही आयात करते हैं । अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में उत्पादन की पूरी क्षमता है । जलवायु तथा विपणन सम्बन्धी कठिनाइयां यदि न होतीं तो हम अपनी आवश्यकताओं विशेषकर लम्बे रेशे वाली कपास की जरूरतों के लिए पर्याप्त उत्पादन कर लेते ।

श्री एस० आर० दामाणी : पांचवीं योजना में प्रतिवर्ष 80 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था लेकिन हमारा उत्पादन 72 लाख गांठो से ऊपर नहीं हो पाया । 80 लाख गांठों की आयश्यकता का अनुमान किस प्रकार लगाया गया है ? कमी के क्या कारण हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ताकि प्रति एकड़ उपज बढायी जा सके ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : पांचवीं योजना में 80 लाख गांठों का लक्ष्य रखा गया था यदि परिस्थितियां ठीक रहें तो हम इसे पूरा कर सकते हैं । जहां तक प्रति एकड़ उपज का प्रश्न है, देश के कई भागों में जहां जलवायु तथा नमी सम्बन्धी परिस्थितियां ठीक हैं, विश्व के कई अन्य देशों से अधिक उत्पादन होता है । पर जहां से श्री वसन्त साठे आये हैं, वह क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और वहां उपज कम है । सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर हमारा कपास उत्पादन विश्व के अन्य प्रदेशों की उपज की तुलना में ठीक बैठता है ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या बात ठीक है पिछले वर्ष गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भागों में भण्डारण की उचित व्यवस्था के अभाव में काफी कपास खराब हो गई ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं । महाराष्ट्र में कई जगह आग लगने के समाचार मिले थे । वहां एकाधिकारी फसल खरीद रहे थे और उत्पादन को हानि पहुंचाने के प्रयत्न हो रहे थे । भण्डारण की कमी वाली बात वहां नहीं थी ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : आयात से बचने के लिए और इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे देश में कपास का उत्पादन विश्व के कई अन्य भागों के उत्पादन के मुकाबले में ठीक है, क्या सरकार उत्पादक में सुरक्षा की भावना पैदा करेगी ? क्या सरकार लम्बे रेशे और छोटे रेशे की कपास का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी ताकि देश कपास के उत्पादन में आत्म-निभर हो सके ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं कह नहीं सकता कि सरकार क्या निर्णय लेगी लेकिन यह एक दीर्घकालिक उपाय है । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि खाद्यान्न की तरह कपास भी हमारे

लिए बहुत आवश्यक है। सरकार को कपास का मूल्य निर्धारित करना होगा ताकि उत्पादकों को उचित कीमत मिल सके। कपास निगम को भी विपणन के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

देश में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा मकानों का निर्माण

*265. **श्री एन० आर० वेकारिया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम देश के विभिन्न भागों में निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या सरकार के संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में मकानों का निर्माण करने के लिए जीवन बीमा निगम को कोई भूमि आवंटित की है; और

(ग) दिल्ली में जीवन बीमा निगम द्वारा कितने मकानों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और मकानों का निर्माण कब तक पूरा किया जाना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जीवन बीमा निगम ने देश के विभिन्न भागों में लगभग 11,100 टेनीमेन्ट बनाने के बारे में स्वयं निर्णय किया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल में ही दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय बाह्यपथ के दक्षिण में पटपड़गंज क्षेत्र में मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम को 38 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।

(ग) जीवन बीमा निगम का लगभग 5000 टेनीमेंटों के निर्माण का प्रस्ताव है और इस परियोजना का चरणवार लगभग तीन वर्षों में पूरी हो जाने की सम्भावना है।

श्री एन० आर० वेकारिया : उत्तर से स्पष्ट है कि जो 11100 मकान बनाये जाने हैं उनमें से सर्वाधिक अर्थात् 5000 मकान दिल्ली में बनाये जायेंगे। आप राज्यवार आंकड़े दीजिये। क्या सरकार उन्हें बेचेगी अथवा उन्हें अविक्रय के आधार पर दिया जायेगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : बम्बई, बंगलौर, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली में ऐसे मकान बनाने का प्रस्ताव है। हम चाहते हैं कि जीवन बीमा निगम अधिक से अधिक लाभदायक भूमिका निभाये। अगर सदस्य महोदय चाहें तो मैं उन्हें विभिन्न नगरों के भी आंकड़े दे सकता हूं। ये 'टेनीमेंट' अविक्रय के आधार पर आवंटित किये जायेंगे।

श्री एन० आर० वेकारिया : गांवों में गरीबो और बेघरवार लोगों को, जिनके लिए मकान बनाने हेतु राज्य सरकारें भूमि का आवंटन कर रही हैं, ऋण देने के लिए क्या सरकार जीवन बीमा निगम को कोई निर्देश दे रही है। क्या इस ऋण पर नाममात्र ब्याज लिया जायेगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : जीवन बीमा निगम की आवास निधि का उपयोग दो तरह से किया जाना है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अपने मकान बनाने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की है उनकी निधि ब्लाक अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को आवंटित की जाती है। आवास कार्यों के लिए आवास बोर्ड या अन्य अभिकरण को ऋण देना राज्य सरकारों का काम है। इस बारे में वे ही उचित शर्तें निर्धारित करते हैं। जीवन बीमा निगम की निधि में से शीर्षस्थ सहकारी समितियों को भी धन दिया जाता है। जीवन बीमा निगम निजी व्यक्तियो को निर्माण कार्य के लिए धन नहीं देता।

श्री वेकारिया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या सरकार निगम को गरीब बेघरबार व्यक्तियों को ऋण देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनायेगी ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने कहा है कि निगम के ऋण राज्य सरकारों या सहकारी समितियों को दिये जाते हैं। इन ऋणों का वितरण राज्य सरकारों का ही उत्तरदायित्व है।

Shri Arvind M. Patel : Sir, may I know the response to the "own your appartment" scheme introduced on 1-5-1976 in Ahmedabad by L.I.C. for their policy holders. Whether Govt. propose to introduce this Scheme in other big cities also ?

श्री एच० के० एल० भगत : अभी कुछ कहना मेरे लिए सम्भव नहीं।

Shri R.S. Pandey : It is laudable that 11,000 tenements have been constructed.But in certain areas the ratio of tenements is much less in proportion to the number of industria workers living there. May I know the reasons therefor and whether due attention will be given to other areas also ?

श्री एच० के० एल० भगत : ये 11,100 टेनामेंट थे वे हैं जिनका निगम स्वयं निर्माण करेगा। इसके अलावा निगम ने 1976–77 तक 235 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिये हैं। इनमे 1976–77 के वर्ष के लिए 17.75 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न शीर्षस्थ समितियों को भी धन दिया जाता है। मैंने यह नहीं कहा कि ये 11,100 टेनामेंट बन चुके हैं।

डा० कैलास : नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम पास किये जाने के बाद से क्या सहकारी समितियों के अन्तर्गत बनाये गये मध्यम आय वर्ग के मकानों के लिए निगम द्वारा ऋणों के लिए धन नहीं दिया गया है। सहकारी समितियां प्रतीक्षारत हैं क्योंकि ये इमारतें काफी पहले से बनी पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लिए हैं ?

डा० कैलास : जी हां, ये बम्बई के चेम्बूर क्षेत्र में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लिए हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य बम्बई में कुछ परियोजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। यदि वह और जानकारी संक्षेप में दें तो मैं इस मामले की जांच कर सकता हूं।

Shri K. M. Madhukar : This fund is given by L.I.C. May I know the amount out of it given to Bihar and West Bengal Governments and how many schemes have been formulated and whether they are being implemented properly ?

श्री एच० के० एल० भगत : वह बिहार सरकार को आवंटित राशि के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे पास सभी राज्यों के आंकड़े हैं। यदि सदस्य महोदय चाहें तो मैं उन्हें ये आंकड़े निजी रूप से दे सकता हूं। वर्ना यहां सभी राज्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति का प्रतिवेदन

*266. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : जी हां।

(ख) और (ग). सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने और रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का प्रश्न, रिपोर्ट पर विचार करने और उसकी सिफ़ारिशों पर निर्णय लेने के बाद ही उठेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री गुजराल द्वारा यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था, इसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार इसे कब तक स्वीकार करेगी ?

प्रो० नूरुल हसन : प्रतिवेदन 8 मई, 75 को प्रस्तुत किया गया था। सिफ़ारिशों के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के बाद ही मैं प्रतिवेदन सभा के समक्ष रख सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका निर्णय भी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह समिति उर्दू को उचित स्थान दिलाने के लिये सभा में काफी जोरदार बहस के बाद नियुक्त की गई थी। चाहे सरकार इस प्रतिवेदन को स्वीकार करे या नहीं करे परन्तु इसे सदस्यों को परिचालित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय लेगी या अधिक समय लेगी ?

प्रो० नूरुल हसन : इस प्रतिवेदन के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सलाह-मशविरा किया जाना है। इसके लिये कुछ समय लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। सरकार ने पहले ही कहा है कि वह उर्दू-भाषी लोगों को पूर्ण संरक्षण तथा सहायता देना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सदस्य प्रतिवेदन के बारे में जानने के काफ़ी इच्छुक हैं। आपका कहना है कि निर्णय लिये जाने के बाद आप इसे सभा पटल पर रखेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा अनुरोध है कि प्रतिवेदन सदस्यों को परिचालित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यह सुझाव है कि मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें।

प्रो० नूरुल हसन : मैं आपका ध्यान समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन देने से पूर्व 18 नवम्बर, 1974 को दिये गये अपने उत्तर की ओर दिलाता हूं जिसमें मैंने कहा था :

> "समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने और सरकार द्वारा उस पर विचार किये जाने के बाद प्रतिवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सभा पटल पर रखा जायेगा।"

अतः सरकार ने इस पर विचार किया है। इसमें कुछ मामले नाजुक हैं। अतः उन पर विचार करने का निर्णय किया गया है. . . .

अध्यक्ष महोदय : हमें अन्तिम निर्णय लिये जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गुजराल समिति ने लगभग सभी संगठनों से परामर्श किया है और क्या सरकार ने कुछ सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है परन्तु कुछ राज्य सरकारें आपत्ति उठा रही हैं। इसी कारण यह प्रकाशित नहीं की गई है और सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है ?

प्रो०नूरुल हसन : अन्तर्मन्त्रालय और अन्तर्सरकार का विचार-विमर्श नहीं बताया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं।

Shri N.K.P. Salve : I am grateful to the Minister as he has said that Government would try to protect and support Urdu language. May I know whether this resport is written in English instead of in Devnagari script. If so, Government's reaction thereto ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह गुजराल समिति का एक निर्देश-पद था ?

Policy matters cannot be raised during the Question Hour.

Shri N.K.P. Salve : Whether this report does not contain the basic fact that in order to ensure prosperity of Urdu and to make it popular it should have been written in Devnagari script ?

Mr. Speaker : It relates to terms of reference. It cannot be taken up now.

Shri S.A. Shamim : Whether the Gujral Committee has made a recommendation that in the Urdu News Bulletin broadcast from A.I.R. the words "Pradhan Mantri", "Rashtrapati" and "Up-Rashtrapati" should be used for the words "Wazir-e-Azam", "Sadre-Jamhurihat" and "Nayab-Sadre-Jamhurihat" respectively? If not, why the A.I.R. has been instructed to use the words "Pradhan Mantri" and "Rashtrapati" for the words "Wazir-e-Azam" and "Sadre-Jamhurihat" respectively in future ?

Mr. Speaker : It also cannot be taken up now as it involves details.

राज्यों में आवास बोर्ड

*267. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने और मकान बनाने हेतु मार्गदर्शन करने के लिये कितने राज्यों में आवास बोर्ड हैं।

(ख) राज्यों को इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देती है; और

(ग) देश के मुख्य नगरों में कितनी आवास बस्तियों का निर्माण किया गया ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 16 राज्य तथा 3 संघ राज्य क्षेत्र ।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय सीधे ही राज्य आवास बोर्डों को वित्तीय सहायता नहीं देता । तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने, जो इस मंत्रालय का एक उपक्रम है, विभिन्न आवास बोर्डों को 261 आवास योजनाओं के लिए लगभग 118.10 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की है ।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते । राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति विवरणों के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन 6,77,638 मकान अब तक बनाये गये हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अप्रैल, 1976 में सभा में प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन समिति के 97वें प्रतिवेदन में यह सिफ़ारिश की गई है कि यद्यपि आवास योजनायें बनाना मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है, तथापि इस मामले में पहल करना, मार्गदर्शन करना राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये आवास के मामले में एक राष्ट्रीय नीति बनाना केन्द्रीय सरकार का काम है। इस सिफ़ारिश को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार की संहिता की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य आधार पर आवास के मामले में किस प्रकार पूर्णतया निर्भर करती है ?

श्री एच० के० एल० भगत : एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मंत्रालय में एक अध्ययन दल द्वारा मामले पर विचार किया जा रहा है; परन्तु राष्ट्रीय आवास सम्बन्धी कुछ मुद्दे पहले से ही तैयार किये जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, शहरी भूमि हदबन्दी कानून में कुर्सी-क्षेत्र निर्धारित किया गया है, निर्माण की कुछ किस्मों पर हदबन्दी लगाई गई है और मकान किसी आधार पर अलाट किये जाते हैं। अतः कुछ सिद्धान्त बनाये जा चुके हैं परन्तु राष्ट्रीय आवास नीति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्राक्कलन समिति के जिस प्रतिवेदन का मैंने उल्लेख किया है उससे पता चलता है कि मंत्रालय ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न वर्ग की आय वाले लोगों, औद्योगिक और बागान कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 10 सामाजिक आवास योजनाएं लागू करने की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में और शहरी आयोजना के क्षेत्र में, न आने वाले क्षेत्रों में, आवास सुविधा प्रदान करने में, के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : ये सभी सामाजिक योजनाएं कुछ समय पहले चालू की गयी थीं और अभी चल रही हैं। जैसाकि मैंने सभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को 235 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है और मैंने 677,638 मकानों सम्बन्धी आंकड़े दिये हैं जो इन योजनाओं के लागू करने के

फ़लस्वरूप तैयार किये गये हैं। यदि सदस्य राज्यवार आंकड़े चाहते हैं, तो वे मेरे पास हैं और मैं उन्हें दे सकता हूं।

डा० हेनरी आस्टिन: मंत्री महोदय इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं कि समूचे देश में पहले से 7 लाख मकान तैयार किये जा चुके हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि यदि मंत्रालय सही तरह से दिशानिर्देश करे तो ग्रामीण क्षेत्र में बेकार श्रमिकों से लाभ उठाया जा सकता है और अधिक मकान बनाये जा सकते हैं। मैं केरल सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त की गयी भारी सफ़लता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। उन्होंने बेकार श्रमिकों विशेषकर छात्रों, ग्रामीण नवयुवकों और अन्य लोगों की सेवाओं का लाभ उठा कर एक लाख मकान बनाये हैं। जब इतने बेकार श्रमिक उपलब्ध हैं तो हम राष्ट्रीय नीति के बनाये जाने तक क्यों प्रतीक्षा करें? हम बिना समय खोये ग्रामीण श्रमिकों का लाभ उठा सकते हैं, मकान बना सकते हैं और लाखों बेघर लोगों को मकान दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय के पास बेकार श्रमिकों विशेषकर ग्रामीण श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग करके आवास निर्माण की गतिविधि बढ़ाने सम्बन्धी कोई योजना है?

श्री एच० के० एल० भगत: मैं कहना चाहता हूं कि समूचे देश में केवल 6,77,000 मकान ही नहीं बनाये गये हैं। यह एक विशेष निधि से बनाये गये हैं। इसके अलावा जीवन बीमा निगम सहकारी समितियों को धनराशि देता है और जो आंकड़े मैंने दिये हैं उससे कहीं अधिक मकान बनाये जा चुके हैं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा दिये गये इस सुझाव का संबंध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार श्रमिकों की सेवा का उपयोग मकान बनाने के लिये किया जाना चाहिए, माननीय सदस्य को मालूम है कि आवास निर्माण एक राज्य विषय है और कुछ राज्य सरकारों ने मकान बनाने के लिये ग्रामीण श्रमिकों का उपयोग किया है कुछ मामलों में उन्होंने बताया है कि जिन लोगों के लिये मकान बनाये जाने हैं वे स्वयं श्रमिकों के रूप में काम करेंगे ताकि मकान बनाने पर मजदूरी कम की जा सके और मकानों की कीमत कम की जा सके। एक अच्छा सुझाव है। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें इसका अनुसरण करेंगी।

श्री बी० वी० नायक: डा० हेनरी आस्टिन के साथ मैं भी आवास मंत्रालय को बधाई देता हूं, परन्तु इतना कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में उत्तरी कनारा के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आवास बोर्ड के 100 मकान बने, जिन पर त्रुटिपूर्ण आयोजना के कारण 20 लाख रुपया खर्च हुआ और जो खाली पड़े हैं. . . . .।

अध्यक्ष महोदय: क्या उनका निर्माण कर्नाटक में आवास बोर्ड ने किया है?

श्री बी० वी० नायक: केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न आवास बोर्डों को वित्तीय सहायता के लिए 118 करोड़ रुपया रखा है, जिससे कि यह निर्माण कार्य हुआ है। इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं. . . . .।

अध्यक्ष महोदय: यहां इस प्रश्न का औचित्य कहां है? आपको अखिल भारतीय महत्व का प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री बी० वी० नायक: क्या केन्द्र सरकार के किसी दल ने इन आवासों को उपयोग में लाये जाने का मूल्यांकन किया है?

श्री एच० के० एल० भगत : आवास बोर्डों को दो प्रकार से रुपया मिलता है। उन्हें राज्य सरकारों को दी गई निधि से रुपया मिलता है। ऐसी स्थिति में मूल्यांकन करना राज्य सरकार का काम है। यदि हिन्दुस्तान अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन यह राशि किसी विशेष योजना के लिए देता है तो वह उसका मूल्यांकन करता है।

श्री कृष्ण चन्दर हाल्दर : जैसा कि ज्ञात है प्राक्कलन समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि औद्योगिक और चाय बागान क्षेत्रों में आवास की समस्या सरकार को हल करनी चाहिए। दुर्गापुर और आसनसोल में बहुत से औद्योगिक संयंत्र और सरकारी उपक्रम हैं। कोयला, लोहा और इस्पात देश के अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कर्मचारियों को दुर्गापुर और आसनसोल 60 से 70 मील दूर से रेलगाड़ी से आना पड़ता है। सरकार दुर्गापुर और आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आवास समस्या को हल करने के लिए क्या कर रही है?

श्री एच० के० एल० भगत : औद्योगिक कर्मचारियों के आवास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और इस दिशा में उन्होंने कुछ प्रगति की है। आवास समस्या एक विशाल समस्या है और इसके लिए राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किये जाने पर विचार करना चाहिए। मात्र सरकारी संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। प्रत्येक को इसमें योगदान देना होगा।

भारत-क्यूबा सांस्कृतिक करार

*__श्री जगन्नाथ मिश्र__ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1976 में एक भारत-क्यूबा सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां।

(ख) करार में कला और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, खेलकूद; सूचना और शिक्षा के जन-साधनों तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों में सहकारिता की परिकल्पना की गई है, ताकि इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृति और कार्यकलापों की बेहतर जानकारी के लिए योगदान दिया जा सके। करार की प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

Shri Jagannath Mishra : Whether any Joint Committee has been Constituted for the implementation of this agreement. If so, the names of the members and progress made by the Committee ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : समझौते की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

Shri Jagannath Mishra : Except Cuba, the countries with which we signed cultural pact during last two years, and the countries with which we are going to have Cultural relations in future ?

Shri Arvind Netam : During 1975 with 4 Countries and during 1976 with 8 Counttics we established Cultural relations.

चीनी के कारखानों द्वारा मूल्यों का पुनरीक्षण

*269. **श्री कमला मिश्र 'मधुकर' :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के कारखाना द्वारा मूल्यों का हाल ही में फिर से संशोधन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ाये गए मूल्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एस० टी०-11297/76] ।

Shri K.M. 'Madhukar' : The sugar policy of the Government is one to please mill-owners. So far as the Consumers and farmers are concerned, the policy of the Government is not harmful. In the statement it has been said that due to the recommendation of the Burea of Indusrial Costs and Prices the ex-factory price has been increadsed. The arrangements made for providing sugar on fare price after this increase ?

Shri Shah Nawaz Khan : The price of levy sugar will remain Rs. 2·15 per kg. as usual. It will not increase.

Shri K.M. Madhukar : Because the machinery of all the sugar mills of Uttar Pradesh and Bihar have become obsolete the production cost has increased? If so, the sleps proposed to be taken for the renovation of those mills ?

Shri Shah Nawaz Khan : A seheme to modernise and rehabilitate these mills under the consideration of Government. Government are thinking to advance loans for improving the machinery.

श्री डी० डी० देसाई : चीनी का उत्पादन 4.8 लाख मी० टन से घट कर 42 लाख मी० टन रह गया तथा चीनी के निर्यात पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है । विवरण की तालिका में बताया गया है कि मूल्य निर्धारण औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किया जाता है । क्या न्यूनतम और अधिकतम मूल्य में 100 प्रतिशत का अन्तर होता है । क्या पिराई के समय, वसूली और गन्ने के मूल्य को इस प्रकार व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, जिस से उत्पादक को लाभकारी मूल्य मिल सके ? इस समय यह मामला सदन में और बाहर एक चिन्ता का विषय बना हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है, और गन्ने के मूल्य से सम्बन्धित है, कारखाना पूर्व मूल्य से नहीं ।

श्री शाहनवाज खां : आपने ठीक ही कहा कि ये दो सर्वथा भिन्न प्रश्न है । एक लेवी चीनी का मूल्य निश्चित करने के बारे में है और दूसरा गन्ने के मूल्य के बारे में । गन्ने का मूल्य कृषि मूल्य आयोग और केन्द्र सरकार और गन्ना उत्पादकों के परामर्श से निश्चित किया जाता है । चीनी का मुल्य. . .

Shri Ramavtar Shastri : What is the cost price and sale price of one quintal suaar ? The amount of profit given to mill owhers and whether Government intend to reduce their profit ?

Shri Shah Nawaz Khan : He hes asked about expenditure. This does not only include the price of sugercane but many other things also come in it. Both Tariff Commission and Bureau Industrial Cost and Prices go through the cost rice and after that give their recommendations, so that they may not have made them 12·25 per cent profit.

Shri Genda Singh : Sugar Commission recommended that a board should be constituted to fix the price of sugar and something should be done for the development of sugar cane. Whether Government have taken any step in this direction ?

I want to know whether any recommendation was received by Government ? If so why the action has not been taken on it so that people may get sugar at minimum rates.

Mr. Speaker : The hon. member wants to know why the recommendations of Sugar Commission have not been accepted ?

Shri Shahnawaz Khan : We have accepted their recommendations except where suggestions were not given.

Shri Genda Singh : I want to know whether the Minister has seen the report. What action is being taken on the recommendation for constituting Board regarding the sale and development of sugar ?

Shri Shahnawaz Khan : I hvae gone through that report very carefully. We are working on the recommendation for the development of sugar cane. So far as the sale of sugar is concerned 50 per cent of the excess realisation will be given to the farmers.

श्री नेन भटटाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या लेवी वाली चीनी की कुछ मात्रा निर्यात को जा रही है और यदि हां, तो उसका निर्यात मूल्य क्या है तथा विवरण के परिशिष्ठ (i) में दिए गए मूल्य से कितना अन्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या निर्यात मूल्य से इसका कोई सम्बन्ध है ?

श्री शाह नवाज खां : जी नहीं, श्रीमान जी, निर्यात मूल्य बहुत ऊंचे हैं । आप को पता होगा कि निर्यात मूल्य 600 पौंड प्रति टन है । यह मूल्य अब गिर गये हैं ।

कपास की खेती योग्य काली मिटटी वाली भूमि में वर्षा से की जाने वाली सिंचाई से खेती का अध्ययन

270. **श्री भगतराम राजाराम मनहर :**
चौधरी नीतिराज सिंह :
क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नर्वदा घाटी में कपास की खेती योग्य काली मिट्टी वाली भूमि में वर्षा से की जाने वाली सिंचाई से खेती से उत्पन्न पेंची समस्याओं का अध्ययन करने के लिये कोई प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) जी नहीं । भारत सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि समेवित वारानी कृषि विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 24

मार्गदर्शी परियोजनाओं में से 6 मार्गदर्शी परियोजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू से मध्य प्रदेश के इन्दौर तथा रीवा, महाराष्ट्र के शोलापुर तथा अकोला और गुजरात के राजकोट तथा अमरैली के काली मिट्टी के क्षेत्रों में चालू हैं, परन्तु इन जिलों में से कोई भी जिला नर्बदा घाटी का भाग नहीं है।

Shri Bhagatram Manhar : The hon. Minister has admitted that production of cotton had decreased. It is in fhe interest of this country and its people to increase peoduction of Cotton. Black soil of Narmada Valley is good for productior of Cotton and its area is also very large. There is a proposal of the Government that in order to increase the production of Cotton they are going to formulate air intensive programme. But it will not meet the requirements of Cotton, instead a scheme shall have to be implemented for cultivation and production of cotton in the additional land. I want toknow from the Minister whether there is any proposal under consideration I also want to know whether he will give priority to Narmada Valley Project ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : काली मिट्टी, चाहे नर्मदा घाटी में है या अन्यत्र, लगभग समान ही है। हमने परीक्षण किया है और नर्मदा घाटी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

Shri Bhagatram Manhar : I want to know whether Governmnt of Madhya Pradesh had submitted a scheme to Agriculture Ministry in which they have requested for establishing Agricultural Research Centre to increase Cultivation of Cotton in Narmada Valley Project.

The Minister has also stated that World Bank is also extending its assistance for this purpose. Government's policy is also to give apriority to backward areas, and this area is a backward area. Will you, there fore, extend your help to establish Agricultural Research and to increase Cultivation of Cotton by taking financial assistance from World Bank.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह भिन्न प्रश्न है। मैं तो सामान्य रूप से ही कुछ बता सकता हूं। काली मिट्टी वाली भूमि में कपास की खेती को विकास करने के लिए पहले से ही अनेक अनुसन्धान केन्द्र बने हुए हैं।

जहां तक विश्व बैंक का सम्बन्ध है इसमें कुछेक परियोजनाएं चल रही हैं। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। नर्मदा घाटी में ऐसी कोई परियोजना नहीं है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Sir, I am not agree with this that black soil, is more or less similar. The quality of Black soil is different at diffeent places. At one place the surface of black soil is 3 ft. thick and at some other places it is 30ft. thick. The National Commission has checked black soil of Narmada Valley and they have found that black soil of this Valley is superious. But with the fleribility of rains the pattern of agricultural production also remains changing. The farmrs have started cultivating other corps on the land where there used to be bumper crops of Cotton because they are not getting correct information regarding research on the land by the State administration. Will the hon. Minister set up a research Centre in any of the black soil areas of 12 distrits of Narmada Valley and thereby help the farmers ?

Mr. Speaker : This is a suggestion.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : काली मिट्टी वाले क्षेत्रों की लगभग एक जैसी समस्या है। मैंने यह नहीं कहा है ये यथार्थतः एक जैसी है। फिर मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री हाल ही में नर्मदा घाटी और काली मिट्टी की समस्या के सम्बन्ध में हम से मिले हैं और हमारा विचार इस समस्या को विस्तार से जांच करने का है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था

*271. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी**: क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) इस योजना में उत्पादिकता, उत्पादन की स्थिरता, पर्याप्त आरक्षित भंडार तैयार करने और दक्ष तथा समान वितरण प्रणाली की परिकल्पना की गई है।

श्री नरेन्द्र कुमार साँधी: मैं जानना चाहता हूं कि देश में खाद्यान्न की वार्षिक खपत कितनी है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में कितना आरक्षित भण्डार रखने का विचार है?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे: खपत के आंकड़े या स्तर बताना बहुत कठिन है क्योंकि यह मूल्यों, उपलब्धता तथा और बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे पास अपनी खपत से अधिक अनाज है और भारत सरकार ने एक समिति गठित की है जो यह जांच करेगी कि हमें कितना रक्षित भण्डार और कितना चालू भण्डार रखना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो हमें पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जमा भण्डार और चालू भण्डार के अतिरिक्त 110 से 120 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का रक्षित भण्डार रखना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साँधी: आप इतना रक्षित भण्डार कैसे रख सकेंगे जबकि इस वर्ष लगभग 120 लाख मीटरी टन अनाज की वसूली हो पाई है?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे: इन सब बातों का उत्पादन के प्रयासों, उत्पादन की स्थिरता और अधिक उत्पादकता से अन्योन्याश्रम का सम्बन्ध है। इस वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि देश में खाद्य सुरक्षा कायम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्षित भण्डार बनाया जा सकता है।

भवन निर्माण सामग्री के रूप में कोयले की राख (फ्लाईएश) का इस्तेमाल

*272. **श्री आर० एन० बर्मन**: क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस घोषणा के पश्चात् कि देश में ऊर्जा के लिए कोयला मुख्य साधन होगा, बड़ी मात्रा में कोयले की राख उपलब्ध होगी;

(ख) क्या उचित परिष्करण के पश्चात् कोयले की राख भवन निर्माण सामग्री का एक अच्छा अंग बन सकती है; और

(ग) मौजूदा भण्डार में से कितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है और क्या सरकार ने इस साधन का, जो आजकल बेकार जा रही है और जिससे वातावरण दूषित हो रहा है, उपयोग करने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाई है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) अभी तक उड़नराख (फ्लाईएश) सीमित मात्रा में उपयोग की जा रही है। तथापि, उड़नराख को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए तरीके खोजे जा रहे हैं।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या सरकार ने इस आशय का कोई अध्ययन किया है कि देश में कोयले की राख कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकती है ? यदि हां, तो कितनी ? दूसरे क्या कम लागत के भवन निर्माण के लिए कोयले की राख को उपयोग में लाया जा रहा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

श्री एच० के० एल० भगत : अनुमान लगाया गया है कि देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित लगभग 30 तापीय बिजली घरों में इस समय प्रतिवर्ष 60 लाख मीटरी टन कोयले की राख बनती है। गैर सरकारी और सरकारी निर्माण विभाग भवन निर्माण, नदी घाटी परियोजनाओ, सड़क बनाने, कोयले की राख की ईंटें बनाने के कार्य में कोयले की राख का प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अभी हाल ही में एक समिति गठित की गई है जिसने कोयले का राख के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रश्न की जांच की है। कोयले की राख को प्रयोग में लाने के लिए निर्माण एजेंसियों को मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

राजधानी में बहुत ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति दिया जाना

*264. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बहुत ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन बहुत ऊंची इमारतों में सुरक्षा के उचित उपायों की व्यवस्था की जारही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख). ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगे सामान्य प्रतिबन्ध पर अभी तक कोई ढील नहीं दी गई है सिवाए कुछ मामलों के जिनमें लोक हितार्थ प्रतिबन्ध में विशेष रूप से ढील देने की अनुमति दी गई है।

(ग) स्थानीय निकायों के मौजूदा उप-नियमों में निर्धारित बचाव के उपायों की इन ऊंची इमारतों में व्यवस्था की गई है

नींदाकारा मत्स्य पत्तन, केरल

*273. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नींदाकारा में मत्स्य-पत्तन से सम्बन्धित कुछ योजनाओं की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन मंजूरी दिये जाने की सिफारिश की है; और

(ख) सरकार ने उन पर निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अभी स्थान के चयन सम्बन्धी प्रश्न को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है। भारत सरकार के मत्स्य बन्दरगाह परियोजना के निवेश पूर्व सर्वेक्षण से

अनुरोध किया गया है कि वह आवश्यक परियोजना रिपोर्ट तैयार करे। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर लागत-लाभ अनुपात के आधार पर प्रस्ताव की जांच की जायेगी।

विश्वविद्यालय और कालेजों में सृजनात्मक प्रतिभा का संवर्धन

*274. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों तथा उनके कालेजों में भारत की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में से उदीयमान लेखकों को दिए जा रहे पुरस्कारों के समान सृजनात्मक प्रतिभा के संवर्धन के लिए पुरस्कार/छात्रवृत्तियां/वित्तीय प्रोत्साहन देने की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालयों और कालेजों के स्टाफ में भारतीय भाषाओं में लेखन के माध्यम से रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के विचार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :—

भारतीय लेखकों द्वारा भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तरीय पुस्तकें तैयार करना :—

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजो तथा अन्य उच्च अध्ययन और अनुसन्धान की संस्थाओं के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ शिक्षा-शास्त्रियों और अनुसन्धान अध्येताओं को विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रयोग की जाने वाली उच्च-कोटि की पुस्तकें, विनिबन्ध और सन्दर्भ सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऐसे विशिष्ट अध्यापक, जो पुस्तकें लिखने के लिए एक अथवा दो वर्ष की अवधि से अधिक का पूरा समय लगाने के इच्छुक हों, वे वरीयता और वार्षिक वेतन वृद्धियों आदि को खोये बिना अपने पदों से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनकी वार्षिक वेतनवृद्धियों के प्रावधान सहित उनके वेतन और भत्तों के समतुल्य धनराशि तथा लिपिकीय और अन्य सहायता के लिए प्रतिवर्ष 2,000/- रुपये की फुटकर अनुदान भी देगा। ऐसे अध्यापकों को, जो अपनी औपचारिक अध्यापन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी जिम्मेदारियों के अलावा इस कार्य को आरम्भ करते हैं, 600/-रुपये प्रतिमास की शिक्षावृत्ति पर एक जूनियर लेखक की सेवाएं भी मुहैय्या की जाएंगी।

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करना है। विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए मानक वृतियां अथवा उत्कृष्ट पठन-सामग्री तैयार करने वाले लेखकों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता के रूप में पुरस्कार दिए जाएंगे। दिए जाने वाले पुरस्कारों की अधिकतम संख्या एक वर्ष में 100 तक होगी तथा प्रत्येक पुरस्कार की राशि 10 हजार रुपए होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रचनात्मक लेखकों तथा अन्य कलाकारों को यात्रा, शिक्षावृत्ति तथा विशेष भ्रमण शिक्षावृत्ति देने की योजना को हाल ही में सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की वन सम्पदा

*275. **श्री भाऊसाहेब धामनकर** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों, मछलियों और बागानों जैसी प्राकृतिक सम्पदा का विकास करने के लिए, जिनका अभी तक पूरा लाभ नहीं उठाया गया है, क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या वहां पर मत्स्य, बागान और नकदी फसलों जैसी वन-उत्पादा पर आधारित कोई उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं ताकि उस द्वीप समूह के जिसको पिछड़ा क्षेत्र माना गया है, आर्थिक विकास में प्रगति हो सके; और

(ग) क्या उन द्वीपो में वनों को काटने, वन उत्पादों की बिक्री करने और अनेक क्षेत्रों में पुनः वनारोपण करने का व्यापक कार्यक्रम शुरू करके बड़े पैमाने पर उपलब्ध वन संसाधनों का, जिनका पूरा लाभ नहीं उठाया गया है, उपयोग करने के लिए एक वन विकास निगम स्थापित करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी हां।

विवरण

वन	मात्स्यकी	बागान
(1)	(2)	(3)
(क) उपयोग में लाये गये प्राकृतिक वन-संसाधनों का विकास करने के लिए, लिटल अंडमान और उत्तरी अंदमान द्वीपसमूह में काष्ठ-निष्कासन, विपणन, वन बागानों और प्राकृतिक रूप से वन उगाने की एक परियोजना रिपोर्ट, जो अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड ने क्रियान्वित करनी है, तैयार की गई है और सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।	एक विशेषज्ञ दल ने अप्रैल, 1976 में अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था और इस दल ने अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अभी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस दल ने सिफारिश की है कि मात्स्यकी विभागों के माध्यम से विकासात्मक दृष्टिकोण तथा आधार के रूप में कैम्पवेल खाड़ी के परियोजना सम्बन्धी दृष्टिकोण को अपना करके एवं औसत रूप से विकसित बन्दरगाहों से गैर-सरकारी उद्यमों का विकास करके	द्वीपसमूह में नारियल, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और रबड़ के निरन्तर विकास के लिए बागान निगम की स्थापना करने का विचार है। भारत सरकार का अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में क्रमबद्ध ढंग से 2,400 हैक्टयर क्षेत्र पर रेड आयल पाम की खेती के लिए योजना का विकास करने का विचार है। रेड आयल पाम की परियोजना भी निगम का एक अभिन्न अंग होगी।

1	2	3
	मात्स्यकी का विकास किया जाए। इन प्रस्तावों में छोटे, मध्यम तथा बड़े मत्स्यन जलयानो को शुरू करने का विचार है।	
(ख) अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम के अधीन संयुक्त क्षेत्र के उद्यम के अन्तर्गत वन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने का विचार है।	जैसा उपर्युक्त (क) में दिया गया है।	बागान पर आधारित उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है। केवल आयल पाम के विकास की परियोजना के अन्तर्गत पाम आयल के निष्कासन के के लिए एक फैक्टरी की स्थापना करने के लिए व्यवस्था की गई है।

Agricultural Universities and National Food Security System.

*276. **Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have suggested to the agricultural universities of the country to play special role in enforcing the national food security system effectively ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) Yes, Sir.

(b) The National Food Security System has the following four salient features :—

(1) Improvement of production and productivity in irrigation and unirrigated areas through the development and adoption of an appropriate technological package matched by appropriate package of services and public policies.

(2) Achievement of stability in production through (a) development of early warning systems against weather aberrations; (b) by adopting timely preventive and corrective measures against pest epidemics; and (c) by adopting contingency cropping plans for areas prone to floods and drought and (d) by expansion of irrigation facilities.

(3) Building up sufficient grain reserve in the country.

(4) Development of an efficient and equitable distribution system.

अगरडंडा मत्स्य पत्तन, महाराष्ट्र की प्रगति

*277. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलाबा जिले में अगरडन्डा में मत्स्य पत्तन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) परियोजना के पूरा होने में क्या बाधायें हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया था कि अगरडन्डा को सभी मौसमों में काम में लाये जाने वाले बन्दरगाह के लिये एक संभव स्थान के रूप में समझा जाये और इसे क्षेत्र विकास परियोजना के समान समझा जाना चाहिये। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सब सम्भव पहलुओं की विस्तार से जांच की जानी चाहिए। मत्स्यन बन्दरगाह परियोजना के निवेशपूर्व सर्वेक्षण ने 1975 में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य किया और योजनाएं तथा अनुमान तैयार किए गए हैं। जिसमें लगभग 500 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्र विकास के ब्यौरे का उल्लेख करें कि मत्स्यन बन्दगाह किस हद तक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के योग्य होगा। माल के बड़े जलयानों के संचालन की सुविधाओं की व्यवस्था; सड़क तथा रेल से जोड़ने की व्यवस्था, विद्युत तथा जल की सप्लाई और नगरीय सुविधाओं के साथ क्षेत्र में नगर के विकास के संबंध में ब्यौरा मांगा गया था। राज्य सरकार से अभी विस्तृत उत्तर प्राप्त नही हुआ है। महाराष्ट्र सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर परियोजना की लागत-लाभ के अनुपात के आधार पर जांच की जायेगी।

रुग्ण/निर्धन लेखकों, कलाकारों और विद्वानों को सहायता

***278. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण/निर्धन लेखकों, विद्वानों तथा कलाकारों को सहायता देने अथवा उन कलाकारों को, जो अपनी जीविका कमाने की स्थिति में नही है, आजीवन पेंशन देने के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी हां।

(ख) अभाव ग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे साहित्य कलाओं और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता" नामक एक योजना है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मासिक आय 400 रु० से अधिक न हो और जो 58 वर्ष की आयु से अधिक के हो, सहायता के पात्र हैं। इस योजना के अधीन अधिकतम देय भत्ता 200/- रुपये प्रतिमास है। इस योजना के अधीन सहायता के लिये मामलो की सिफारिश करने हेतु योजना को राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों को भेजा जाता है। खर्च को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच क्रमश: 2:1 के अनुपात से वहन किया जाता है। संघीय क्षेत्रों का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस योजना के परिचालन के प्रथम वर्ष अर्थात् 1975-76 के दौरान 1,63,675 रुपये की राशि छ: राज्यो और दो संघीय क्षेत्रों को स्वीकृत की गई थी। 1976-77 के दौरान सहायता के लिये बजट में 3 लाख रूपये की व्यवस्था है।

गेहूं की नई किस्म

*279. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की एक नई संकर किस्म 'मैक्स 9' हाल ही में किसानों को खेती के लिये उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रति हैक्टेयर पैदावर कितनी है ;

(ग) क्या अन्य किस्मों की तुलना में इससे अधिक लाभ होगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, श्रीमान गेहूं की यह 'ड्यूरम' किस्म 'महाराष्ट्र एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस' पूना ने पैदा की । चार वर्षों तक किये गये परीक्षणों के आधार पर, सितम्बर 1973 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित बारहवी गेहूं अनुसंधान कर्ताओं की आखिल भारतीय कार्य गोष्ठी ने इस किस्म को प्राय-दिव्पीय भारत (महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) के वर्षा पर आश्रित, समय पर बोये जाने वाले और कम उपजाऊ क्षेत्रो में उगाने की सिफारिश की ।

(ख) इसकी उपज प्रति हेक्टर आठ क्विंटल से प्रन्द्रह क्विंटल तक है । मिट्टी में मौजूद नमी और उसकी उर्वरा शक्ति के अनुसार उपज कम या अधिक हो सकती है ।

(ग) जी हां, श्रीमन्

(घ) यह देशी किस्म की अपेक्षा अधिक अच्छी पैदावार देती है और खेतो में रतुआ रोगों को, जो प्राय द्विपीय भारत में पाये जाते है सहन कर सकने में भी अधिक समर्थ है ? यह विशिष्ट किस्मों के संकरण (ट्रिटिकम ड्यूरम × ट्रिटिकम पोलोनिकम) × (एन 59 × एफ 183) से तैयार की जाती है । इसलिये इसमें रोग सहन करने के लिये विभिन्न गुणों के होने की आशा है । इसके दाने अम्बरी रंग के, कड़े, चमकदार और अच्छी क्वालिटी के होते हैं ।

Rice From Thailand

*280. **Shri Bibhuti Mishara :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to State :

(a) whether Government propose to purchase more than two lakh tonnes of rice from Thailand;

(b) If so, the quality and price; and

(c) the reasons for this purchase ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : Due to drought conditions in some of rice consuming states in the 1974-75 Government had concluded two contracts in June and July 1975 for the purchase of two lakh tonnes in all of par-boiled rice from thailand to meet the demands of deficit states for that variety of rice. The price for a total quantity of 1·4 lakh tonnes of rice under the two contracts, which has since been shipped and received in India by end January 1976, ranged between US$ 227·00 to US$ 235·00 per metric ton FOB Bangkok. The price for the balance quantity of 60,000 tonnes was subject to further negotiations and is yet to be settled.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रेडों का लागू किया जाना

*281. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कालेजों के अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान **आयोग** के वेतन ग्रेडों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये सरकार ने निम्नतम वेतन कितना निर्धारित किया है , और

(ग) क्या उसे समान रूप में लागू किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) : तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन मान अर्थात् 196–232 रु० को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक रूप से स्वीकृत कर दिया गया है । किन्तु, राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में विश्वविद्यालयों द्वारा वेतन-मान राज्य सरकारों की स्वीकृति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं ।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये और भारत सरकार द्वारा स्वीकार किये गये संशोधित वेतनमानों को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में 1–1–1973 से लागू कर दिया गया है । ये वेतनमान राज्य सरकारों को नवम्बर, 1974 में भेज दिये गये थे । इन संशोधित वेतनमानों से सूचित करते समय राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया गया था कि 1–1–1973 से लेकर 31–3–1979 तक की अवधि के दौरान इन संशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप हुए अतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार वहन करने के लिये राजी होगी । राज्य सरकारों को यह भी विकल्प दिया गया था कि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन वेतनमानों से भिन्न वेतनमान निर्धारित कर सकती है किन्तु वे वेतनमान केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये सिफारिश किये गये वेतनमानों से अधिक नहीं होने चाहिये तथा वे 1–1–1973 के बाद की तारीख से ही कार्यान्वित कर सकती है ।

इस योजना को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित विभिन्न राज्यों की प्रगति इस प्रकार है :—

1.	बिहार :	1–4–1973 से संशोधित वेतनमान लागू कर दिये हैं ।
2.	गुजरात :	1- 1- 73 से संशोधित वेतनमान लागू कर दिये हैं ।
3.	हरियाणा :	1- 1- 73 से संशोधित वेतनमान लागू कर दिये हैं ।
4.	महाराष्ट्र :	भारत सरकार द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतनमानों को 1- 1 1973 से लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं ।

5. मणिपुर : कालेजों अध्यापको के संबंध में संशोधित वेतनमानों को 1- 1- 73 से लागू कर दिया है।

6. मेघालय : कालेज अध्यापकों के लिए संशोधित वेतनमानों की योजना को 1- 4–75 से लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

7. पंजाब : 1- 4- 75 से संशोधित वेतनमानों को लागू कर दिया है।

8. उत्तर प्रदेश : विश्वविद्यालयों तथा गैर-सरकारी कालेजों में (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध संस्थाओं को छोड़कर) संशोधित वेतनमानों को 1- 1- 73 से लागू कर दिया है।

9. पश्चिम बंगाल : विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के संबंध में संशोधित वेतनमान 1- 1–73 से लागू कर दिये हैं।

10. हिमाचल प्रदेश : 1–4–1975 से योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। तथापि, केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

11. जम्मू व कश्मीर : योजना को 1–1–73 से लागू करने के आदेश जारी कर दिये है तथापि, केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

12. मध्य प्रदेश : राज्य में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन-मान 1–1–73 से संशोधित करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

13. उड़ीसा : राज्य सरकार का 1–4–1974 से वेतनमान को संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

14. केरल : केरल ने इस योजना की कुछ प्रमुख शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। उसने 1–1–73 से भारत सरकार द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों से कम वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव किया है। उक्त प्रस्ताव को स्वीकार्य नहीं पाया गया।

15. आन्ध्र प्रदेश :
16. राजस्थान :
17. त्रिपुरा : } वेतन-मानों को संशोधित करने की योजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

18. तमिलनाडु : योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

19. असम :
20. कर्नाटक :
21. नागालैंड : } राज्य सरकारों ने अभी तक अपना निर्णय सूचित नहीं किया है।

उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र

1904. **डा० के० एल० राव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में (एक) गुरुत्व प्रवाह; (दो) नदियों से पम्प करके, (तीन) खुले कुओं; (चार) नल-कूपों; (पांच) तालाबों और (छः) अन्य साधनों से कितना क्षेत्र सिंचित होता है ; और

(ख) विभिन्न स्त्रोतों से जल की सप्लाई के लिये उत्तर प्रदेश में क्या प्रभार वसूल किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्य सिंचाई कार्यों से औसतन सिंचित क्षेत्र लगभग 46.75 लाख हैक्टेयर है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख हैक्टेयर में)

नहरें, ताल, बन्ध आदि जिसमें बृहत् और मध्यम पम्प नहरें भी शामिल हैं।	38.46
लघु लिफ्ट नहरें	0.26
सरकारी नलकूप	8.03
	46.75

(ख) उत्तर प्रदेश में जल-दरें भिन्न-भिन्न परियोजनाओं में भिन्न-भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में नहर प्रणाली द्वारा की जाने वाली बहाव सिंचाई के अन्तर्गत कुछ मुख्य फसलों के लिए ली जा रही जल-दरें निम्न प्रकार हैं :—

फसल का नाम	प्रति हैक्टेयर जल-दर (रुपयों में)
धान	39.54 से 98.84
कपास	19.77 से 39.54
गेहूं	44.48 से 98.84
गन्ना	84.02 से 197.69

उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई के लिए जल की दरें प्रथम नवम्बर से जून के अन्त तक प्रति 6000 गैलन पानी के लिए एक रुपया और प्रथम जुलाई से अक्टूबर के अन्त तक प्रति 12,000 गैलन के लिए एक रुपया थीं।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें

1905. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है जो या तो अभी अपूर्ण हैं या पूरी होने वाली हैं।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1976–77 में मंजूर की गई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के लिये मंजूर की गई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) पांचवीं योजना में आगे लाई गई निर्माणाधीन बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या, मार्च, 1975 तक पूरी की जा चुकी परियोजनाओं की संख्या और जिन परियोजनाओं का काम मार्च, 1976 तक काफी हद तक पूरा किया जा चुका उनकी संख्या उपाबन्ध है I [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–11298/76] में राज्य-वार दी गई है । पांचवीं आयोजना की अवधि में 31 मई, 1976 तक अनुमोदित/स्वीकृत नई बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या उपाबन्ध-II [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–11298/76] में राज्य-वार दी गई है ।

(ख) योजना आयोग के द्वारा 1976–77 में स्वीकृत बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या उपाबन्ध-III [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 11298/76] में राज्य-वार दी गई है ।

(ग) योजना आयोग ने 1976–77 में अब तक उड़ीसा राज्य के लिए अपर कोलाब नामक एक बृहत परियोजना और कुआरिया नामक एक मध्यम परियोजना अनुमोदित की है ।

Setting up of a Printing Press at Nagpur

1906. **Shri Ram Ledao** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether Government had formulated a scheme for setting up a printing press at Nagpur (Maharashtra) under the Fifth Five Year Plan ;

(b) if so, the difficulties that have cropped up in implementing that scheme; and

(c) when this scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H.K.L. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Does not arise.

Proposed Legislation from States Regarding fixing of Ceiling for House

1907. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether some proposals regarding enacting a legislation on fixing the ceiling for houses have also been received from the state Governments; and

(b) if so, the particulars thereof ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तमिलनाडु में हरिजनों के लिये मकान

1908. **श्री मुरासोली मारन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में वर्ष 1976–77 के दौरान हरिजन आवास निगम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों के लिये नये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(घ) इस अवधि में कितने मकान बनाने की योजना है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (घ). तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय विद्यालयों में अपंग छात्रों के लिये रियायत

1909. **श्री वरके जार्ज :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालयों में विशेषकर जिनके भवन एक मंजिले हैं उनमें शारीरिक दृष्टि से अपंग छात्रों को प्रवेश के लिये शर्तों में कोई रियायत दी जाती है अथवा कोई कोटा निर्धारित है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) जी, नहीं ।

दिल्ली में कालेजों द्वारा पढ़ाई-शुल्क पेशगी वसूल किया जाना

1910. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों में समूचे शैक्षिक वर्ष 1976–77 के लिये पढाई-शुल्क पेशगी वसूल किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को इन संस्थानों में अपने बच्चे दाखिल कराने में भारी कठिनाई हुई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों में इस प्रक्रिया को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, व्यावसायिक कालेजों के अतिरिक्त केवल एक गैर-व्यावसायिक कालेज ने पूरे शैक्षणिक वर्ष 1976–77 के लिए पढ़ाई-शुल्क पेशगी वसूल किया है ।

(ख) से (घ) . विश्वविद्यालय को इस कालेज के विरुद्ध कोई भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, प्रेस रिपोर्टों में, कुछ छात्रों के अभिभावको द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों

का उल्लेख किया गया है। कालेज की शासकीय निकाय के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय को यह सूचित किया है कि शासकीय निकाय इस मामले पर विचार करेगा और भविष्य में ऐसी प्रथा को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।

बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन का नया तरीका

1911. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि तथा सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने बारानी भूमि में फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये एक नया तरीका खोज निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान। बारानी क्षेत्रों में फ़सल उत्पादन में सुधार करने के लिये विशिष्ट कृषि-क्रियाओं का विकास किया गया है। ये कृषि क्रियाएं अधिकांशत: चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित बारानी खेती से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना से प्राप्त अनुसंधान आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। असामान्य मौसम की चुनौतियों का सामना करने के लिए बारानी कृषि तकनीक में और सुधार करने की दृष्टि से यह अनुसंधान प्रायोजना वर्तमान योजना अवधि में देश के विभिन्न भागों में स्थित 23 केन्द्रों में जारी है। बारानी कृषि तकनीकी की विस्तृत कृषि विधियों का विकास करने के लिए (1) मृदा एवं जल संरक्षण, (2) बढ़िया फ़सलों और किस्मों, (3) फ़सल क्रमों और फ़सल मिश्रणों, (4) पौधों की संख्या, उर्वरकों का प्रयोग और खरपतवार नियंत्रण सहित उपयुक्त कृषि विधि (5) जल की व्यवस्था और फसल की जीवन रक्षा करने वाली सिंचाई से संबंधित अनुसंधान सूचना का प्रयोग किया गया है।

(क) मानसून सामान्य समय पर आरम्भ होने के बाद वर्षा में लम्बे अन्तराल, अथवा (ख) मानसून देर में आरम्भ होने अथवा (ग) मौसम के अन्त में वर्षा जल्दी बन्द हो जाने जैसी असामान्य मौसमी दशाओं की चुनौतियो का सामना करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्पादन युक्ति और उपायों की सिफारिश की गई है।

इनका विस्तृत प्रचार करने के लिए जून, 1974 में 'इण्डियन फ़ार्मिंग' का बारानी कृषि से संबंधित एक विशेषांक तथा 'क्राप प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इन रेन फ़ैड एरियाज़ अंडर डिफ़रेंट व्हेदर कंडीशंस डयूरिंग 1974–75' और 'क्राप लाइफ़ सेविंग रिसर्च' नामक दो प्रकाशन किये हैं। बारानी कृषि तकनीकी संबंधी इन कृषि क्रियाओं का प्रदर्शन ड्राइलैण्ड आपरेशनल पायलट प्रायोजनाओं के अन्तर्गत किसानों के खेतों में किया जा रहा है। देश में सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिलों में भी इन्हें अपनाने के लिए भेजा गया है।

Replacement of English by Hindi or Indian Languages as medium of Instruction

1912. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether efforts are being made by Government to replace English by Hindi or Indian languages as medium of instruction ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) and (b). The policy of the Government regarding medium of instrution is laid down in the Resolution on National Policy on Education (1968) which states :

> "The regional languages are already in use as media of education at the primary and secondary stages. Urgent steps should now be taken to adopt them as media of education at the university stage."

According to information available, as on 1-7-1975 seventy-nine universities including three institutions deemed to be universities were using one more regional languages as a media for instruction of specified courses. In almost all these universities examinations in the relevant courses are also conducted in the regional languages.

The Government is operating through various State Governments and other agencies several schemes to facilitate the adoption of Hindi and other Indian Languages as media of instruction for higher education. The Government is also encouraging Indian authorship in Indian languages including Hindi. Some of the important schemes are : Scheme of Production of University level books and literature in Hindi and regional languages; U.G.C. Fellowships to academies for preparing manuscripts of University level books in different disciplines; the Scheme of the National Book Trust for subsidising University level books; National awards to authors for writing of origional standard University level books; Sahitya Akademy Awards for outstanding books of literacy merit, award of Prizes to Hindi writers from non-Hindi speaking States; National Awards or Prizes to Indian authors for writing of original standard works in Indian languages and National Prize Competition of books/manuscripts for neo-literates etc.

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को भवनों के निर्माण के लिए प्राप्त विदेशी क्रयादेश

1913. **श्री एम० सी० पुर्ती** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने विदेशो में कुछ महत्वपूण भवनों के निर्माण के क्रयादेश प्राप्त किये हैं और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने महत्वपूण भवनों के लिए ऐसा कोई विदेशी क्रयादेश प्राप्त नहीं किया है । यद्यपि, भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण ने लिबिया में एक हवाई पत्तन के निर्माण के लिए क्रयादेश प्राप्त किया है और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम अपने सह-निर्माण के रूप में इस काम को कार्यान्वित कर रहा है । हवाई पत्तन के काय में हवाई पट्टी का निर्माण, टेक्सीमार्ग तथा एप्रन्स सम्मिलित हैं ।

कृषि वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिये एजेन्सी की स्थापना

1914. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान केरल सरकार के इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि कृषि वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए एक विशेष एजेंसी स्थापित की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अन्य राज्यों से यह सुनिश्चित करने का है कि वे इस सम्बन्ध में केरल का अनुकरण करें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) . केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Educational Centres for Handicapped

1915. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

State-wise number of educational centres being run for the handicapped and blind persons during the period from 1973 to March, 1976 to whom assistance is given by the Ministry and the amount made available to these centres, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : A Statement giving statewise details of grants-in-aid given from 1-4-73 to 31-3-76 to institutions catering to the education training and rehabilitation of the blind and others categories of the handicapped population is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T. 11299/76]

Maintenance of Konarak Temple

†1916. **Shri G.P. Yadav :** will the Minister of **Education, Social Welfare and Culutre** be pleased to state :

(a) whether special measures are proposed to be taken for the protection and proper maintenance of Konarak temple in Orissa; and

(b) if so, the funds Government propose to spend on the protection and maintenance of this ancient sun temple ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) & (b) Yes, Sir. Besides continuing the chemical cleaning and preservation of sculptures and stone surfaces of the monument, necessary structural repairs are proposed to be taken up. The area around the temple is being landscaped.

An Expert Committee comprising members from various disciplines like geology to biology etc. has been constituted to make an on the spot study of the problems of preservation of stone and suggest suitable measures.

For the activities montioned above an amount of approximately Rs. 4 lakhs is proposed to be spent during 1976-77.

भूमिहीन मजदूर

1917. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम वार्षिक आंकड़ों के अनुसार भूमिहीन किसानों की राज्य-वार संख्या तथा उनका प्रतिशत कितना है ;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे भूमिहीन किसानों के मध्यम रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध हो ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

गन्दी बस्तियों को मूल सुविधायें उपलब्ध कराने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

1918. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बनी गन्दी बस्तियों को मूल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर

1919. **श्री एस० डी० सोमासुंदरम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में गत 10 वर्षों से भी अधिक अवधि से कार्य कर रहे ऐसे कितने जूनियर इंजीनियर हैं जिन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है; और

(ख) स्थायी पदों के बारे में पुनरावलोकन पिछली बार कब किया गया था ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क)	सिविल	विद्युत
	1130	119

(ख) अप्रैल, 1974 में।

सिक्किम में बहुत ऊंचाई पर नेशनल पार्क

1920. **श्री एस० के० राय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने राज्य के दिवतीय वन्य जीवों के संरक्षण के लिये वहां बहुत ऊंचाई पर एक नेशनल पार्क बनाने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) : अभी तक अनुरोध नहीं किया है । तथापि गत जून में महावन निरीक्षक के दौरे के दौरान इस प्रकार के पार्क को स्थापित करने के लिए क्षेत्र का पता लगाया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिए जाने तथा प्रबंध योजना तैयार कर लिए जाने के पश्चात् वह केन्द्र से इसके लिए अनुरोध करे ।

विवेक बिहार, दिल्ली में प्लाटों की नीलामी

1921. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विवेक बिहार, शाहदरा, दिल्ली (झिलमिल ताहिरपुर रिहायशी योजना) में अभी कितने प्लाटों की नीलामी/पुन: निलामी/अथवा उनका आबंटन किया जाना है;

(ख) ये प्लाट किन कारणों से अब तक नहीं बेचे गये हैं या अलाट नहीं किये गये हैं ; और

(ग) उनके निपटान की वर्तमान योजना क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) : दिल्ली विकास प्राधिकरण की विवेक बिहार/झिलमिल ताहिरपुर कालोनी में लगभग 1400 प्लाटों में से लगभग 250 प्लाट आबंटन के लिए अब भी उपलब्ध हैं । उनमें से अधिकांश प्लाट उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिनके प्लाट अधिगृहीत किए गये हैं तथा जिन्हें योजना के उपबन्धो के अनुसार वैकल्पिक आवास दिया जाना है । ऐसे लोगों के दावों का निपटारा करने के बाद, जिनके प्लाट अधिगृहीत किए गये हैं, शेष प्लाटों को नीलामी के द्वारा बेचा जायेगा ।

महाराष्ट्र राज्य में वारना परियोजना

1922. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की बारना परियोजना से सम्बन्धित स्थान के अन्तिम रूप से चुनाव, एक सौ करोड़ घन फुटो में जल की आवश्यकता सांगली तथा कोल्हापुर जिलों में, तहसीलवार, सिंचाई के अधीन लाई जाने वाली भूमि के अनुमानित क्षेत्र और पानी की सप्लाई पद्धति जैसे नहर सिंचाई तथा उठाऊ सिंचाई के बारे में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या पानी की सप्लाई से सांगली जिले में मिराज तहसील के पूर्वी भाग के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ; यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ;

(ग) यह जल का किस प्रकार की फसल के लिये उपयोग किया जायेगा और इस पर कितना खर्च होगा ; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि बारना परियोजना सांगली जिले के शिराला तालुका के चन्दोली गांव में स्थित होगी । कुल 36.8 हजार मिलियन घन फुट जल के उपयोग की योजना बनायी गई है । प्रतिवर्ष सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	तहसील	क्षेत्र हैक्टेयर में
सांगली	1. शिमला	10900
	2. बागान	31286
	3. मिराज	8624
सांगली जिले के लिए कुल शेष		50800 हैक्टेयर
कोल्हापुर	1. साहुवाडी	2574
	2. पनहाला	3206
	3. हटकंगले	13476
	4. शिरोल	14342
कोल्हापुर जिले का कुल क्षेत्र		33600 हैक्टेयर

66520 हैक्टेयर की सिंचाई बहाव सिंचाई द्वारा और 17880 हैक्टेयर की सिंचाई लिफ्ट सिंचाई द्वारा होगी।

(ख) वारण परियोजना से सांगली जिले की मिराज तहसील के सूखा प्रवण पूर्वी भाग को लाभ नहीं होगा।

(ग) प्रस्तावित फसल प्रणाली इस प्रकार है :—

प्रतिशत]

गन्ना	10
लम्बे रेशे की रूई	16
हरी खाद	20
ग्रीष्मकालीन मूंगफली	10
रबी की मक्का	17
ग्रीष्मकालीन चारा	5
ग्रीष्मकालीन प्याज	6
रबी का चना	16
लाल मिर्च	12

परियोजना पर 81.98 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है।

(घ) इस परियोजना के 1983 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

शाहदरा में ग्रुप आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1923. श्री वी० मायावन : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के योजना सैल ने एक मानचित्र प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक "शाहदरा में ग्रुप–4 समितियों को भूमि का आवंटन" है और बताया गया है कि ग्रुप आवास समितियों के लिये कुछ स्थान पटपड़गंज में रखे गए हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में भूमि पहले ही कुछ समितियों को अलाट कर दी गई है जिन्होंने उसका विकास आरम्भ कर दिया है;

(ग) क्या कुछ समितियों ने पटपड़गंज क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिये भी निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह भूमि ऐसी सभी ग्रुप आवास समितियों को कब अलाट करना चाहती है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख). जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) उन सभी पंजीकृत समितियों को भूमि आवंटित की जा सकती है जिन्होंने केवल इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर रखी हों।

भूमि सुधार मामलों को अदालतों के क्षेत्राधिकारे से बाहर रखना

1924. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है कि सभी भूमि सुधार मामलों को अदालतों के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखने के लिये संविधान में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का स्कूल छोड़ जाना

1925. **श्री डी० के० पंडा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने के बारे में सरकार चिन्तित है,

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में वर्ष 1973–74, 1974–75, 1975–76 में कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). जबकि स्कूल स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों का हाल ही में कोई अखिल भारतीय अध्ययन नहीं किया गया है, किन्तु यह सुविदित है कि बर्बादी की सीमा, विशेष कर प्राथमिक स्तर पर बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों में इसकी संख्या विशेषकर बहुत ज्यादा है सरकार को इस समस्या से बहुत चिन्ता है। इस समस्या को हल करने के लिए अब तक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) प्राथमिक स्कूलों में सहायक सेवाओं की व्यवस्था,

(2) अध्यापकों और प्रशासकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम, ताकि वे इस समस्या के प्रति जागरूक रहें और इसको हल करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें;

(3) गैर औपचारिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करना ताकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चे अपनी प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा कर सकें।

ऋण संस्थाओं को दी जाने वाली राज सहायता

1926. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा सीमान्त किसान तथा कृषि मजदूर अभिकरण योजना के अन्तर्गत ऋण संस्थाओं को देय राज सहायता की एक बड़ी धनराशि अभी नहीं दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक एजेंसी को क्षेत्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से ऋण संस्थाओं के लिए कोई उपदान देय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में लघु सिंचाई परियोजनायें

1927. श्री पी० गंगारेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में गुजरात को तीन लघु सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) गुजरात की कोई लघु सिंचाई परियोजना इस मन्त्रालय के पास स्वीकृति के लिए नहीं पड़ी है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

Deaths due to open Manholes in Delhi

1928. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some children were killed as a result of fall in the open manholes in the Delhi Municipal Corporation area in 1975 and on the 23rd June, 1976 ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the steps taken by Government to ensure that man-holes are not left open ?

The Minister of State in the Minitsry of Works and Housing (Shri H.K.L. Bhagat) (a) & (b). There was only one case of death of a child as a result of fall in an open manhole in the Municipal Corporation of Delhi area in the year 1975 but there was no such incident on 23rd June, 1976.

(c) Regular watch is kept by the concerned staff and as soon as any case of missing/damaged manhole cover is noticed, the same is replaced immediately.

शिवरामन समिति की सिफारिश

1929. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिवरामन समिति की सिफ़ारिशों को मंजूर कर लिया है जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि सहकारी ऋण समितियों तथा ऐसी ही अन्य एजेन्सियों द्वारा 295 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जायेगा;

(ख) क्या इस योजना में वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कोई उल्लेख नहीं है और सहकारी समितियों पर अभी भी अमीर किसानों का नियन्त्रण है; यदि हां, तो क्या यह शंका अथवा खतरा है कि शायद उपभोक्ता ऋण अतिनिर्धन लोगों को न मिल सके;

(ग) क्या 295 करोड़ रुपए में से 170 करोड़ रुपए की राशि उन लोगों के लिए थी जिसके पास कोई भूमि नहीं है अथवा आधे एकड़ से भी कम भूमि है और 125 करोड़ रुपए की राशि उन लोगों के लिए है जिनके पास आधे एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक भूमि है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी क्रियान्विति पर निगाह रखने हेतु पर्यवेक्षी निकायों का गठन किया जायेगा ताकि ग्रामों के गरीब लोगों का आर्थिक आधार मजबूत हो सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) उपभोग ऋण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति (शिवरामन समिति) की सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। समिति ने अनुमान लगाया है कि गरीब ग्रामीण जिनके पास शून्य जोतें अथवा 01 एकड़ से लेकर 5 एकड़ के बीच जोते हैं, के वास्तविक उपभोग ऋण की पूर्ति के लिये प्रचालन के प्रथम वर्ष में अपेक्षित निधियां 170 करोड़ रूपये होंगी और गरीब लोगों की उस श्रेणी के लिए जिसके पास 0.50 एकड़ से अधिक किन्तु 5 एकड़ से कम भूमी की जोते हैं, 125 करोड़ रुपये होंगी। समिति ने सिफ़ारिश की है कि प्रथम श्रेणी के लोगों के लिये अपेक्षित 170 करोड़ रुपए की धनराशि में से 70 करोड़ रु० सहकारी सोसायटियों के पूरी तरह मजबूत बनने के बाद उनके माध्यम से दी जायेगी और 'ग्रे० एरियाज' की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित शेष 100 करोड़ रुपये देने के लिये राज्य सरकारों को विशेष करों अथवा पुनर्विनियोजन के माध्यम से संसाधन जुटाने होंगे। समिति ने यह भी सिफ़ारिश की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करें कि वे इस मामले में राज्य सरकारों की किस सीमा तक सहायता कर सकती है।

सहकारी सोसायटियों पर अमीर किसानों के नियंत्रण को कम करने के लिये समिति ने सिफ़ारिश की है कि सभी राज्य सरकारों द्वारा विधायी उपाय किये जाने चाहिएं जिससे कि कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पास किये गये कानूनों के आधार पर सभी प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटियों में सदस्यता को व्यापक रूप से लागू किया जा सके।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्बन्ध है, समिति ने सिफ़ारिश की है कि राजस्व तथा बैंकिंग विभाग इन बैंकों को मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करे कि वे समिति की सहकारी सोसायटियों से सम्बन्धित सिफ़ारिशों के अनुसार अपने आदमियों को उपभोग ऋण प्रदान करें।

(घ) जी नहीं।

समेकित ग्रामीण विकास

1930. **श्री बसन्त साठे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, इसके लिये किन किन क्षेत्रों का चयन किया गया है। चालू वर्ष में वित्तीय उपबन्ध किये गये हैं और केन्द्रीय और राज्य स्तरों आदि पर स्थापित किए गए कार्यक्रम संगठनों सम्बन्धी क्या ब्यौरा है ; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य राज्यों के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1976–77 के लिये बजट दस्तावेजों के साथ समन्वित ग्राम विकास संबंधी एक विशेष पत्र संसद में प्रस्तुत किया गया था। इस पत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था जो गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

के सौदेश्य निवेशों के माध्यम से उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में लक्षित था।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में ग्राम विकास विभाग को कार्यक्रम को समन्वित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

प्रारम्भिक अवस्था में, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की सहायता से निम्नलिखित जिलों के लिये संसाधन सूची तथा कार्यवाही योजनाएं तैयार करना शुरू किया है :-

महबूब नगर, कामरूप, रोहतास, कच्छ; हिसार, कांगड़ा, अनंतनाग, कन्नानोर, तुमकुर, बस्तर, चन्द्रपुर, गारोहिल्स, पुरी, होशियारपुर, बंसवाड़ा, धर्मपुरी, मिर्जापुर, टिहरी गढ़वाल तथा बांकुरा।

उपयुक्त समय पर योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक समिति कार्यक्रम द्वारा प्राप्त की गई प्रगति की समीक्षा करेगी और क्षेत्र में सामने आई समस्याओं को हल करने का सुझाव देगी।

ये कार्यवाही योजनाएं निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की जा रही हैं:-

(क) कार्यक्रम को ग्राम समुदाय में अत्यधिक गरीब लोगों (विशेषकर सीमान्त किसानों में भूमीहीन श्रमिकों, कारीगरों तथा महिलाओं) को लाभप्रद रोजगार अवश्य प्रदान करना चाहिए।

(ख) ये रोजगार के अवसर विद्यमान स्थानीय संसाधनों—मानव, पशु; पौधा भूमी, जल; खनिज तथा अन्य संसधनों—का अधिकतम उपयोग करके विज्ञान तथा प्रौद्-योगिकी के माध्यम से पैदा किये जाने चाहिएं।

(ग) कार्यक्रम चलाने में काफ़ी सरल तथा यह सुनिश्चित करने में काफी सुलभ होना चाहिये कि यह उसी प्रकार की अथवा बदलती हुई परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के लिये आत्मनिर्भर तथा सक्षम है।

इस कार्यक्रम की करीब ग्रामीणों के पक्ष में रचनात्मक प्रवृति होगी, इसमें विद्यमान स्थानी संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये कार्यवाही योजनाएं तैयार करने में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी निवेश शामिल हैं और अंत में, इसमें स्थानीय समाज से लिये गये शिक्षक, वैज्ञानिक तथा युवक हैं जो योजनाओं के मौसौदों की विधीक्षा करेंगे और इन योजनाओं को कार्यवाही का रूप देंगे। इसका कोई अपरिवर्तनीय ढाचां नहीं होगा और प्रत्येक योजना स्थानीय परिस्थितियों और संभावनाओं के अनुरूप तैयार की जायेगी।

वित्त मंत्रालय के 1976-77 के बजट में 15 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों के लिये अब तक कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं चूंकी कार्यवाही योजनाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

केरल में नेय्यर कमांड क्षेत्र में भूमि तथा जल प्रबन्ध परियोजना

1951. श्री वी० के० चन्द्रन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान नेय्यर कमाण्ड क्षेत्र में भूमि तथा जल प्रबंध संबंधी

मार्गदर्शी परियोजना को जारी करने के लिये केरल सरकार का प्रस्ताव लम्बे अर्से के केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है : और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1976-77 के दौरान नैय्यर व माण्ड क्षेत्र में मृदा तथा जल प्रबंध की मार्गदर्शी परियोजना जारी रखने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं पड़ा हुआ है। इसे 1976-77 में जारी रखने की मंजूरी पहले ही जारी कर दी गई है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

केसरी दाल की खेती पर रोक

1932. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री आर० के० सिन्हा :
श्री राम भगत पासवान :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य ने केसरी दाल की खेती पर रोक लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश केसरी दाल (निषेध) अध्यादेश, 1976" नामक अध्यादेश का एक मसौदा भेजा है। इस अध्यादेश के उपबंधों में न केवल केसरी दाल की खेती करने पर, बल्कि इससे बने किसी भी पदार्थ की बिक्री या विनिर्माण पर भी रोक है। अध्यादेश के मसौदे का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(1) केसरी दाल (लेथिरस साटिवस) की खेती नही करेगा, अथवा

(2) केसरी दाल (लेथिरस साटिवस) या इससे बने किसी पदार्थ की बिक्री या उसकी बिक्री के लिये पेशकश नहीं करेगा, अथवा किसी भी नाम से बिक्री के प्रयोजन के लिये उसे अपने पास नहीं रखेगा, या बिक्री करने के लिये कोई पदार्थ बनाने के लिये एक वस्तु के रूप में इसे प्रयोग में नहीं लायेगा, या

(3) केसरी दाल (साबूत) या केसरी दाल (लेथिरस साटिवस) से बना कोई पदार्थ विनिर्मित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजन के लिये साबुत केसरी के आटे, केसरी दाल के आटे या साबुत केसरी दाल या केसारी दाल का चने (सिसर एरीटिनम) या चने की दाल या चने के आटे अथवा किसी भी अन्य दाल या आटे के साथ मिश्रण केसरी दाल का उत्पादोत्पाद माना जायेगा।

भारत सरकार इस अध्यादेश के मसौदे पर विचार कर रही है।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किये गये खाद्यान्न

1933. श्री पी० गंगादेव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष के प्रथम छः माह के दौरान केन्द्रीय पूल से राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को गेहूं, चावल तथा मोटे अनाजों का कुल कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ;

(ख) क्या राज्यों को आवंटित कुल मात्रा उठाई नहीं गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे): (क) 41.95 लाख मीटरी टन ।

(ख) और (ग) खुले बाजार में खाद्यान्नों की सुगम उपलब्धता के कारण सरकारी वितरण प्रणाली से मांग कम थी और इसलिए केन्द्रीय पूल से सारी आवंटित मात्रा नहीं ली गई थी ।

मद्रास नगर क्षेत्र में नगर-विकास की आवश्यकताओं सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1934. श्री एम० कतामुतु : क्या निर्माण और आवास मंत्री मद्रास नगरीय विकास परियोजना के बारे में 10 मई, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 746 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर क्षेत्र की नगर विकास आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु नियुक्त समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में राशन की दुकानों पर अधिक मूल्य पर चावल और गेहूं की बिक्री

1935. श्री सरोज मुकर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और अन्य राशन वाले क्षेत्रों के नागरिकों को विवश होकर 154 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर चावल खरीदना पड़ता है यद्यपि चावल का क्रय मूल्य 119 रुपए प्रति क्विंटल है तथा 140 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदना पड़ता है जबकि इसका क्रय मूल्य 105 रुपए प्रति क्विंटल है ;

(ख) यदि हां, तो राशन की दुकानों से चावल और गेहूं बेचकर इतना लाभ कमाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कलकत्ता की जनता को खाद्य सेला चावल प्राप्त हो सके जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में से ही वसूल किया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में गेहूं (खुला अनाज) का क्रय मूल्य 105 रु० प्रति क्विंटल है और मोटे चावल का निकासी क्रय मूल्य 117 रु० से 127 रु० प्रति क्विंटल भिन्न-भिन्न है। भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति और वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चों को ध्यान में रखकर गेहूं और मोटे चावल के केन्द्रीय निगम मूल्य क्रमशः 125 रु० और 135 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं और इनमें राजसहायता का अंश पहले ही शामिल है।

केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वितरण पर होने वाले प्रासंगिक खर्चों, खुदरा व्यापारियों के लाभ और राज्य के प्रशासनिक खर्चों को शामिल करने के बाद राज्य सरकार उपभोक्ता निर्गम मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य गेहूं के बारे में 140 रु० प्रति क्विंटल और मोटे चावल के लिए 154/- रु० प्रति क्विंटल बैठता है।

खुदरा व्यापारियों के लाभ के अलावा, कोई और लाभांश शामिल नहीं होता है क्योंकि केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को राज-सहायता दी जाती है।

(ग) आन्तरिक स्रोत से अधिप्राप्त किए गए और केन्द्रीय पूल से आवंटित चावल में से कौन से चावल को कलकत्ता को अथवा अन्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाना चाहिए, इस बारे में राज्य सरकार को निर्णय करना होता है। तथापि, पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्रीय पूल से आवंटनों में यथासम्भव अधिकतम सेला चावल की मात्रा देने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किये जाते हैं।

कृषि के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का उत्पादन पर प्रभाव

1936. श्री एस० बी० पाटिल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनिक उर्वरकों के मूल्यों, कृषि मजदूरी, सिंचाई दरों, बिजली दर तथा बीज आदि के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप गन्ना, कपास और अन्य अनाजों को उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है तथा वर्तमान निर्धारित मूल्यों के कारण किसानों को भारी हानि होती है तथा इसका परवर्ती उत्पादन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) गत वर्ष के दौरान उर्वरकों की कीमतें, जोकि फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण आदान हैं, जुलाई, 1975 से बारम्बार कम की गई है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे जाने वाले प्रमाणित बीजों की कीमतें भी कम कर दी गई हैं ; दूसरी ओर कुछ अन्य कृषि आदानों की कीमतें/दरें जैसे सिंचाई की दरें, कृषि मजदूरी बढ़ गई हैं। आकलित मूल्य निर्धारित करते समय आदानों की लागत में परिवर्तन तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। गन्ने और कपास की बिक्री से किसानों को मिलने वाले मूल्य आमतौर पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों से अधिक होते हैं। धान्यों के मामले में, वसूली के कार्यों से बाजार मूल्यों के वसूली मूल्यों से नीचे गिरने से रोकने में सहायता मिली है।

तिल का उत्पादन

1937. श्री डी० जी० चन्द्र गौडा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिल के उत्पादन में भी वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) 1975–76 में 4.65 लाख मीटरी टन तिल के उत्पादन का अनुमान है, जबकि 1974-75 में 3.92 मीटरी टन तिल का उत्पादन हुआ था। इससे लगभग 18.6 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है।

नदियों द्वारा उड़ीसा में हुई हानि

1938. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई ग्रामों को जलमग्न करके नदियों द्वारा की गई हानि के बारे में केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य की ओर से रिपोर्ट मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में बाढ़ पीड़ितों को केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि बोलंगिरि, कालाहांडी, कोरापुर, पुरी और फुलबनी के जिले जुलाई-अगस्त, 1976 की बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भारी वर्षा से काफी क्षति हुई है।

(ख) सरकार द्वारा छठवें वित्त आयोग की सिफारशें स्वीकार करने के फलस्वरुप, राज्य सरकार को आयोग द्वारा प्रदान की गई "मर्जिन" धनराशि की सहायता से तथा अपने योजना परिव्यय में समुचित समायोजन करके अपने ही संसाधनों से राहत कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करनी होती है।

नगरों से भिखारियों का निकाला जाना

1939. श्री एस० आर० दामाणी :
श्री भगीरथ भंवर :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों और कस्बो से भिखारियों के निकालने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में केन्द्रीय सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बंध में भी ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) ग्रेटर बम्बई से भिखारियों को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को संशोधित किया है।

(ख) एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने भी इस संबंध में कदम उठाए हैं। उदाहरणार्थ 1975-76 में 4935 भिखारी गिरफ्तार किए गए थे। वे कुछ कार्य केन्द्रों का विकास करने तथा विकास विभाग को उनकी परियोजनाओं के लिए शारीरिक रूप से योग्य भिखारियों को उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। वे इस सदन तथा कार्य केन्द्रो में स्थान को बढ़ाने की भी योजना बना रहे हैं।

विवरण

भिक्षावृत्ति की बुराई को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेटर बम्बई के क्षेत्र से सभी प्रकार के भिखारियों को गिरफ्तार करने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम शुरु किया है। सभी योग्य शरीर वाले भिखारियों को नगर से निकाल दिया जाता है और उन्हें रोजगार दिया जाता है ताकि वे सचमुच रोजी कमा सकें। जो भिखारी नगर से निकाले जाने के आदेश का उल्लंघन करते हैं और ग्रेटर बम्बई क्षेत्र में लौट आते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है।

2. ग्रेटर बम्बई के एक उप नगर गोरे गांव में एक विशेष स्वागत केन्द्र स्थापित किया गया है। गिरफ्तार किए गए भिखारियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की दो अदालतें स्थापित की गई हैं ?

3. निर्योग्य; रोगी अथवा वृद्ध और अशक्त भिखारियों को एक सरकारी संस्था में रखा जाता है जहां उनका भरण-पोषण और चिकित्सा की देखभाल की जाती है। बाल भिखारियों को केन्द्रीय बम्बई में रिमांड होम में रखा जाता है जहां उनका न केवल आवश्यक भरण-पोषण किया जाता है बल्कि दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कुछ बुनियादी प्रारम्भिक शिक्षा भी दी जाती है।

4. इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर जन सहयोग प्राप्त करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं। सदस्यों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिनका लोक सेवा का विशिष्ट रिकार्ड है। इस राज्य स्तरीय समिति की सहायता एक छोटी कार्यकारी समिति करती है। समाज कल्याण के राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा राज्य स्तरीय समिति के कुछ सदस्य इसके सदस्य हैं।

5. मुख्य मंत्री के राहत कोष के अन्तर्गत मुख्य मंत्री राहत कोष (पीड़ित व्यक्तियों की राहत) के नाम से एक अलग कोष स्थापित किया गया है। कोष के धन का उपयोग न केवल भिखारियों बल्कि समाज के अन्य पीड़ित वर्गों अर्थात् अनाथ, निराश्रित बच्चों, पीड़ित महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, की पुनर्वास और कल्याण की योजनाओं के लिए भी किया जाएगा।

6. भिक्षावृत्ति निवारण के संदेश को फैलाने के लिए एक गहन अभियान चलाया जा रहा है।

7. 20 अगस्त, 1976 तक 9900 भिखारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 3333 शारीरिक रूप से योग्य हैं। उन्हें नगर से निकाल दिया गया है, और अहमदाबाद जिले में कुकडी और जकवाड़ी सिंचाई परियोजनाओं के स्थानों पर भेज दिया गया है तथा दैनिक मजदूरी के आधार पर

रोजगार दिया गया है। 4215 भिखारी, जिन्हें निर्योग्य, वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है, वर्तमान भिखारी सदनों में रखे गए हैं तथा 250 किशोर भिखारियों को रिमांड होम में रखा गया है ।

विंडसर प्लेस, जनपथ और अशोक रोड और रायसीना रोड, नई दिल्ली पर बंगलों का गिराया जाना

1940. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विडंसर प्लेस, जनपथ, अशोक रोड और रायसीना रोड पर कुछ बंगलों को गिराया जायेगा ; और

(ख) इस भूमि का किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित ज़ोनल प्लान की आवश्यकताओं के अनुसार होटलों की स्थापना के लिये भूमि प्रयोग की जाएगी ।

Appointment of Youth Co-ordinator in Nehru Yuvak Kendra

†1941. **Shrimati Savitri Shyam :**
Shri Shanker Rao Savant :

Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether rules governing *ad-hoc* appointment on the post of youth co-ordinator in Nehru Yuvak Kendra (Nehru Youth Centre) have been revised ;

(b) if so, the outlines thereof ;

(c) whether a decision has been taken to fill the vacant posts of youth co-ordinator now only by appointing Government employees on deputation ; and

(d) if so, when such decision was taken ?

The Duputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (d) The recruitment rules for the post of Youth Coordinator of Nehru Yuvak Kendras have not been finalised. Meanwhile, the posts of Youth Coordinators are being filled on an *ad-hoc* basis. According to the present practice names are invited from the State Governments and the persons so nominated are interviewed by the Central Selection Committee and appointments are made on the recommendations of that Committee. The Government prefer to appoint officers on deputation.

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई

1942. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य ने 1975-76 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है ; और

(ख) गण्डक, कोसी, लैसोन हाई वल नहर, और चन्दन जलाश्य नामक चार बड़ी परियोजनाओं से, हैक्टेयर में, क्या सुविधाएं दी गई हैं तथा उनके लक्ष्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) 1975-76 में बृहत तथा मध्यम स्कीमों के जरिए बिहार में सिंचाई शक्यता में लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि की गई।

(ख) इन स्कीमों से जितना शक्यता सृजन करने का लक्ष्य था और जितनी सृजित की गई वह नीचे दी गई है :—

	अन्ततः लाभ	प्राप्त लाभ
		(हजार हैक्टेयर)
1. गण्डक	1151	435
2. कोसी (पश्चिमी कोसी और राजपुर नहरों सहित)	873	410
3. सोन उच्च स्तरीय नहर	161	110
4. चन्दन जलाशय	63	63

अमरीका में खाद्यान्नों के आयात में कदाचारों की जांच

1943. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका अनाज कम्पनियों द्वारा भारत को खाद्यान्नों का निर्यात करते समय किये गये कदाचारों के बारे में जांच पूरी हो गई है ; यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले ;

(ख) क्या इन कदाचारों के लिए सरकार का विचार किसी मुआवजे का दावा करने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कुछ अमरीका अनाज निर्यातकों के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम द्वारा अमरीकी न्यायालयों में दायर किये गये कुछ मुकदमों की स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत सहित विभिन्न देशों को अनाज का निर्यात करने में संयुक्त राज्य की अनाज कम्पनियों द्वारा किए गए कदाचारों की संयुक्त राज्य सरकार द्वारा अभी भी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). सरकार ने हाल ही में न्यूयार्क के दक्षिणी क्षेत्र के फैडरल जिला न्यायालय में मई के प्रथम सप्ताह में संयुक्त राज्य की अनाज सप्लाई करने वाली पांच फर्मों के विरुद्ध प्रारम्भिक दावे दायर किए हैं जिनमें 1961 से 1975 तक की अवधि के दौरान जहाजों द्वारा भेजे गए अनाज के बारे में हरजाना देने के लिए कहा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय

1944. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रमीण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में सरकार का विचार एक केन्द्रीय निकाय स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निकाय क्या कार्य करेगा ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) जी; नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन कार्यक्रम

1945. श्री के० मालन्ना : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी योजनाओं के पूरा होने पर खाद्य उत्पादन में सम्भावित वृद्धि का अनुमान लगाया है ; और

(ख) कर्नाटक राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये भेजे गये कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के पूर्ण होने पर खाद्य उत्पादन में होने वाली वृद्धि का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है, क्योंकि (1) कुछ योजनाओ का खाद्य उत्पादन पर केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, (2) इससे केवल खाद्यान्नों को जो लाभ होंगे उनको पृथक-पृथक करना कठिन है और (3) खाद्यान्नों का उत्पादन, कई बातो पर निर्भर करेगा, जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत की योजनाएं केवल एक अंश हैं ।

(ख) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ देश में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 50 लाख हैक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता का सृजन करने का विचार है । 50 लाख हैक्टार के कार्यक्रम में से कर्नाटक राज्य का शेयर 212,000 हैक्टार है । वर्ष 1975-76 के दौरान राज्य में 45,000 हैक्टार क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता तैयार की गई थी । वर्ष 1976-77 के लिये 37,000 हैक्टार की अतिरिक्त क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है । शेष 130,000 हैक्टार क्षेत्र की अतिरिक्त क्षमता वर्ष 1977-79 के दौरान सृजित की जायेगी । कर्नाटक सहित सब राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी चाल सिंचाई योजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि, आदि प्रदान करें ताकि योजनाएं यथा शीघ्र पूरी हो सकें । वर्ष 1975-76 के दौरान कर्नाटक सरकार को मालप्रभा योजना पर निर्माण-कार्य शीघ्र करने के लिए 2.15 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी ।

Whips' Conference

1946. **Shri Ramavatar Shastri** ; Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Questions No. 587 on 15th March, 1976 regarding Whips' Conference and state whether any decision has been taken about the date and venue of the next All India Whips' Conference ?

Minister of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramaiah) No decision has yet been taken regarding the date and venue of the next All India Whips' Conference.

बिहार में बागमती, कमला और कोसी नदियों पर बहुप्रयोजनीय बाँधों के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

1947. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 10 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3650, 3651 और 3669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बाढ़, सूखा और बिजली की कमी की समस्याओं को प्रभावपूर्ण ढंग

से हल करने की दृष्टि से नुन्था के समीप बागमती नदी पर, कमला नदी पर और दराहखेत्रा के समीप कोसी नदी पर बहु-प्रयोजनीय बांधों के सुझावों के बारे में लाभ, व्यवहार्यता, लागत और लाभों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए बहुत पहले सर्वेक्षण कर लिया गया था तथा नेपाल सरकार की सहमति से प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया था ।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए नेपाल के साथ हाल में बातचीत हुई है अथवा हो रही है यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह): (क) से (घ). 1950 में विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के पश्चात् नेपाल में बराह क्षेत्र में कोसी पर एक उच्च बांध के निर्माण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी । कोसी पर वैकल्पिक स्थलों पर भी बांध के निर्माण के लिए अन्वेषण किये गये थे लेकिन ये स्थल उपयुक्त नहीं पाए गए थे । चूंकि ये अन्वेषण बहुत समय पहले किये गये थे, इसलिए यह आवश्यक है कि इन अन्वेषणों को अद्यतन किया जाए और परियोजना की लागत को संशोधित किया जाए तथा लाभों का पुनः मूल्यांकन किया जाए ।

चूंकि कोसी, बागमती और कमला पर बांधों के निर्माण के लिए स्थल नेपाल की सीमा में पड़ते हैं इसलिए सर्वेक्षण करने के लिए नेपाल की महामहिम सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा ।

अभी तक नेपाल की महामहिम सरकार के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करना संभव नहीं हो पाया है । बहरहाल, उपयुक्त समय पर नेपाल की महामहिम सरकार के साथ इस मामले को उठाने के प्रयत्न किए जायेंगे ।

Assessment and Expenditure on C. D. Blocks

1948. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred or being incurred by the Central Government on Community Development Blocks indicating the expenditure incurred in each State during 1975-76 ;

(b) whether Government have assessed the works done by the Community Development Blocks ; and

(c) if so, the outcome thereof and whether Government are satisfied with their work ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) In pursuance of the decision of the National Development Council the Community Development Programme was categorised as a State Plan Scheme and transferred to the State Sector with effect from 1st April, 1969, as such we do not have expenditure figures in respect of C.D. Blocks ;

(*b*) and (*c*) the C. D. Programme scheme being State Plan Schemes, the question of assessment does not arise.

Demand For 'Panchang' In Foreign Countries

†1949. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether according to Bhartiya Jyotish Society (Indian Astrological Society) various kinds of 'Panchang' (calendars) published in India are in great demand in foreign countries especially in Western countries ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) The Government have no information.

(b) Does not arise.

दक्षिण दिल्ली में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में आग

1950. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान हाऊसिंग फ़ैक्टरी के अहाते में 30 जून, 1976 को भीषण आग लगी थी ;

(ख) क्या ग्यारह घण्टे तक भी उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या उसी शाम आग फ़िर भड़क उठी थी ; और

(घ) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और इससे फ़क्टरी की सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). 30 जून, 1976 को प्रातः काल लगभग 2.45 बजे हिन्दुस्तान हाउसिंग फ़ैक्टरी के परिसर में आग लगी दिखाई दी । तुरन्त आग बुझाने की गाड़ी बुलाई गई और वह प्रातः 3.13 बजे पहुंची और दोपहर बाद 2.10 बजे के लगभग आग पर काबू पा लिया गया । आग बुझाने में काफ़ी समय लगा क्योंकि पानी काफ़ी दूर से लाना पड़ा । शाम को थोड़ी आग फ़िर सुलग गई किन्तु उसे तुरन्त बुझा दिया गया । भारत सरकार के अग्नि शमन सलाहकार के अनुसार आग लगने का कारण यह था बुरादे के ढेर में स्वतः अधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण एकदम आग लग गई। फ़ैक्टरी को अंकित मूल्य के अनुसार लगभग 1,05,000 पए के नुकसान का अनुमान है ।

गेहूं की फसल पर कंडवा (स्मट) रोग का प्रभाव

1951. **श्री राम भगत पासवान :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रबी मौसम में गेहूं की फसल कंडवा रोग से गम्भीर रूप से ग्रस्त हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गेहूं की फसल को कुल कितना नुकसान हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). वर्ष 1975–76 के रबी के मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, पंजाब और उड़ीसा राज्यों में गेहूं पर किदरा कंडवा रोग का प्रकोप हुआ था । "किदरा कंडवा" रोग के कारण हुई हानि के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

खालों का अवैध व्यापार

1952. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी**. क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खालों के अवैध व्यापार के बारे में 2 अगस्त, 1976 के एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) खालों का कथित अवैध व्यापार करने वाली एयर फ्रांस विमान कम्पनी तथा उसके अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) रेंगने वाले तथा जंगली जानवरों की खालों की 73 गांठें, जिनमें 6,45,000 रुपए के मूल्य की गीदड़ की खालें शामिल हैं, एयर फ्रांस के जहाज द्वारा गुप्त रूप से ले जाने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें से कुछ पालम हवाई अड्डे पर तथा कुछ हवाई अड्डे के एयर फ्रांस कार्गो भाण्डागार में पकड़ी गई थीं । एयर फ्रांस के चार स्टाफ सदस्य पकड़े गए थे । 22–4–75 को इस धर पकड़ के मामले में, कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

कालकाजी बंगाली पुनर्वास कालोनी का दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा जाना

1953. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी बंगाली पुनर्वास कालोनी को खाली पड़े प्लाटों पर और गैर-आवंटित प्लाटों के निपटान के कार्य सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव है, और

(ख) क्या उन्हें इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और बड़ी संख्या में खाली पड़े प्लाटों को आवंटित करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां, एक नीति निर्णय के अनुसार, सामुदायिक केन्द्र, धार्मिक स्थलों, बाजार स्थलों और सामूहिक आवास जैसे आम प्रयोजनों के लिए निर्धारित भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) व्यक्तिगत रिहायशी प्लाटों, जो कालोनी में इधर-उधर बिखरे हुए हैं, का आवंटन पुनर्वास विभाग द्वारा ही किया जाता रहेगा ।

सेबों के भण्डारण और ग्रेडिंग के लिये आस्ट्रेलिया का सहयोग

1954. **श्री सैयद अहम्मद आगा** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने आस्ट्रेलिया के सहयोग से फलों के ग्रेडिंग और भण्डारण के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त सहयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ग) क्या इससे पूर्व जम्मू और काश्मीर सरकार ने फलों के प्रोसेसिंग के बारे में बुल्गारिया सरकार से सहयोग करने का प्रस्ताव रखा था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). जी हां। आस्ट्रेलिया सरकार से एक विशेषज्ञ की सेवाओं और उपस्कर के लिए अनुरोध किया गया है और आस्ट्रेलिया सरकार परीक्षण के लिए एक कुशल शीतागार शैड और पैकिंग शैड स्थापित करने हेतु दो वर्ष के लिए एक विशेषज्ञ और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गई है ।

(ग) जम्मू और काश्मीर सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था ।

Compensation for taking Over unauthorised Land in Delhi

1955. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have taken over the entire unauthorised land in Delhi ;

(b) Whether forms were got filled up on the 2nd January, 1976 from the persons who had purchased the land on power of attorney and could not construct houses thereon for some reasons ;

(c) Whether Government propose to give compensation to them ; and

(d) if so, by what time ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) It is not clear as to what is meant by the term "unauthorised land". However, Notifications for acquisition of lands, which are required for planned development of Delhi and other public purposes, have been mostly issued.

(b) In December, 1975/January, 1976 it was noticed that large number of persons had sold lands in trans-Jamuna area by executing powers of Attorney. The purchasers of such lands were asked to furnish details of the colonisers from/through whom plots were purchased by them so that the question of registering cases against them for selling lands in contravention of the provisions of the Delhi Lands (Restrictions of Transfer) Act, 1972, could be examined.

(c) Compensation will be paid to only those whose lands have been acquired directly from them and who are entitled to it under Land Acquisition Act, 1894.

(d) No definite date can be indicated as it depends on the time for completion of acquisition proceedings.

क्षति ग्रस्त अनाज

1956. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश; उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में पौलिथिन से ढके अनाज के खुले स्टाक को क्षति पहुंची थी;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त अनाज को अनधिकृत रूप से गड्ढों में दबा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समस्त राज्यों में हुई हानि का मल्यांकन करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में पोलिथिन से ढक कर खुले में रखे गए खाद्यान्नों की कुछ मात्रा वर्षा से प्रभावित हुई थी । प्रभावित स्टाक को साफ करने का कार्य किया जा रहा है और साफ करने संबंधी कार्य के पूरा होने के बाद ही क्षतिग्रस्त स्टाक की कुल मात्रा का पता लग पाएगा । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में इमलिया में डिपो स्टाफ द्वारा ही खाद्यान्न को अनधिकृत रूप से गड्ढों में दबा दिया गया था और निगम ने इस प्रकार दबाए गए क्षतिग्रस्त गेहूं की निवल मात्रा के बारे में लगभग 80 क्विंटल का अन्दाजा लगाया है ।

Employees Engaged in Publications in Education Ministry

1957. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the names of the publication cells of the Ministry, other than the Hindi Directorate, their publications and the number of employees engaged in editing and translation work there ;

(b) whether among the books published by the National Book Trust, English books have the largest number and the number of employees engaged on the publication of English books is also more ; and

(c) if so, the steps being taken to improve the position and encourage writing, publication and editing in official language, Hindi and other Indian languages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) In the Ministry, there are two publication Cells, one dealing with publications in English and the other with those in Hindi. In addition to a number of brochures, both in English and in Hindi, two Quarterly journals and one Monthly Digest in English and two Quarterly Journals and one Monthly Digest in Hindi are brought out by these Cells.

The number of employees engaged in editing and publising in the English Cell is 5, while the number employed in editing, translation work and publishing in Hindi is 9.

(b) No, Sir.

(c) Every effort is being made to bring out, wherever possible, Hindi versions of English publications. The number of such publications in Hindi has, through the years, been steadly increasing. To consolidate and strengthen publishing in Hindi still further the work of Hindi publications has been centralized in the Hindi Translation Unit of the Ministry.

Likewise, in the National Book Trust efforts are underway to publish books on an increasing scale in Indian languages under the series "National Biography", "State Series" etc.

संस्कृत के उत्थान के लिये धनराशि की व्यवस्था

1958. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में संस्कृत के उत्थान के लिए पिछली योजना की अपेक्षा 2.75 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है और चालू वित्तीय वर्ष में इस पर 1.2 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) संस्कृत के उत्थान के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृत विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए चौथी योजना में किये गये 2.75 करोड़ रुपये के प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग किया गया था और पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में 5.2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। चालू वित्त वर्ष की विभिन्न योजनागत तथा योजनेतर योजनाओं में 1.33 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की व्यवस्था है ।

उन विभिन्न योजनाओं की मख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, जिन्हें संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है :—

(1) **स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता :**—इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को उनके अनुमोदित खर्चे का 75% तक अनुदान के रूप में दिया जाता है । खर्चे में अध्यापकों का वेतन, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय उपकरण और भवन निर्माण के प्रयोजन से संबंधित राशि शामिल है ।

(2) **छात्रवृत्तियां :**—परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में शास्त्री और आचार्य अथवा उनके समकक्ष कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रति मास क्रमशः 60/- रु० और 100/- रुपये की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । आधुनिक विश्वविद्यालयों में, संस्कृत के छात्रों को इंटरमीडिएट, बी० ए०, एम० ए० तथा पी० एच० डी० पाठ्यक्रमों के लिए क्रमशः 40/- रु०, 50/- रु०, 100/- रु० और 200/- रु० की दर से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान करने की भी एक योजना है । उक्त योजना उन छात्रों को संस्कृत में अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, जो आचार्य कक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं । इस योजना के अन्तर्गत आम तौर पर एक अध्येता को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमास 200/- रु० की अदायगी की जाती है ।

(3) **प्रकाशन :**—भारत सरकार लेखकों और प्रकाशकों को संस्कृत में मूल पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए अनुदान देती है । यह स्थापित संस्थाओं और पुस्तकालयों

द्वारा प्रायोजित दुर्लभ पाण्डुलिपियों के लिए चयनात्मक संस्करणों के मुद्रण और प्रकाशन को भी प्रोत्साहित करती है, और वह पाण्डुलिपि पुस्तकालयों की उनके पास उपलब्ध पाण्डुलिपियों की वर्णनात्मक तालिका को तैयार करने में सहायता करती है, तथा संस्कृत में तथा संस्कृत से संबंधित प्रकाशित पुस्तकें भी पर्याप्त मात्रा में खरीदती हैं और संस्कृत पत्रिकाओं को अपनी कोटि और विषय वस्तु में सुधार करने की दृष्टि से नियमित सहायक-अनुदान देती है ।

(4) भारत सरकार राज्य सरकारों को संस्कृत को बढ़ावा देने के उनके कार्यक्रमों में उनकी सहायता भी करती है। यह सहायता एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दी जाती है, ऐसे प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हो, उनकी अन्य साधनों से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 1800/- रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है । संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करने और ऐसे हाई तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्यापन के लिए सुविधाएं प्रदान करने हेतु जहां ये सुविधाएं उपलब्ध न हो राज्य सरकारों को शतप्रतिशत सहायता भी दी जाती है ।

(5) सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नाम का एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना की है, जो उन पांच संस्कृत विद्यापीठों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध करता है जिनका संस्कृत के क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान केन्द्रों के रूप में विकास किया जा रहा है ।

(6) सरकार संस्कृत अध्ययन की भिन्न शाखाओं में अखिल भारतीय संस्कृत वाग्मिता प्रतियोगिता आयोजित करके संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों में वक्तृत्वकला को भी विकसित करती रही है ।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, जो कुछ समय से चल रही हैं, सरकार ने चालू वर्ष के दौरान नई योजनाएं आरम्भ की हैं । इस योजना में प्रत्येक राज्य की परम्परागत पाठशालाओं में आदर्श संस्थाओं के रूप में, चुनी हुई संस्थाओं का विकास करके, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं को स्थापित करने की व्यवस्था है । इस प्रकार से चुनी हुई संस्थाएं 95% तक अनुरक्षण अनुदान और भावी प्रयोजनाओं के लिए 50 से 60% तक के अनुदान के लिए हकदार होंगी ।

संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, उठाये गये कदमों के संबंध में, और अधिक विस्तृत ब्यौरे, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1975-76 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसे लोक सभा के सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है ।

ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने के लिये किसान सेवा समितियाँ

1959. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से ग्रामीण ऋण उपलब्ध करने हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक किसान सेवा समिति गठित करने के लिए कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी सेवा समितियां गठित हुई हैं ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अगस्त, 1975 में राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि "यह वांछनीय है कि देश में सभी जिलों में कृषक सेवा सोसायटियां, जो समन्वित ऋण सेवाएं तथा आपूर्तियां उपलब्ध करती हैं, गठित की जाएं और शुरू में लघु किसान विकास एजेंसी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र तथा कार्यक्रम तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आये जिलों में कम से कम एक कृषिक सेवा सोसायटी गठित की जानी चाहिए "राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रचालन क्षेत्र में कम से कम 20 कृषक सेवा सोसायटियां गठित की जाएं"।

(ख) विभिन्न राज्यों में अब तक 211 कृषक सेवा सोसायटियां गठित की गई हैं। गठित की गई कृषक सेवा सोसायटियो की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11300/76]

दिल्ली के न्यायालयों में कब्जा समाप्त करने सम्बन्धी मामले

1960. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली भाटक नियन्त्रक (संशोधन) अधिनियम, 1976 लागू होने की तारीख तक दिल्ली के न्यायालयों में दिल्ली भाटक नियन्त्रक अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कब्जा समाप्त करने सम्बन्धी कितने मामले विचाराधीन थे;

(ख) इस बीच कितने मामलों पर फैसला हो चुका है; और

(ग) क्या कब्जा समाप्त करने सम्बन्धी सभी मामलों पर, जो 1976 के संशोधित अधिनियम के लागू होने की तारीख तक दिल्ली के न्यायालयों में विचाराधीन थे, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संशोधित अधिनियम में निर्दिष्ट संक्षिप्त विचारण सम्बन्धी उपबन्ध लागू किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 4593 (1-12-1975 की स्थिति को)

(ख) 2475 (19-8-1976 की स्थिति को)

(ग) धारा 25ख में कोई विशिष्ट व्यवस्था नही है जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि उस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया, संशोधित अधिनियम के प्रवृत्त होनेकी तारीख को दिल्ली के न्यायालयों में निलम्बित पड़े मामलों पर लागू होगी।

तथापि विगत कानूनों के संबंध में न्यायालयों द्वारा दिए गए सामान्य अर्थ निर्णयों के अनुसार, संशोधित अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को न्यायालयों में निलम्बित पड़े मामलों पर कानून के उपबन्ध लागू होंगे जो धारा 25-ख द्वारा संशोधित किए गए हैं सिवाये उस मामले के जिसमें किराएदार पहले ही पेश हो चुका था तथा अपनी सफाई पेश कर चुका था।

अपंग व्यक्तियों के लिये रोजगार के बारे में विशेषज्ञ समिति

1961. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपंग व्यक्तियों के रोजगार के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी एक सिफ़ारिश यह है कि अपनी फर्मों में अधिकाधिक व्यक्तियों को नौकरियां देने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाए;

(ग) विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अन्य मुख्य सिफारिशों का सारांश क्या है; और

(घ) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

तमिलनाडु में हरिजनों के लिये मकानों का निर्माण

2962. **श्री मुरासोली मारन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने हरिजन आवास निगम ने गांव में स्वर्ण हिन्दुओं के मकानों के बीच हरिजनों के लिये नये मकानों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कापीराइट अधिनियम में संशोधन

1963. **श्री बरके जार्ज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कापीराइट अधिनियम को अद्यतन बनाने की दृष्टि से विभिन्न प्रकाशकों/उद्योगों/पुस्तकालयों/राज्यों के विचार जानने के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में प्रकाशकों/उद्योगों/पुस्तकालयों/राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार का कब तक विधेयक लाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां, (I) लेखकों को अधिक वास्तविक संरक्षण देने, (II) विद्यमान कापीराइट अधिनियम के कार्यकरण में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए जरूरी पाए गए कुछ परिवर्तनों को शामिल करने, और (III) जुलाई, 1971 में पेरिस में संशोधित कापीराइट के बारे में दो अन्तर्राष्ट्रीय अधिसमयों में विकासशील देशों को दी गई कुछ रियायतों का लाभ उठाने से संबंधित प्रस्तावों को विभिन्न संगठनों, राज्य सरकारों और कापीराइट में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को भेजा गया था। विशेषकर उन प्रस्तावों का सामान्य रूप से स्वागत किया गया है, जिनमें लेखकों को अधिक संरक्षण देने की मांग की गई है।

(ग) संशोधित बिल संसद में यथाशीघ्र पेश करने का विचार है।

दिल्ली में अस्वीकृत बस्तियों का सर्वेक्षण

1964. **श्री बरके जार्ज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में अस्वीकृत बस्तियों के सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1976 के एक स्थानीय हिन्दी दैनिक में प्रकाशित विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अस्वीकृत बस्तियों को स्वीकृति देने के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो घोषणा किस तारीख तक कर दी जायेगी; और

(ग) क्या उच्चस्तरीय समिति के निर्णय के अभाव में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त अस्वीकृत बस्तियों में सड़कों आदि के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1965. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के विकास के स्तर का पता लगाने के लिये उनका सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किन बातों का पता लगा और उन्होंने उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध विभाग को क्या उपाय सुझाये हैं;

(ग) शिक्षा की दृष्टि से किन जिलों को पिछड़े जिले पाया गया और उन जिलों के कालेजों को सुधारने के लिये किन-किन सुविधाओं और प्रस्तावों का सुझाव दिया गया; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1975–76 में विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के विकास के स्तर का पता लगाने के लिए आयोग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, आयोग ने उड़ीसा के बरहमपुर, सम्बलपुर और उत्कल तीन विश्वविद्यालयों की पांचवीं योजना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने हेतु, एक निरीक्षण समिति की नियुक्ति की थी। राज्य में शिक्षा और साक्षरता के मुख्य-मुख्य पहलुओं से संबंधित समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं :—

> "राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास संबंधी कार्यक्रमों का समन्वय तथा समेकन करने के लिये राज्य सरकार को राज्य में उच्चतम स्तर पर एक आयोजन एवं समन्वय सेल की स्थापना करनी चाहिए। इस सेल में इन तीनों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, राज्य के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि और लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि मनोनीत हो सकते हैं। ऐसे सेल की स्थापना से, राज्य में अन्तर विश्वविद्यालय सहयोग की प्रक्रिया में गति आएगी। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय स्तर पर एक योजना और समन्वयन समिति बन सकती है, जो विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का समय-समय पर पुनरीक्षण कर सकती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी परि-योजनाओं और योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन कर सकती है। कार्यक्रमों की प्रगति से संबंधित समय-समय पर किए जाने वाले मूल्यांकन से विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी उद्यतन जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी और जहां कहीं आवश्यक हो, वे उन्हें संशोधित तथा समायोजित भी कर सकेंगे।"

निरीक्षण समिति की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों के आधार पर, आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिए धन का निर्धारण राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों तथा उड़ीसा सरकार को सितम्बर, 1975 में भेज दिए गए हैं।

(ग) आयोग ने इस बात का पता स्वयं नहीं लगाया है कि शैक्षिक दृष्टि से राज्य में कौन सा जिला पिछड़ा हुआ है लेकिन योजना आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बोलनगीर, कलहन्दी, केयोनझर, कोरापुट, मयूरभंज, फूलवाणी, बालसोर तथा धेनकनाल के जिले राज्य के पिछड़े क्षेत्र/औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं। इन क्षेत्रों/जिलों के कालेजों से प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं के विकास तथा विस्तार के लिए सहायता के प्रस्तावों पर इस प्रकार के कालेजों की सहायता की सामान्य पात्रता की शर्तों में रियायत देते हुए आयोग विचार कर रहा है। आयोग ने यह भी निर्णय किया है कि उड़ीसा तथा उसी प्रकार के कुछ अन्य राज्यों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए कालेजों के विकास से संबंधित प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जाए ताकि ज़िला स्तर पर आयोजना तैयार की जा सके और यह निर्दिष्ट किया जा सके कि पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से किन कालेजों का विकास किया जाना चाहिए। इस निर्णय की सूचना राज्य सरकार को जनवरी, 1976 में दी गई थी। उस सुझाव के उत्तर में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हाल ही में आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कोटि के विकास हेतु प्रत्येक जिले में से एक अथवा दो कालेजों को चुनने का सुझाव भी दिया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1975–76 के दौरान उड़ीसा के तीन विश्वविद्यालयों की निम्नलिखित अनुदान दिए :—

विश्वविद्यालय का नाम	दिया गया अनुदान	
	विश्वविद्यालय	कालेज
	रुपये	रुपये
बरहामपुर	8,13,515 *526	2,52,200
सम्बलपुर	16,15,422 *11,782	2,67,483
उत्कल	29,06,420 *86,565	3,54,365 *875

*समायोजन द्वारा ।

उड़ीसा की नई प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनायें

1966. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, तकनीकी परामर्शदायी समिति और योजना आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष और पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में निष्पादन के लिए अभी तक उड़ीसा की कितनी नई प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ;

(ख) राज्य सरकार ने चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया है और केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को कितनी सहायता दी है; और

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप-योजना के अन्तर्गत प्रमुख अथवा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) योजना आयोग ने जनवरी, 1975 से अब तक उड़ीसा की एक बृहत और नौ मध्यम सिंचाई स्कीमें कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की हैं ।

(ख) उड़ीसा में पांचवीं योजना के दौरान बृहत तथा मध्यम सिंचाई कार्यक्रम के लिए 71 करोड़ रुपए के परिव्यय को अन्तरिम रुप से व्यवस्था की गई है जिसमें से 49.21 करोड़ रुपए निर्माणाधीन स्कीमों के लिए और 19.06 करोड़ रुपए नई स्कीमों के लिए हैं तथा शेष धन अन्वेषण तथा अनुसंधान कार्य के लिए है ।

पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में 22.51 करोड़ रुपए व्यय हुए थे । 1976–77 के लिए 19.90 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृति दी गई है ।

केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणो तथा अनुदानों के रुप में दी जाती है और यह किसी लेखा-शीर्ष, स्कीमों के समूह अथवा किसी विशेष परियोजना से सम्बन्द्ध नहीं होती । बहरहाल 1975–76 के दौरान निर्माण की गति को तेज करने के लिए महानदी डेल्टा परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी ।

(ग) 1976–77 के लिए बृहत तथा मध्यम स्कीमों के लिए 19.90 करोड़ रुपए के स्वीकृत परिव्यय में राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली 5 मध्यम स्कीमों और उप योजना क्षेत्रो में अवेन्षण के लिए 2.86 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

जनजातीय विकास क्षेत्र

1967. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने जन जातीय विकास क्षेत्र के कार्यकाल को पांचवीं पंच वर्षीय योजनावधि के अन्त तक बढा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय विकास क्षेत्रों के नाम क्या है, अपूर्ण योजनाओ को पूरा करने और चालू वर्ष तथा आने वाले वर्षों में नई योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक जनजातीय विकास क्षेत्र पर कितना व्यय किया जाएगा, और

(ग) गृह मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय के अनुसार जनजातीय विकास क्षेत्रो के लिए कितनी सहायता दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां । छः जनजातीय विकास एजेंसियों, जिन्होने 1971–72 से काय करना शुरु किया था, की परिचालन की अवधि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढा दी गई है ।

(ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 11301/76] ।

(ग) गृह मंत्रालय (पिड़छा वर्ग कल्याण) आवश्यकतानुसार आर्थिक तथा सामाजिक सेवा योजनाओं के कार्यान्वियन में निधियों के अन्तर को पूरा करके राज्य योजना तथा जनजातीय विकास एजेंसियों के प्रयत्नो की अनूपूर्ति करता है ।

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर व्यय की गई धनराशि

1968. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों पर वर्ष 1975–76 में कितनी धनराशि का व्यय किया गया और ऐसे नये तथा पुराने स्मारकों के संरक्षण हेतु 1976–77 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ख) राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन वाले स्मारकों के संरक्षण, रख-रखाव व खुदाई के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) स्मारकों को भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में लेने सम्बन्धी क्या कसौटी अपनाई गई है; और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन स्मारक कौन कौन से हैं ।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) से (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

1975–76 के दौरान उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारको पर रु० 7,11,660/– की धनराशि खर्च की गई । 1976–77 वर्ष के लिए रु० 9,90,180/– धनराशि आवंटित की की गई है ।

राज्य सरकारों के अपने पुरातत्व विभाग हैं और वे अपने पुरातात्विक कार्य-क्लापों के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करती है । फ़िर भी भारतीय पुरात्वत सर्वेक्षण, राज्य-सरकारों की प्रार्थनाओं पर यथासंभव सीमा तक तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायताओं की पूर्ति करता है ।

प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और वे अपने पुरातात्विक, ऐतिहासिक और वास्तुकलात्मक विशिष्ट गुणो के कारण राष्ट्रीय महत्व के माने जाते हैं, उनको ही भारत सरकार के नियंत्रण में लिया जाता है ।

जो स्मारक उपर्युक्त संवर्गों में नहीं आते, उनकी देखभाल प्रान्तीय सरकार करती है ।

तमिलनाडु सरकार को विश्व बैंक द्वारा गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये बहु-मंजिली इमारतें न बनाने का परामर्श

1969. श्री मुरासोली मारन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपने एक प्रतिवेदन में परामर्श दिया है कि तमिलनाडु सरकार के गन्दी बस्तियां साफ़ करने विषयक बोर्ड द्वारा गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये बहु-मंजिली इमारतों का निर्माण न किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) और (ख) एक मूल्यांकन मिशन ने जिसमें विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे, अप्रैल-मई, 1976 में मद्रास का दौरा किया और सहायता के लिए मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण की योजनाओं का मूल्यांकन किया । मिशन द्वारा व्यक्त एक विचार यह भी है कि यदि नगरों की गन्दी बस्ती समस्या को शीघ्र हल करना है तो उनके उन्मूलन की अपेक्षा उनके सुधार पर बल देना चाहिए ।

इसके साथ ही मिशन ने यह भी माना है कि कि गन्दी बस्ती उन्मूलन की बजाए गन्दी बस्ती सुधार पर बल देना अपने आप में पूर्ण नहीं है ।

सिन्धु घाटी लिपि को पढ़ना

1970. **श्री मुरासोली मारन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु घाटी लिपि को पढ़ने की दिशा में कोई नई रोशनी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) अनेक मूल्वान अनुशीलनों का प्रबंध किया गया है परन्तु इन्होंने लिपि के पढ़ने की दिशा में कोई मार्गदर्शन नहीं कराया है ।

सेवा से निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

1971. **श्री नरायण चन्द पाराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने पर उसके पुत्र अथवा निकटतम संबंधी को, यदि वह सरकारी कर्मचारी हो तो, सरकारी क्वार्टर अलाट करती है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस प्रकार के कितने क्वार्टर अलाट किये गए ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) 5 जुलाई, 1976 से पूर्व, सामान्य पूल वास के आवंटी के पात्र पुत्र, पुत्री, पत्नी/पति को वही आवास आवंटित किया जाता था यदि उसका वह संबंधी उस आवास का पात्र था या उससे बड़े टाइप के आवास का पात्र था । तब से सेवा निवृत्त व्यक्ति को आवंटित वही वास उसके पात्र संबंधी को आवंटित किया जाता है यदि वह अगले ऊंचे टाईप का पात्र है और यदि वह आवास विशेष अन्य किसी आवंटी को बदले में देना अपेक्षित नहीं है । ऐसे मामले में, पात्र संबंधी को उसकी पात्रता से अगला नीचे का टाइप क्वार्टर तदर्थ आधार पर दिया जाता है किन्तु सेवा निवृत कर्मचारी के द्वारा अधिकृत क्वार्टर के ऊंचे टाइप का क्वार्टर न हो । यदि पात्र संबंधी की पात्रता टाइप II या ऊंचे टाइप की है, उसे टाइप II का आवास आवंटित किया जाता है चाहे सेवा निवृत्त कर्मचारी टाइप I के आवास में रह रहा था ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तदर्थ आधार आवंटन में नियमित किए गए अथवा आवंटित किए गए क्वार्टरों की कुल संख्या 561 है ।

भगवान बुद्ध का जन्म दिवस

1972. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष भगवान बुद्ध के 2600वें जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिये कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित कार्यक्रमों को आयोजित करने का निर्णय किया गया है :—

(i) "विश्व की संस्कृति और सभ्यता में बौद्ध धर्म का योगदान" से सम्बन्धित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार ।

(ii) भारत में बौद्ध धर्म पर एक प्रदर्शनी, जिसमें पुस्तकें, मूर्तियां, चित्रकला तथा बौद्ध कला की अन्य कृतियां तथा बौद्ध धर्म से सम्बन्धित भारत में हाल ही में हुई पुरातत्वीय खोजें भी शामिल हैं ।

(iii) सरकार द्वारा पहले प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करणों का प्रकाशन ।

(iv) बौद्ध धर्म पर हाल ही की पुरात्तवीय खोजों के बारे में एक लघु वृत्त चित्र का निर्माण ।

(v) बौध भगवान के जीवन पर एक बैले अथवा 'सन-एट-लुमिएरे' शो का निर्माण ।

इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित राज्य सरकारों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से अपने क्षेत्रों में इसी प्रकार के महोत्सव आयोजित करने की संभावना के प्रश्न पर विचार करने के लिए भी अनुरोध किया गया है ।

तिब्बती अनुसंधान संस्थान

1973. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तिब्बती अनुसन्धान संस्थानों, स्कूलों तथा पुस्तकालयों के नाम क्या हैं जिनके लिये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) क्या इन संस्थानों में पाण्डुलिपियों/अनुवाद कार्यों के प्रकाशन के लिये भी कोई सहायता दी जाती है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11302/76]

(ख) जी नहीं।

संग्रहालय से गुम हुई कलाकृतियों के बारे में जाँच पड़ताल

1974. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संग्रहालयों से कितनी कलाकृतियां अब तक गुम हैं;

(ख) इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 1973 से सरकार संग्रहालय के लिए कितनी कलाकृतियां वापिस ला सकती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय संग्रहालयों और पुरात्तवीय संग्रहालयों में से अभी तक कुल 151 विभिन्न श्रेणियों की कलाकृतियां गुम हैं जिनमें पत्थर की मूर्तियों के कटे हुए विखण्ड, सिक्के इत्यादि भी शामिल हैं।

(ख) संग्रहालय के प्राधिकारियों द्वारा, विभागीय जांच पड़ताल करने के साथ-साथ इन चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दी गई है और कुछ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तहकीकात के लिए सौंप दिये गये हैं।

(ग) सरकार को 1973 से केन्द्रीय संग्रहालयों और पुरात्तवीय संग्रहालयों के लिए 67 कलाकृत्तियां वापिस मिल गई हैं।

बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में गन्दी बस्तियों के लिये आवास

1975. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, बंगलौर और पटना में कितने व्यक्ति गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं; और

(ख) सरकार ने उनके लिए आवास की उचित व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) गन्दी बस्तियो की जनसंख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि योजना आयोग द्वारा 1972 में नियुक्त किए गए कार्यकारी दल ने, 5 लाख तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले कुछ नगरों में गन्दी बस्तियों की वृद्धि का मूल्यांकन करते हुए अनुमान लगाया है कि नगरों की 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रह रही होगी।

(ख) गन्दी बस्तियों से सम्बन्धित दो योजनाएं हैं जो कार्यान्वित की जा रही हैं। पहली योजना का नाम गन्दी बस्ती उन्मूलन सुधार योजना है जो 1956 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अधीन, उन्मूलन अभियान के परिणाम-स्वरूप बेघर हुए गन्दी बस्तियों के निवासियों को खुले विकसित

प्लाट अथवा टेनीमेंट दिए जाते है। यह योजना गन्दी बस्तियों में सुधार करने पर भी विचार करती है ताकि उन्हें रहने योग्य बनाया जा सके। दूसरी योजना का नाम गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार योजना है जो 1972 में आरम्भ हुई थी। इस योजना के अधीन, जिन गन्दी बस्तियों में कम से कम दस वर्ष में उन्मूलन नहीं किया जाना है उन गन्दी बस्तियों में नलों सहित जलपूर्ति, नालियों, लैनों को चौड़ा करना और उनमें खाड़ंजे बिछाना आदि जैसी मूलभूत सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह प्रस्ताव है कि 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों की गन्दी बस्तियों अथवा जिन राज्यों में तीन लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाला कोई नगर न हो तो ऐसे राज्य में कम से कम एक नगर को इस योजना में शामिल किया जाए। ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

मूल्यों में स्वैच्छिक कटौती लागू करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त "सैल"

1976. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (दिल्ली) ने व्यापार के विभिन्न अंगों द्वारा मूल्यों में की गई स्वैच्छिक कटौतियों को लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त सैल बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उच्च शक्ति के सैल ने निम्नलिखित क्षेत्रों की दुकानों की जांच की थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या व्यापारियों ने वास्तव में मूल्य कम किए हैं, जैसा कि उन्होने वायदा किया था :–

आज़ाद मार्किट, बहादुरगढ़ रोड, तेलीवाड़ा, किशन गंज चौक, मोर सराय, कौड़िया पुल, चर्च रोड, हौज़ काज़ी, बल्लीमारान, हौज़ खास, छोटा बाजार (शाहदरा), अजमल खां रोड, कृष्ण नगर, झील (शाहदरा), बैंक स्ट्रीट, राजौरी गार्डन, कनाट प्लेस, अजमल खां पार्क, डब्ल्यू० ई० एरिया, खान मार्किट ।

भारतीय काजू विकास परिषद् की सिफारिशें

1977. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री भारतीय काजू विकास परिषद् के बारे में 26 अप्रैल, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1976 को कोचीन में हुई भारतीय काजू विकास परिषद की बैठक की सिफ़ारिश पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभू दास पटेल) : (क) तथा (ख) विकास परिषदों की सिफ़ारिशें सम्बन्धित विभागों/संगठनों को उपर्युक्त कार्यवाही के लिये भेजी जाती हैं। भारतीय काजूगिरी विकास परिषद द्वारा अपनी आठवीं बैठक में की गई सिफ़ारिशों के मामले में, सम्बन्धित विभागों/संगठनों के साथ कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Grants Given to Madhya Pradesh Housing Board

1978. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount of grants given to Madhya Pradesh Housing Board for the construction of residential houses during the period from 1974 to March, 1976, year-wise ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : According to the information furnished by the Government of Madhya Pradesh, Rs. 20 lakhs and Rs. 16 lakhs were given as grant to the Madhya Pradesh Housing Board for construction of houses under the Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community only during the years 1974-75 and 1975-76 respectively.

Additional Capacity for Foodgrains in Madhya Pradesh

1979. **Shri Hukam Chand Kachwai :** will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3166 on the 3rd May, 1976 regarding Central Warehousing Corporation Godowns in Madhya Pradesh and State

(a) the extent to which additional capacity has been increased during the period from March, 1973 to March, 1976 and the number of godowns taken on rent and the amount paid therefor in each year ;

(b) whether Food Corporation of India have godowns for the storage of ten lakh metric tonnes of foodgrains; and if so, the year-wise quantity of foodgrains stored in these godowns, separately during the period referred to in part (a) above ; and

(c) the year-wise quantity of foodgrains which got rotten and was eaten up or damaged by rodents and became unfit for human consumption ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) (*a*) : Central warehousing Corporation added a capacity of 29,645 tonnes including owned and hired during this period. The number of godowns taken on rent and the amount paid there for by CWC is as under :—

Year	No. of Godowns	Rent in Rs. for the year
1973-74	6	16,507·80
1974-75	10	51,740·60
1975-76	16	1,55,584.76

(*b*) : The storage capacity (owned and hired) available with Food Corporation of India in Madhya Paradesh at present is about 10 lakh tonnes. The stocks of foodgrains (including sugar) stored in the godowns were as under :—

Month ending	Stocks of foodgrains including sugar in '000 tonnes.
March, 1973	229·40
March, 1974	167·70
March, 1975	81·40
March, 1976	549·70

(c) Stocks in the godowns of public sector agencies like Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation etc., are stored properly and appropriate preservation techniques and rodent control measures are adopted as a result of which there is negligible damage to foodgrains. Precautions are also being taken to ensure that foodgrains which are stored over raised plinths are covered by rain proof polythene covers with adequate dunnage.

Expenditure on Ayacut Scheme in Madhya Pradesh

1980. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on Ayacut scheme in Chambal region of Madhya Pradesh so far and the nature of works executed indicating the places where these works have been executed and the expenditure incurred on these works so far ; and

(b) the additional amount proposed to be allocated under the Ayacut project so that the sanctioned amount does not fall short of the present needs of this region ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculure & Irrigation (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The expendirure incurred on Ayacut development work in Chambal region so far has been Rs. 406·31 lakhs. The nature of works executed places where executed, and the expenditure incurred on the works up to June, 1976, is furnished as under :

	Nature of work.	Expenditure (Rs. in Lakhs)	Places where executed.
1	Modernisation of irrigation works including main canal erosion protection ; canal capacity works ; canal control structures ; and aquatic weed control.	62·87	Tehsils of Sheopur, Sabalgarh, and Morena in the districts of Morena and Bhind.
2	Main Drainage.	23·95	Morena and Bhind districts.
3	On-farm developments works including field irrigation channals, field drains and land levelling & Shaping.	20·78	Villages of Hingona, Hirgo Sikrota in Morena Tehsil ; Torika, Dakegarh, Kuroli ; Shekhpur in Sabalgarh tehsil sadakapada, Narainpura in Sheopur tehsil ; Chitora, Bagdhara and Gohat in Gohat tehsil ; agora in Sheopur Tehsil ; Lalipura, Soikala, segarware, Semai and Saipur in Sabalgam tehsil ; Shahpura and Badapur in Bhind district.
4	Mandis	32·0	Morena, Jora, Kairaras, Sabalgarh, Sheopur Kala, Baroda and Ambah
5	Roads.	75·88	Sabalgarh-Agra Bombay Road Crossing. Premsar-Sasarda Road Premsar-Siranikhera Road. Sasarda-Jadini Road Brijgarhi -Kukroli Road Kukroli-Krishngarh Road. Nepri-Krishnagarh Road. nepri-Batrets Road.
6	Ravine Erosion Control	31·72	Morena district.
7	Misc. works	13·20	Morena and Behind districts.

(b) The Development of the Chambal Ayacut has been programmed in stages. The 1st stage of development is in progress and is scheduled to end in December, 1978. Finance required from year to year for the 1st stage of development are being fully provided.

अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

1981. **सोमनाथ चटर्जी** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिक उपज देने वाले बीजों की फ़सल के अन्तर्गत राज्य बार कितने प्रतिशत भूमि थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का के बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र, जिसके लिए अधिक उपज किस्म कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० —11303/76]

Excavation in Madhya Pradesh

†1982. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state

(a) whether exacavations have been done from the archaeolgical point of view in Madhya Pradesh ; if so, the names of the places in this regard and the result of these excavations ; and

(b) whether these excavations have proved that Sri Lanka was in Madhya Pradesh ; if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) A statement is attached. [Placed in Leteracy. *See* No. LT. 11304/76]

(b) No. Sir, None of the excavations mentioned in the statement is related to a ramayana site.

Cultivation of Improved Variety of Potato

1983. **Shri Bhagirath Bhanwar** : will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have received from Madhya Pradesh Government a scheme to increase the cultivation of improved varieties of potatoes in Malwa region and if so, the action being taken thereon :

(b) whether schemes to increase production of potatoes are bieng extended to various parts of the country keeping in view the targets regarding export and consumption of potatoes ; and

(c) the names of the States in which schemes for production of improved varieties of potatoes are in progress at present as also the schemes to be undertaken in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculure and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) ; (*a*) No such scheme has been received from the State Government of Madhya Pradesh.

(*b*) The Schemes are take up by the State Governments in the State Sector of the Plan

(*c*) The breeder's seed of improved varieties of potato for multiplication has been supplied to the following states during this year :—

1. Uttar Pradesh.
2. Punjab.
3. Haryana.
4. Himachal Pradesh.
5. Bihar.
6. Orissa.
7. Madhya Pradesh.
8. West Bengal.
9. Karnataka
10. Manipur.
11. Meghalaya.

In addition foundation seed is supplied to States and demand by the National Seeds Corporation.

Education In Concurrent List

†1984. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Education, Social Welfare And Culture** be pleased to State :

(a) whether a final decision to bring, 'Education' is the Concurrent List has been taken, if so, the salient features thereof ;

(b) what would be the obligations on the State Governments after Education is included in the Concurrent List ;

(c) whether the technical education is being considered separately ; and

(d) whether the State Governments were also consulted in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan) (a) : This is one of the points being considered in the context of the proposal to amend the Constitution.

(b), (c) and (d) : Do not arise.

विकलाँग बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला

1985. **श्री बरके जार्ज** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय को एक मंजिला इमारतों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों को प्रवेश देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) चालू शिक्षा सत्र के दौरान इन केन्द्रीय विद्यालयों में कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया; और

(ग) कितने बच्चों ने केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र दिये परन्तु उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है तथा यह एकत्रित करके सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) स्कूलों में दाखिला पाने के लिये विकलांग बच्चों द्वारा दिये गये आवेदन पत्रों का केन्द्रीय विद्यालय कोई रेकार्ड नहीं रखते हैं ।

सिक्कम में जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों का संरक्षण

1986. **श्री एस० के० राय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिक्किम राज्य के जीवजन्तुओं और पेड़-पौधों के संरक्षण के लिये किन्हीं शरण स्थानों का पता लगाया है और इस आशय की घोषणा की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि सिक्किम में अनेक प्रकार के फल उद्यानों और 'रोडेंडेनड्रन' की बहुतायत है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की कृषि नीति के अंग के रूप में वन विकास के लिये उसकी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं। तथापि, राज्य सरकार ने कंचनचंगा राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिये उत्तर-पूर्वी सिक्किम में एक क्षेत्र का पता लगाया है। राज्य सरकार ने 'रोडेंड्रन' और अल्पाइन वनस्पति के संरक्षण के लिये अधिक ऊंचाई के आरक्षण उद्यान के अलावा, तीन 'आरकिड' आश्रय-स्थल भी बनाये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार की वानिकी के विकास की योजनाओं में मृदा तथा जल संरक्षण की योजना के अंतर्गत 200 हैक्टार क्षेत्र पर वन-रोपण करने के अलावा, आरक्षित वनों में प्रतिवर्ष 500 हैक्टार क्षेत्र में वृक्ष-रोपण करना, और चालू वर्ष के दौरान सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत 280 हैक्टार बंजर भूमि तथा गांव के काटे गये वनों को फिर से लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, ईंधन-की लकड़ी की कमी की समस्या को हल करने के लिये गंगटोक के समीप 12 वर्ष के चक्र के आधार पर प्रतिवर्ष 160 हैक्टार क्षेत्र में ईंधन की लकड़ी का वृक्ष-रोपण किया जा रहा है। सिक्किम के वनों का नक्शा तैयार किया जा रहा है और वन-संसाधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण इस वर्ष अक्तूबर से शुरू होगा।

सिक्किम में पौधा संरक्षण संगठन

1987. **श्री एस० के० राय** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि फसलों की कीटों तथा बीमारियों संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिये उस राज्य में पौधा संरक्षण संगठन की स्थापना की जाये; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने भूमि संरक्षण तथा भूमि उपयोग के लिये उपयुक्त कानून बनाने के लिये भी सुझाव दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सिक्किम राज्य में पौध संरक्षण स्थापित करने के संबंध में उस राज्य से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि यह महसूस किया जाता है कि राज्यों में फसलों की नई अधिक उपज देने वाली किस्मों को आरम्भ करने से पहले वनस्पति संरक्षण के लिए मूल सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक होगा। इनके न होने पर कीटों तथा बीमारियों की संख्या में वृद्धि होगी। चूंकि राज्य सरकार स्वयं इस कार्य को करने में समर्थ नहीं है, अतः सिक्किम में केन्द्रीय वनस्पति संरक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(ख) सिक्किम सरकार भूमि तथा जल संरक्षण के लिए उपयुक्त कानुन बनाने के संबंध में विचार कर रही है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा आवश्यक सहायता दी जा रही है।

सिक्किम में निरक्षरता

1988. **श्री एस० के० राय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम राज्य में निरक्षरता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है और क्या सरकार ने राज्य में व्यस्क निरक्षर लोगों को शिक्षा देने के लिये कोई योजना आरम्भ की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत की 1971 की जनगणना के साथ, तत्कालिन सिक्किम की सरकार ने अप्रैल, 1971 में, निदेशक, जनगणना परिचालन, पश्चिम बंगाल की तकनीकी सहायता से राज्य की जनगणना कराई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निरक्षरता के बारे में भी सूचना एकत्रित की गई थी।

(ख) तत्कालीन सिक्किम सरकार द्वारा की गई 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में विभिन्न आयु वर्गो के कुल निरक्षरों की जनसंख्या इस प्रकार है :—

आयुवर्ग	कुल जनसंख्या	निरक्षर
5—9 . . .	27,663	25,475
10—14 . . .	27,428	23,888
15—19 . . .	21,204	16,223
20—24 .	18,976	12,681
25—34 . .	36,199	27,362
35 . . .	52,583	81,196
सभी आयु . .	209,843	172,613

भारत सरकार ने राज्य में 1975–76 में 2 मुख्य कायक्रम शुरू किये थे, अर्थात् 15–25 आयु वर्ग के युवकों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा और वयस्क महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता दे रही है और इन को राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

तमिलनाडु में गन्दी बस्ती हटाये जाने सम्बन्धी योजना

1989. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार गन्दी बस्तियां हटाने संबंधी योजना को, जिसके अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए बहु-मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, छोड़कर गन्दी बस्ती सुधार योजना प्रारम्भ करने की दिशा में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निरक्षरता को समाप्त किया जाना

1990. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह निरक्षरता समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिये समय-समय पर सुझाव दिये गये हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में निरक्षरों की संख्या (0–4 आयुवर्ग को छोड़कर) लगभग 308 लाख हैं और इन सभी लोगों को एक सीमित अवधि में साक्षर करने के लिये भारी साधनों की आवश्यकता है। तथापि देश में निरक्षरता को दूर करने की कोशिश करने की तत्काल जरूरत से सरकार सचेत है और पांचवीं योजना में अपनाई गई शिक्षा की औपचारिक और गैर-औपचारिक नीतियां, अन्ततोगत्वा इस उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से ही बनाई गई हैं । निरक्षरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे दीर्घकालीन उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं : 6–14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि; उन लोगों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा, जो पूर्णकालिक स्कूल की सुविधाओं का लाभ उठा नहीं सकते; 15––25 आयु-वर्ग के युवकों के लिये गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम; विशेष वर्गों जैसे किसान, आदिवासी, महिला, शहरी गंदी बस्ती के निवासियों के लिये कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम शहरी कामगरों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा अनुगामी सहायक कायक्रम जैसे नवसाक्षरों के लिए साहित्य, निर्माण, पुस्तकालयों की स्थापना आदि। इन उपायों के साथ, राज्य सरकारों, कई स्वैच्छिक एजेंसियों, नेहरू युवक केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना इत्यादि द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों से यह आशा की जाती है कि देश में निरक्षरता की मात्रा में कमी हो जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में वित्तीय संकट

1991. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या चीनी के उद्योगपतियों ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सुझाव दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश की कुछेक फैक्ट्रियां श्रमिकों के बकायों का भुगतान करने, मरम्मत के लिए खर्च उठाने, गन्ने के मूल्य का भुगतान करने और क्रय कर देने तथा अन्य विविध खर्चे उठाने के लिए धनराशि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति इन चीनी फैक्ट्रियों की स्थिति की समीक्षा कर रही है। इन चीनी फैक्ट्रियों में से 9 फैक्ट्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सलाह दी थी कि वे अपने बैंकरों से तुरन्त ऋण लें और यदि आवश्यक हो तो सरकारी गारंटी से लें तथा गन्ने के बकायों का भुगतान करें और मरम्मत का कार्य शीघ्र करें ताकि 1976-77 के पेराई कार्य को समय से शुरू किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय, वित्तीय कठिनाइयों से ग्रस्त चीनी फैक्ट्रियों से क्रय कर एकत्रित करने के कार्य को स्थगित कर दिया है।

(ग) और (घ) चीनी मिलों और उनकी एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था कि :--

(1) 1974-75 और 1975-76 मौसम के लिए क्रय कर को पूर्णतया माफ कर दिया जाए।

(2) जब तक कर माफ करने के आदेश जारी नहीं किये जाते तब तक मौजूदा प्रेषणों पर वसूली स्थगित कर दी जाए।

(3) जब तक बैंक ऋण उपलब्ध नहीं किये जाते हैं तब तक गन्ने के बकायों का भुगतान करने के लिए समय दिया जाए।

(4) चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए अनुसूचित बैंकों को गारंटियां दी जाएं ताकि गन्ने के मूल्य का भुगतान करने, श्रमिकों के बकायों को देने, गैर-मौसमी मरम्मत आदि के बारे में उनके सांविधिक दायित्वों को पूरा किया जा सके।

पंजाब में ओला वृष्टि

1992. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने पंजाब में ओलावृष्टि से पीड़ित लोगो की सहायता के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटल) : (क) जी हां।

(ख) छठवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राहत सम्बन्धी उपायों की व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी होती है। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकारें आयोग द्वारा उन्हें अलाट की गई मार्जन धनराशि की सहायता से अपने निजी स्रोतों से करती हैं। तदनुसार, पंजाब में ओलावृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

कलकत्ता के लिये पेय जल की सप्लाई हेतु विश्व बैंक से सहायता

1993. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक के प्राधिकारियों ने कलकत्ता का दौरा किया था और कलकत्ता नगर में पेय जल की सप्लाई में सुधार हेतु सहायता देने की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं और क्या पेशकश को स्वीकार कर लिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक के एक शिष्टमण्डल ने पिछले महीने कलकत्ता का दौरा किया था और नगरिय विकास के विभिन्न प्रस्तावों पर, जिसमें शहर की जलपूर्ति में वृद्धि के लिए जलपूर्ति योजनाएं शामिल थीं, चर्चा की थी। इन प्रस्तावों पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

ग्रामीण जल सप्लाई योजना के लिये परिव्यय

1994. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में ग्रामीण जल सप्लाई योजना के लिए परिव्यय कम कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में काजू निगम

1995. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने काजू उत्पादक राज्यों को काजू की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर काजू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को राज्यवार काजू निगम बनाने का भी सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के भाग के रूप में काजू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिये पहले से ही कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही हैं ।

काजू निगमों के संबंध में केवल कर्नाटक सरकार ने उत्तर दिया है तथा राज्य काजू निगम की परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

फसल बीमा योजना

1996. **श्री रानेन सेन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा योजना को सफल बनाने का कोई प्रतिरोध किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण सहकारी समितियों का पुनर्गठन

1997. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**
श्री वी० वी० नायक :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन वर्गों के व्यक्तियों को सदस्य बनाने और सदस्य संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से देश की ग्रामीण सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने के लिए क्या उपाय किए गए है;

(ख) समिति का लाभप्रद आकार कितना माना गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जून, 1975 के अंत में 1.55 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियां थीं । पांचवी योजनावधि के अंत तक इन सोसायटियों की संख्या घटाकर 1.16 लाख सक्षम यूनिटें करने का प्रस्ताव है । पुनर्गठन के कार्यक्रमों में जनजातीय क्षेत्रों में कृषक सेवा सोसायटियों तथा वृहद आकार वाली बहु-उद्देशीय सोसायटियों का गठन भी शामिल है । असम तथा हरियाणा के राज्यों ने पुनर्गठन पूरा कर लिया है । अन्य राज्य सरकारों ने पहले से ही गठन के लिए एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है । केन्द्रीय ग्राम विकास विभाग, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्रगति की पुनरीक्षा की जा रही है । आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान जैसी कुछ राज्य सरकारों ने राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा नियमावली में भी संशोधन

किया है जिसमें कमजोर वर्गों के लोगों को उस तारीख से जिसको उन्होंने सोसायटी की सदस्यता के लिये आवेदन किया है, स्वाभाविक सदस्यता का अधिकार दिया गया है। अन्य राज्य सरकारें भी अपने राज्य कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही हैं।

(ख) सक्षमता के मानदंड ये हैं कि एक सोसायटी में एक पूर्ण कालिक वैतनिक सचिव होना चाहिए और उसका कम से कम 2.00 लाख रुपए का ऋण व्यापार होना चाहिए। एक सक्षम प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी के अन्तर्गत पुनर्गठन के बाद साधारणतः 2 अथवा 3 विद्यमान सोसायटियां होनी चाहिए। कृषक सेवा सोसायटी (छोटा माडल) अथवा वृहद आकार वाली बहु-उद्देशीय सोसायटी के प्रचालन क्षेत्र में औसतन 5 विद्यमान सोसायटियां होनी चाहिएं। खंड स्तर कृषक सेवा सोसायटी में अधिक संख्या हो सकती है।

भारतीय खाद्य निगम का कई क्विंटल गेहूं गोदाम में नीचे छिपाया जाना

1998. **श्री बसन्त साठे :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री एम० कतामतु :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री चिरंजीव झा।

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1976 के एक अंग्रजी दैनिक में 'क्विंटल्स आफ एफ० सी० आई० व्हीट गोज़ डाउन इन गोडाउन (भारतीय खाद्यय निगम का कई क्विंटल गेहूं गोदाम में नीचे छिपाया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है / किये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने 7 अगस्त, 1976 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित प्रैस रिपोर्ट देखी है। भारतीय खाद्य निगम ने इस मामले की जांच की है। जांच से विदित हुआ है कि जुलाई, 1976 के दूसरे पखवाड़े के दौरान लगातार वर्षा होने के कारण इस इलाके में पानी भर गया था जिससे दो चट्टों की नीचे की तह पानी से प्रभावित हो गयी थी। यह स्टाक खुले में प्लिथ पर पोलीथीन से ढक कर रखा गया था। जब डिपो के कर्मचारियों को इस क्षति का पता चला तब उन्होंने प्रभावित बोरियों को अलग कर दिया, उन्हें खोला और यथा सम्भव खाद्यान्नों को साफ कर दिया। क्षतिग्रस्त अनाज को अलग इक्ट्ठा किया गया। जब क्षतिग्रस्त अनाज से बदबू आने लगी, उच्च अधिकारियों को सूचना देने की कार्यविधि अपनाने के बजाय, डिपो के कर्मचारियों ने बाहर अहाते में गड्ढे खोदकर अनाज को उनमें भर दिया निगम ने अनुमान लगाया है कि क्षतिग्रस्त गेहूं की निबल मात्रा लगभग 80 क्विंटल थी। प्रारम्भिक जांच के आधार पर डिपो के सम्बन्धित सहायक प्रबन्धक और पांच अन्य कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। जांच-कार्य के पूरा हो जाने के बाद जिम्मेदार पाये जाने वाले स्टाफ के विरुद्ध आगामी कार्यवाही की जाएगी।

दक्षिण दिल्ली कैम्पस

1999. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली कैम्पस अधिक संख्या में छात्रों को आकर्षित करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति ने इसके कारणों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रो० नूरुल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार यह ठीक नहीं है कि दक्षिण दिल्ली कैम्पस अधिक छात्रों को आकर्षित करने में असफल रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

2000. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में मध्य आय वर्ग के लोगों को वर्ष 1974, 1975 तथा 1976 में कितने फ्लैट दिए हैं और इन फ्लैटों की बिक्री से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितनी धनराशि एकत्र की है, और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास फ्लैटों के लिए कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघरमैया) : (क) इस अवधि ने दौरान निम्नलिखित 3709 फ्लैट दिए गए है ;

1973–74	2410
1974–75	471
1975–76	828
कुल :	3709

मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की बिक्री की रकम को अलग से नहीं रखा गया है ।

(ख) मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 3700 व्यक्ति आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इन आंकड़ों में वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने 1976 के चालू पंजीकरण में मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के लिए आवेदन किए है ।

जूनागढ़ और राजकोट क्षेत्रों में सिंचाई

2001. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूनागढ़ और राजकोट क्षेत्रों में सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : गुजरात राज्य के जूनागढ़ और राजकोट जिलों में सिंचाई सुविधाएं मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यों और परम्परागत खुले कुओं से होने वाली प्रवाह सिंचाई द्वारा प्रदान की जाती हैं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1975–76 के अन्त तक जूनागढ़ जिले में 8740 हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता वाली 8 मध्यम सिंचाई स्कीमें और 1460 हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता वाली 6 लघु सिंचाई स्कीमें थीं और राजघाट जिले में 44130 हैक्टेयर की शक्यता वाली 10 मध्यम सिंचाई स्कीमें थीं और 14720 हैक्टेयर की शक्यता वाली 39 लघु सिंचाई निर्माण-कार्य थे। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ और राजकोट जिलों में सिंचाई के लिए क्रमशः 115 तथा 84 परम्परागत खुले कुएं हैं।

गुजरात में रुई, मूंगफली, अनाज और सब्जियों का उत्पादन

2002. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में कृषि उत्पादन अर्थात् रुई, मूंगफली, अनाज, सब्जियों और फलों आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल): कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अधिक बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न-लिखित विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं राज्य में क्रियान्वयन के लिए स्वीकार की गई हैं:—

1. सघन कपास जिला कार्यक्रम;
2. सघन तिलहन विकास कार्यक्रम
3. दालों का विकास
4. केले पर पैकेज कार्यक्रम
5. आम पर पैकेज कार्यक्रम।

सघन खेती के उपायों को विशेषकर सम्भाव्य क्षमता वाले क्षेत्रों में अपनाने, बहु फ़सली खेती के अन्तर्गत लघु अवधि वाली किस्मों की खेती द्वारा इन फ़सलों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने तथा किसानों को खेती की सुधरी हुई प्रणालियो के अपनाने के लिए शिक्षित करने के लिए प्रदर्शन आदि करके इन फ़सलों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए उपर्युक्त योजनाओ के अन्तर्गत प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुछ मौलिक आदानों पर राज सहायता के माध्यम

से तथा स्टाफ़ पर होने वाले कुल खर्च का भुगतान करके जहां योजनाओं के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ।

गेहूं, धान और मोटे अनाजों की नई अधिक उपज वाली किस्मों की खेती को लोकप्रिय बनाने में राज्य सरकार को सहायता देने के विचार से इन फ़सलों के लिए मिनीकिट को केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में सुधरे हुए बीज निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं ।

गुजरात को चीनी की सप्लाई

2003. **श्री एन० आर० वेकारिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, फ़रवरी और मार्च, 1976 के महीनों में गुजरात राज्य के चीनी के कोटे में कमी की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और कितनी कमी की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन-मौसम में खंडसारी चीनी की उपलब्धता, 1975–76 मौसम में चीनी के उत्पादन में गिरावट और उपयुक्त स्तर पर चीनी के निर्यात को बनाए रखने जैसी बातों को ध्यान में रख कर आन्तरिक उपज के लिए पहले निर्मुक्त की गई 2.25 लाख मीटरी टन लेवी चीनी की मासिक निर्मुक्ति की मात्रा को जनवरी, 1976 और उसके बाद घटाकर 2.05 लाख मीटरी टन कर देना पड़ा था । इसके परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों के चीनी के मासिक कोटे में समायोजन करना पड़ा था । जनवरी, 1976 और उसके बाद गुजरात राज्य का कोटा 17149 मीटरी टन प्रतिमास से घट कर 14031 मीटरी टन हो गया था । यह जुलाई से दिसम्बर, 1975 की अवधि में आवंटित किया गया था ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की नीलामी

2004. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में प्रतिवर्ष प्रत्येक श्रेणी में कितने फ्लैट बनाए जाते हैं तथा कितने नीलाम किए जाते हैं;

(ख) 1972 से 1976 तक इन फ्लैटों की बिक्री से कितनी धनराशि वसूल हुई; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास फ्लैटों के लिए अभी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न श्रेणियों के अब तक 28267 फ्लैट बनाए हैं । प्रत्येक वर्ष में अलाट किए गए फ्लैटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । फ्लैट नीलाम नहीं किए जाते हैं बल्कि ये उन लोगों को लाटरी द्वारा अलाट किए जाते हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में अपने नाम पंजीकृत करवाते हैं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1972–73 से 1974–75 के दौरान 1967.75 लाख रुपये के मूल्य के फ्लैट बेचे गए थे ।

(ग) लगभग 5500 आवेदन निलम्बित पड़े हैं।

विवरण

अलाटियों को दिए गए मकानों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	फ्लैट्स
1966–67	160
1967–68	16
1968–69	1138
1969–70	3513
1970–71	778
1971–72	8609
1972–73	3568
1973–74	6610
1974–75	2398
1975–76	1220
1976.	257
कुल	28,267

प्रसिद्ध कलाकारों के लिये मकानों का नियतन

2005. **श्री एस० एम० बनर्जी:** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध कलाकारों को दिल्ली में कुछ मकान अलाट किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों के लिये कितने मकान उपलब्ध हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसिद्ध कलाकारों के लिए विशेषकर कोई अलग से मकान उद्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकारों को आवंटित मकानो की संख्या छः है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये मकानों के निर्माण के लिये दिये गए ऋण का राज्यों द्वारा प्रयोग

2006. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने वर्ष 1974–75 और 1975–76 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये मकानों के निर्माण के लिए दिये गये ऋणों का प्रयोग किया है ; और

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने उक्त अवधि में अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ऋण दिये हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख). निर्माण और आवास मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिये पृथक से कोई योजना आरम्भ नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना सहित इस मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं निम्न आय वाले सभी व्यक्तियों, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं के लाभ के लिये हैं। ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। 'आवास' सहित सभी राज्य क्षेत्र का कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें, विभिन्न राज्य क्षेत्र का कार्यक्रमों के लिये अपनी निर्धारित आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निधियां निर्दिष्ट करने में स्वतन्त्र हैं। तथापि राज्य क्षेत्र में एक योजना है जिसमें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य सेवा प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये मकान बनाने हेतु 75% आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है। यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है तथा इसकी वित्त व्यवस्था राज्यों के समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों में से की जाती है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेश प्रशासनों द्वारा वर्ष 1975–76 और 1975–76 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों के कल्याण के लिये आरम्भ किये गये आवास कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त किये गये वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये सख्या एल० टी०— 11305/76]

मगध विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना

2007. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से बोध गया के मगध विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में सिंचाई परियोजना के विकास के लिये नियतन

2008. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में सिंचाई परियोजना के विकास के लिये और अधिक धनराशि आवंटित करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1976–77 के दौरान राज्यों को जिनमें गुजरात भी शामिल है, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने के प्रश्न पर कोई निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में किसान लघु एजेंसी

2009. **चौधरी नीति राज सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में लघु किसान विकास एजेन्सियों की संख्या 12 तक सीमित कर दी गई है ; और

(ख) क्या इस संख्या को 25 तक बढ़ाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश को पांचवी योजना में कुल 12 लघु किसान विकास एजेंसी परियोजनाएं बंटित की गई हैं जिनमें चौथी योजना में मंजूर की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) जी नहीं।

मध्य प्रदेश में बीज फार्म

2010. **चौधरी नीति राज सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सिधी जिले में 10 हजार एकड़ भूमि बीज-फार्म के लिए देने को सहमत हो गई है,

(ख) क्या उस राज्य ने बीज-फार्म के लिए अपनी सहमति केन्द्रीय सरकार को दे दी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने 1974 में केन्द्रीय राज्य फार्म स्थापित करने के लिए सिधी जिले में 13758 हैक्टेयर क्षेत्र की पेशकश की थी। स्थिति की जांच की गई थी, परन्तु पता चला कि सिंचाई की संभाव्यता असंतोषजनक होने के कारण उस क्षेत्र में केन्द्रीय फार्म स्थापित करना उचित नहीं होगा, इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य बीज परियोजना के लिए प्रस्तावित नहीं था।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती

2011. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 1970 में 1000 हैक्टेयर की तुलना में वर्ष 1975–76 में सोयाबीन की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 1 लाख हेक्टेयर किया है;

(ख) क्या उनकी योजना 1977–78 में सोयाबीन का क्षेत्र बढ़ाकर 2 लाख हेक्टेयर करने की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही राज्य में पर्याप्त संख्या में विलायक निस्सारण संयंत्र स्थापित करने का है ताकि सोयाबीन की खेती में वृद्धि हो और क्रेताओं के अभाव में नष्ट न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के 'जनता' मकान बहुत महंगे

2012. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए 'जनता' मकान उन व्यक्तियों के लिये बहुत मंहगे हैं, जिनके लिये वे बनाये गये हैं।

(ख) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम और अन्य आवास संगठन इन्हीं सुविधाओं वाले कम लागत वाले मकान बनाने में सफल हो गये हैं ;

(ग) क्या भूमि तथा निर्मित मकानों की बिक्री से दिल्ली विकास प्राधिकरण के लाभ में गत पांच वर्षों में बराबर वृद्धि होती रही है और ऐसी ही वृद्धि उसकी बेचे जाने वाली वस्तुओं की लागत में होती रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही है ; और यदि नहीं, तो ऐसे मकानों की लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख): मकान की लागत बहुत से कारणों पर निर्भर करती है जैसे मकान की भूमि का मूल्य, डिजाइन तथा फर्शी क्षेत्रफल, निर्माण के समय मजदूरी। अब तक अलाट किये गये जनता फ्लेटों का विक्री मूल्य 8000 रुपये से 14,650 रुपये तक अलग-अलग हैं। यह सच है कि आवास तथा निगम विकास निगम ने उत्तर प्रदेश आवास बोर्ड के सहयोग से उपयुक्त डिजाइन अपना कर तथा स्थानीय उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री देकर गरीब वर्ग के लिये मकानों के निर्माण का आयोजन किया है।

(ग) जी नहीं। निम्न आय वर्गों तथा मध्यम आय वर्गों के लिये भूमि पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित की जाती है और वाणिज्यिक तथा रिहायशी भूमियों की निलामी में बिक्री से प्राप्त आधिक्यों को भूमि के रियायती अथवा पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटन की कीमतों को पूरा करने के लिये उपयोग किया जाता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं है।

दसवीं कक्षा में अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से पास होना

2013. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री बरके जार्ज :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्णय किया है कि दसवीं कक्षा में अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं होगा ;

(ख) क्या इस मामले में राज्य सरकारों के विचारों को भी ध्यान में रखा गया है :

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि उच्च तकनीकी तथा वैज्ञानिक विषय लेने वाले छात्रों को अंग्रेजी की अच्छी जानकारी न होने के कारण कठिनाई न हो; और

(घ) क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी तथा वैज्ञानिक पुस्तकें तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). अंग्रेजी शिक्षण के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित सुझाव पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किये गये हैं :—

> "राज्यों के सभी स्कूलों में VI से X तक की कक्षाओं में अंग्रेजी को अनिवार्य अध्ययन का एक विषय बना दिया जाना चाहिये । कक्षा X में अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना, उस कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये एक अनिवार्य शर्त नहीं होगी हालांकि यह एक वैकल्पिक अथवा परीक्षा न लिये जाने वाला विषय नहीं होना चाहिए। तथापि यदि छात्र शिक्षा के सामान्य विषय में दाखिला लेने का इच्छुक है तो कक्षा XI में दाखिला लेन के लिये कक्षा X में अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना पूर्वापेक्षित होगा । यदि छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता है, जिसके लिये अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, तो भी अंग्रेजी में उसका उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा ।"

राज्य सरकारों के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

खाद्यान्न के लिये तीन वर्ष के लिये भण्डारण के लिये भंडार सुविधायें

2014. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीन वर्ष तक खाद्यान्नों का भंडार रखने का है ;

(ख) यदि हां; तो क्या इस प्रयोजन के लिये हमारे पास पर्याप्त वैज्ञानिक भंडार सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सुविधायें बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : सरकार की नीति खाद्यान्नों का भारी बफर स्टाक तैयार करने की रही है ताकि देश की खाद्य

अर्थव्यवस्था में स्थिरता लायी जा सके। बफर स्टाक की ठीक-ठीक मात्रा के बारे में एक तकनीकी ग्रुप जांच कर रहा है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अन्तत : अपेक्षित भण्डारण क्षमता बफर स्टाक की मात्रा पर निर्भर करेगी जिसकी तकनीकी ग्रुप द्वारा जांच की जा रही है/तथापि, वर्तमान / भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त क्षमता तैयार करने के लिये निम्नलिखित पग उठाये जा रहे है :—

(1) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार की गई है/की जा रही है ।

(2) विभिन्न श्रोतों से अतिरिक्त क्षमता किराये पर ली जा रही है ।

(3) स्टैक की ऊंचाई बढ़ाकर, पुराने/नकारा स्टोर्स आदि का तुरन्त निपटारा कर, मौजूदा क्षमता का अनुकूलतम प्रयोग करना । छोटी क्षमता के शैड (छोटे किस्म के गोदाम) भी तैयार किये जा रहे हैं ।

(4) अस्थायी भण्डारण के लिये प्लिंथों का भी निर्माण किया जा रहा है ।

(5) रक्षा के महकमों, चीनी मिलों, चावल मिलों अप्रयुक्त पुनर्वास कैम्पों के पास पड़ी फालतू भण्डारण क्षमता का भी खाद्यान्नों के भंडारण के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल की सिंचाई परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता

2015. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना के पूरा होने का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) सरकार ने और अधिक भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने हेतु क्या योजनायें बनाई हैं, वर्ष 1974–75 के लिये प्रत्येक राज्य को कितना धन आवंटित किया है। उसमें से कितने न का उपयोग किया गया है तथा कितनी अतिरिक्त एकड़ भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : 14,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता का सृजन करने के लिये 1975–76 के दौरान कंसवती परियोजना के कार्य में तजी लाने के लिये एक करोड़ रुपये की विशेष अग्रिम योजना सहायता पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई थी। इस परियोजना के पांचवी योजना के अन्त तक हर प्रकार से पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(ग) देश में अन्तत : सृजित की जाने वाली सिंचाई शक्यता 107 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है ; जिसमें से वृहत् / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 57 मिलियन हेक्टेयर और लघु स्कीमों द्वारा 50 मिलियन हेक्टेयर शक्यता का सृजन किया जाना है। इसकी तुलना में चौथी योजना के अन्त तक 45.7 मिलियन हेक्टेयर की शक्यता सृजित की गई थी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 12.2 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त शक्यता के सृजन की परिकल्पना की गई है, जिससे पांचवीं योजना के अन्त तक कुल शक्यता बढ़ कर 57.9 मिलियन हेक्टेयर तक हो जायेगी ; शेष शक्यतों अगली 5 से 6 पंच वर्षीय योजनाओं तक के दौरान सृजित किये जाने की सम्भावना है।

सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन, कार्यान्वयन तथा वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता सामान्यत : ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है यह और किसी विशेष परियोजना अथवा विकास क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं होती।

संलग्न विवरण [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० —11306/76] में राज्यों द्वारा 1974–75 में किये गये व्यय और सृजित अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के आंकड़े दिये गये हैं।

निर्माण कार्यों में सीमेंट का उपयोग

2016. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस समय हमारे निर्माण कार्यों पर 40 प्रतिशत सीमेंट अधिक उपयोग होता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों ही प्रकार के भवनों के प्रयोग हेतु उचित विशिष्ट विवरण/अनुपात दर्शाने वाली पुस्तिका प्रकाशित करना उचित समझा है ; और

(ग) क्या अधिक खपत का एक कारण यह भी है कि सीमेंट के कट्टे का भार सामान्यतया निर्धारित भार से कम होता है और यदि हां तो क्या ऐसी चोरी रोकने के लिये सरकार का विचार सीमेंट के लिये पोलोथीन के कट्टों का प्रयोग आरम्भ करने का है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) और (ख) : भवन निर्माण उदयोग में नई तथा सुधरी हुई निर्माण तकनीकियों के अपनाने और उपयुक्त अनुकलपों (सबस्टीट्युट्स) के इस्तेमाल से सीमेंट की खपत में बचत होने की गुंजाइश है। "भवन निर्माण में सीमेंट तथा इस्पात के इस्तेमाल में किफायत पर तकनीकी समिति" जिसमें अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1974 में दी; कि इस संबंध में की गई सिफारिशों को अपनाये जाने के लिये संबंधित विभागों के ध्यान में लाया गया है।

(ग) सीमेंट के कट्टे में शुद्ध 50 किलोग्राम भार की सीमेंट होनी चाहिए। दी पेकेज्ड कमोडिटीज (रेगुलेशन) आर्डर, 1975 में, जो भार के रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के अधीन जारी किया गया था, प्रत्येक कट्टे की 50 किलोग्राम की इस सीमा में विभिन्नता

की सीमा विहित की गई है। यह सच है कि निस्यन्दन (सीपेज) के कारण सीमेंन्ट थोड़ा सा कम हो सकता है परन्तु यह कभी उक्त आदेश में विहित की गई सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमेंट को पोलीथीन के कट्टों में भरने का कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है।

राज्यों में अभाव की स्थिति

2017. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में अभाव की स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने सयुक्त रूप से क्या राहत देने तथा अन्य उपाय करने की योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) मानसून के अनियमित ढंग से आने के कारण कुछ राज्यों में उत्पन्न दुर्लभता की स्थिति के बारे में कुछ राज्यों से भारत सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केन्द्रीय दलों ने अब तक तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, का दौरा किया है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, और जम्मू तथा कश्मीर में स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये केन्द्रीय दलों को भेजने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार द्वारा छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के लिये आवश्यक राहत के उपायों की व्यवस्था आयोग द्वारा प्रदान की गई मारजन धनराशि की सहायता से अपने नीति संसाधनों से तथा अपनी योजनाओं के परिव्यय में उपर्युक्त पुनर्समायोजन करके राज्य सरकारों द्वारा करनी होती है। सम्बंधित राज्य सरकारो ने जहां कहीं आवश्यक हुआ, राहत उपायों को अपनाया है जैसे :

1) कृषि श्रमिकों को कार्य उपलब्ध करना ;

2) पेय जल वाले कुओं को और गहरा करना ;

3) बोर---कुओं को खोदना ;

4) अधिकतम मात्रा में सिचाई सुविधाओं का उपयोग करना ;

5) किसानों को बीजों और उर्वरकों की सप्लाई करना ;

6) ऋण---किश्तों का स्थगन ;

7) भू---राजस्व की छूट।

केन्द्रीय सरकार जब कभी आवश्यक समझती है ; प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिये अग्रिम प्लान सहायता के रूप में सहायता प्रदान करती है। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु को अब तक 7.50 करोड़ रू० की अग्रिम प्लान सहायता की मंजूरी दी है। कुछ अन्य राज्यों ने भी अग्रिम प्लान सहायता के लिय मांग की है। उनके मामले विचाराधीन हैं।

लेक्चरारों की नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हता

2018. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन विश्व विद्यालयों के नाम क्या है जिन्होंने लेक्चरर की नियुक्ति के लिये मास्टर आफ फिलासफी की डिग्री एक आवश्यक अर्हता निर्धारित की है ;

(ख) क्या इन सभी विश्वविद्यालय ने पी० एच० डी० की डिग्री के लिय पंजीकृत करने हेतु मास्टर आफ फिलासफी की डिग्री को आवश्यक अर्हता घोषित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या है जहां मास्टर आफ फिलासफी का डिग्री किये बिना पी० एच० डी० की शेष डिग्री प्राप्त की जा सकती है ;

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Central Sanskrit Vidyapeeths

†2019. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the dates on which the Central Sanskrit Vidyapeeths at Delhi, Allahabad, Jammu, Tirupati and Puri were set up: and

(b) whether all these Vidyapeeths have been set up by the Central Government with the same object and on the same conditionls of service ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) The Central Sanskrit Vidyapeeths at Delhi, Tirupati and Puri were set up on 1-4-1967, 13-8-1962 and 1-8-1971 respectively. The Central Sanskrit Vidyapeeths at Allahabad and Jammu were set up on 1-4-1971.

(b) Yes, Sir. However, the conditions of service given to the employees of Delhi and Tirupati Vidyapeeths were initially Different. These were brought at par with those of the other vidyapeeths when the Rashtriya Sanskrit Sansthan was established in October, 1970.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पन्हालेकाजी की गुफाओं को अपने अधिकार में लेना

2020. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले में पन्हालेकाजी में 36 गुफायें खोजी गई हैं ;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का विचार इन गुफाओं के संरक्षण और रख-रखाव के लिये इन्हे अपने अधिकार में लेने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) ये गुंफाये किस काल की हैं और किस धर्म से संबंधित हैं ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द एम० नेताम) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन गुफाओं को संरक्षित करने का निर्णय कर लिया है और जैसे ही राजस्व आंकड़े एकत्र हो जाते है तथा अंतिम रूप दे दिया जाता है तो उस आशय के लिय आवश्यक अधिसूचना जारी की जायगी।

(घ) इन गुफाओं में से कुछ बौद्धों की है, जबकि अन्य गुफाएं हिन्दु देवताओं की पूजा के लिये प्रयोग में आती थीं। ये गुफाएं ईसा की दूसरी और तेरहवीं शताब्दियों के बीच की तिथियों में क्रमबद्ध होती दिखाई पड़ती हैं।

चीनी मिलों की क्षमता

2021. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष चीनी के उत्पादन के लिये प्रत्येक चीनी मिल की क्षमता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उनका कार्य कैसा रहा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कमियों के क्या कारण है और उनको दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 11307/76]

(ग) चीनी के उत्पादन में कमी या तो पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने अथवा कुछेक चीनी फ़ैक्ट्रियां के प्लाट और मशीनरी पुरानी और नकारा होने के कारण हुई थी। सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में मौजूदा सभी चीनी फ़ैक्ट्रियों के क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिये एक केन्द्रीय सैक्टर योजना शुरू की है। चुनींदा उद्योगों में रूग्णता को समाप्त करने के लिये भारत के औद्योगिक बैंक से सुगम ऋण प्रदान करने की एक योजना तैयार की गई है जिससे वे आधुनिकीकरण और पुनर्वासन द्वारा अपनी उत्पादिकता और होड़ लेने की शक्ति में सुधार कर सके।

महाराष्ट्र में सिंचाई योजनायें

2022. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र में वर्ष 1976–77 के लिये कौन सी सिंचाई परियोजनायें मंजूर की गई हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की सिंचाई क्षमता क्या ह ; और

(ग) प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है और इस लागत में केन्द्र का योगदान कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) (क) : 1976–77 वर्ष के दौरान अब तक योजना आयोग ने महाराष्ट्र की चार बृहत् सिंचाई स्कीमें नामश : अपर वर्धा जयकवादी–II, अपर पैनगंगा और मंजरा तथा एक मध्यम स्कीम नामश : अभेरा स्वीकृत की है।

(ख) और (ग) : उपयुक्त स्कीमों में प्रत्येक की अनुमानित लागत तथा वार्षिक सिंचाई नीचे की तालिका में दी गई है :—

स्कीम का नाम	वार्षिक सिंचाई (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1. अपर वर्धा	75.98	3988
2. जयकवाडी–II	135.57	8890
3. अपर पैनगंगा	111.50	8448
4. मंजरा	27.80	2019
5. अभेरा	1.40	75

राज्यों का विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणो और अनूदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्ट स्कीम अथवा स्कीमों के समूह या विकास शीर्ष से जुड़ी नही होती ।

गेहू और चावल खाने वाले लोगों की सख्या

2023. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गेहूं तथा चावल खाने वाले लोगो की अलग अगल संख्या कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : देशमें चावल और गेहूं खाने वाली जनसंख्या के अगल अगल आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि । प्रमुख रूप से चावल और गेहुं खाने वाले क्षेत्रों का व्यौया संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० —11308/76)

ग्रामीण जल सप्लाई की प्रगति की समीक्षा के लिये स्वायतशासी बोर्डों की स्थापना

2024. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारो से बाजार, बैको तथा अन्य एजेंसियो से धन जुटाने हेतु पर्याप्त शक्ति प्राप्त स्वायत्तशासी बोर्डो, ग्रामीण तथा पानी की कमी तथा समस्याएं वाले गावों में ग्रामीण जल सप्लाई योजनाय आरम्भ करने की उचित प्राथमिकता देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को क्या सुझाव दिये है और राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख). ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम की गति को बनाने की दृष्टि से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनो को निम्नलिखित कार्यवाही करने के लिये हाल में सलाह दी गई है :—

(i) बाजार, बैंकों आदि से धन जुटाने के लिये पर्याप्त शक्ति प्राप्त स्वायत्त बोड की स्थापना ;

(ii) ग्रामीण जल पूर्ति को समीक्षा करने के लिये मानीटरिंग सैल की स्थापना ; और

(iii) पानी की कमी तथा समस्या वाले गांवों में ग्रामीण जलपूर्ति योजनायें आरम्भ करने को उचित प्राथमिकता देना ।

राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ नियंत्रण आयोग

2025. श्री सरोज मुकर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में स्थापित ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग बाढ नियंत्रण कार्यक्रम बनाने के बजाय क्षतिग्रस्त तटबंध को मरम्मत करने के कार्य में लगा हुआ है तथा क्या ऐसी बाढ़ नियंत्रण समितियां धन की कमी के कारण निष्प्रभावी हो जाती हैं ;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद् ने हाल की बैठक में बाढ़ के संबंध में सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता नहीं दी है; और

(ग) सरकार एक उचित सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिसके बिना तटबंध बनाने और ऐसे स्थानों पर, जहां आवश्यकता नहीं है पत्थर जड़ने में करोड़ों रुपये का अपव्यय हो सकता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ग) असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयारकरने और निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिये जून, 1970 में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना राज्य सरकार के विभाग के रूप में की थी। ब्रह्मपुत्र संसार की बड़ी नदियों में से एक है और इसकी तीस सहायक नदियां हैं जो उत्तर से इसमें शामिल होती हैं और बीस ऐसी सहायक नदियां हैं जो दक्षिण से इसमें शामिल हैं। इसके नियंत्रण की योजना बनाने में कई विशाल और अत्यन्त पेचीदा समस्याएं हैं जिनमें उस क्षेत्र की भूकम्पनीयता, नदियों में जमा हो जाने वाली गाद और उनकी गहरी ढलानों आदि की समस्याएं भी शामिल हैं। बृहत आयोजना तैयार करने के लिये व्यापक और दीर्घकालीन आंकड़े एकत्र और संकलनकरना, जलवैज्ञानिक, स्थालाकृतिक और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भूकम्पीय प्रेक्षण करना और उसके बाद व्यापक अध्ययन करना और योजना तैयार करना आदि जरूरी हैं। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नदी आयोग ने रिपोर्ट दी है कि पांच सहायक नदियों के संबंध में व्यापक योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है जिनमें से पगलादिया की व्यापक योजना तैयार हो चुकी है और पुथीमरी और कोपिल्ली नदियों की योजना तैयार की जा रही है। सुबनश्री और देहांग नदियों की बहुयोजनी परियोजनाओं के बारे में अन्वेषण का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

मुख्य नदी और सहायक नदियों के संबंध में व्यापक योजना तैयार होने तक, आयोग उन स्थानों पर, जहां बाढ़ की समस्या गम्भीर है, निर्माण कार्यों का आयोजन और क्रियान्वयन कर रहा है; निर्माण कार्यों का आयोजन इस प्रकार किया जा रहा है कि वे समूची योजना का भाग बन जाये। इन स्कीमों में, बाढ़ के दौरान जब भी आवश्यक हो जाये मौजूदा तटबंधों को ऊंचा करने और उन्हें सुदृढ़ करने, दरारों को बन्द करने, रिटायर्ड बंधों का निर्माण करने का कार्य शामिल है, जिससे पहले से पूरे किये जा चुके है निर्माण कार्य से होने वाले लाभों को स्थाय बनाने में बड़ी सहायता मिलती है। ये निर्माण कार्य, सलाहकारों के एक बोड द्वारा आवश्यक तकनीकी जांच किये जाने और ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदन दिये जाने के बाद हाथ में लिये जा रहे हैं।

तत्काल हाथ में लिये जाने वाले कार्यों के जिनको विस्तृत योजना के तैयार होने तक रोके नहीं रखा जा सकता, क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग को ऋणों के रूप में सहायता प्रदान करके की जाती है। इस सहायता में व्यापक योजना तैयार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अन्वेषण करने के लिये आवश्यक धनराशि भी शामिल है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि उत्तर-पूर्वी परिषद् की हाल में हुई बैठक में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण के प्रश्न पर विचार-विमर्श नही किया गया था।

खाद्यान्नों का घरों में भण्डार करने के लिये पंजाब सरकार द्वारा किसानों को प्रशिक्षण

2026. **श्री रघु नन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय खाद्यान्नों का घरों में भण्डार करने के मामले में किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु पंजाब में केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ का एक फील्ड स्टेशन लुधियाना में स्थापित किया जा चुका है। इस संस्थान का मुख्य कार्य खाद्यान्नों के भण्डारण और परिरक्षण, जिनमें भण्डारण ढांचों की सुधरी किस्मों की डिजाइन बनाना तथा विकास करना और खाद्यान्नों के भण्डारण तथा परिरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है, के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यावहारिक अनुसंधान करना है।

2. खाद्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा अन्न सुरक्षा अभियान का एक क्षेत्रीय कार्यालय अभी हाल में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रचार आदि के माध्यम से किसानों, व्यापारियों और खाद्यान्नों के सम्भालने और भण्डारण में लगी अन्य एजेंसियों को जानकारी देकर भण्डारण में हानि को कम करना है। इस योजना के अधीन आसान ऋण के आधार पर किसानों आदि को छोटे साइज़ के सुधरे किस्म के भण्डारण ढांचे उपलब्ध किये जाते हैं।

चीनी तथा सीरे से साइट्रिक एसिड बनाना

2027. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान ने चीनी तथा सीरे से साइट्रिक एसिड बनाने की कोई प्रक्रिया निकाली है;

(ख) क्या यह प्रक्रिया बहुत सफल सिद्ध हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर में चीनी से साइट्रिक एसिड बनाने के बारे में प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण किये गये थे। सीरे से साइट्रिक एसिड बनाने के बारे मे इसी प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) इस प्रक्रिया की सफलता का सही अन्दाज़ा केवल प्रायोगिक संयंत्र स्तर के परीक्षण किये जाने के बाद ही लगाया जा सकता है। इंस्टीट्यूट को इस प्रयोजन के लिए प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

उड़ीसा में समेकित आवास योजना

2028. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उड़ीसा में समेकित आवास योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये हैं और ऐसे लोगों को आवंटित किये गये हैं जिनके पास मकान नहीं हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे निदेश दिये हैं कि बाढ़ में जिन लोगों के मकान नष्ट हो गये थे उन लोगों को स्थायी रूप से बसाने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जलाई, 1976 के अन्त तक, एकीकृत आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में 2932 मकान बनाये गये हैं। इनमें से 2869 मकान उन व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं जिनके पास मकान नहीं हैं।

(ख) भारत सरकार ने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं।

मूंगफली की फसल और उसका मूल्य

2029. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मूंगफली की फसल बहुत अच्छी है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) राज्यों में मूंगफली किस मूल्य पर बेची जाती है; और

(घ) क्या सरकार ने मूंगफली के लिये समर्थन मूल्य की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) मूंगफली का उत्पादन 1975-76 में 69.9 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

(ख) वर्ष 1975-76 के लिये मूंगफली के उत्पादन का राज्यवार अंतिम अनुमान प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्रमुख उत्पादक राज्यों की रिपोर्ट करने वाली कुछ मंडियों में मूंगफली-गिरी के थोक मूल्य 20 अगस्त, 1976 को समाप्त होने वाले सप्ताह तक निम्न प्रकार से हैं :—

राज्य	मण्डी	किस्म	मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पोड	240
	अडोनी	पीनट	245
गुजरात	राजकोट	बड़ी	188
	जामनगर	मोटी	195
मध्य प्रदेश	खारगोन	चंदौसी	240
महाराष्ट्र	अकोला	पिंक	250
	नदेड	मोटी	235
कर्नाटक	रायचूर	गुंगरु	235
	,,	जवारी	233
तमिलनाडु	पोलाची	प्रथम किस्म	225
	,,	द्वितीय किस्म	200

(घ) केन्द्रीय सरकार ने मूंगफली के लिये कोई सांहाय्य मूल्य घोषित नहीं किया है तथापि गुजरात सरकार ने सहकारी एजेंसियों के माध्यम से मूंगफली गिरी की विपणन खरीद 150 रु० प्रतिक्विंटल पर घोषित किया था।

विवरण

1975-76 में मूंगफली के उत्पादन का राज्यवार अनुमान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन (1000 मीटरी टनों में)
आंध्र प्रदेश	1158.9
बिहार	6.2
गुजरात	2034.6
हरियाणा	11.8
हिमाचल प्रदेश	2.0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन (1000 मीटरी टनों में)
कर्नाटक	627.7
केरल	23.1
मध्य प्रदेश	362.5
महाराष्ट्र	670.9
उड़ीसा	147.5
पंजाब	177.0
राजस्थान	172.7
तमिलनाडु	1271.7
त्रिपुरा	0.4
उत्तर प्रदेश	318.0
पांडिचेरी	6.3
अखिल भारत योग	6991.3

खुर्जा में 'साईलोज' का निर्माण

2030. **श्री हरी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलन्दशहर जिले में खुर्जा जंक्शन पर 'साईलोज' के निर्माण की प्रगति संतोषप्रद नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो 'साइलोज' का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) खुर्जा में साइलोज का निर्माण करने का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और आशा है कि यह सितम्बर, 1977 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का उत्पादन और आयात

2031. **डा० के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र में अब तक कितनी पूंजी निवेश किया गया है और इनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) औसतन कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया;

(ग) खाद्यान्नों की फ़सलों में कितने प्रतिशत उर्वरक प्रयोग में लाये जाते हैं; और

(घ) क्या उर्वरक के रूप में हरी खाद के प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई विशेष अध्ययन किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) 1973–74 तक उर्वरक उद्योग में 1110 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई थी। 1975–76 के दौरान 15.35 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 3.2 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ का उत्पादन हुआ था।

(ख) 1975–76 के दौरान 9.50 लाख मीटरी टन एन, 3.37 लाख मीटरी टन पी ओ और 2.67 लाख मीटरी टन $के_2 ओ_5$ का आयात किया गया था। भाड़ा सहित लागत, औसत रूप से 4500.95 रु० प्रति मीटरी टन आती है।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद् द्वारा 1968–69 से 1970–71 तक के लिए "भारत में चुनी हुई फसलों पर उर्वरकों का प्रयोग" के सम्बन्ध में किये गये एक अध्ययन के अनुसार 1970–71 में कुल उर्वरकों का 66 प्रतिशत खाद्यान्नों पर प्रयोग किया गया था।

(घ) यह सिद्ध करने के लिए अध्ययन किये गये हैं कि हरी खाद की फसलों का प्रभाव प्रति हेक्टार 22.4 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग करने के बराबर होता है।

चावल की नई किस्म

2032. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की कोई नई किस्म 'पूसा-21' निकाली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, श्रीमान्। इस किस्म की 'पूसा-21' नाम दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस किस्म का नाम "कन्नागी" रखा है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकसित धान पूसा 2–21 नाम की किस्म आजकल देश के अनेक राज्यों में काफी बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इस किस्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं :—

(1) यह किस्म शीघ्र अर्थात् 100 दिनों में (बीज बुआई से लेकर बीज बनने तक) पकने वाली है तथा इसकी उपज क्षमता लगभग 5000 किलोग्राम प्रति हैक्टर है।

(2) यह किस्म विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जा सकती है तथा उपज और पकने में टिकाऊ है।

(3) यह खेतों में प्रमुख रोगों (झुलसा रोग को छोड़ कर) तथा कीट व्याधियों (सिवाय 'गाल मिज' के) को सहन कर सकती है।

(4) यह सीधे खेत में बीज की बुवाई, कुछ सीमा तक पानी की कमी को सहने की क्षमता रखने वाली तथा पछेती बुवाई के लिए उपयुक्त है ।

(5) इसका मध्यांश सफेद होने के बावजूद यह टूटने और पकाने की दृष्टि से उत्तम है ।

(6) यह किस्म अनेक अल्पकालिक फसलें उगाने के विभिन्न क्रमों में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त है । बहु फसलीय प्रणाली में इसको विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित करने के अनेक कारणों में से यह भी एक है । परन्तु जहां झुलसा रोग की समस्या हो उन क्षेत्रों में यह नहीं बोई जानी चाहिए ।

वनों का सर्वेक्षण करने के लिये ब्राजील की सहायता

2033. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्राजील द्वारा रडार की सहायता से अपने वनों का सर्वेक्षण करने में प्राप्त सहायता के बारे में पता है;

(ख) क्या ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण से बड़ी मात्रा में खनिज निक्षेपों का पता लगाने में सहायता मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का हमारे वनों का इसी प्रकार सर्वेक्षण करने के लिए ब्राजील की सहायता लेने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इसकी जांच की जा रही है ।

शिकागो में योग सम्मेलन

2034. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1976 के अंग्रेजी दैनिक समाचार में "योग कान्फ्रेंस ओपनिंग इन शिकागो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योग के भारतीय विशेषज्ञों ने अपनी यौगिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया था तथा इस सम्बन्ध में व्याख्यान दिये थे ; और

(ग) क्या समूचे विश्व में योगासनों का प्रचार करने की कोई योजना है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने सम्मेलन में भाषण दिये और अपनी-अपनी "यौगिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया ।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार देश में योग के प्रसार के लिए एक योजना चला रही है।

गंडक मुख्य नहर में दरारें

2035. **श्री विभूति मिश्र** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मार्च, 1976 के बाद गंडक मुख्य नहर और उसकी सहायक नहरों में लगातार दरारें देखी गईं ;

(ख) यदि हां, तो इन दरारों की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या रचनात्मक कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या गंडक नहर को मिट्टी की बजाय सीमेंट से बनी पक्की नहर की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) उन क्षेत्रों में जहां नहर में भारी भरायी की गई है, खरीफ सिंचाई के दौरान मार्च, 1976 के पश्चात् गंडक नहर में कुछ दरारें आयी हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है, नहर के तटों पर लगातार गश्त लगाई जा रही है तथा और आगे दरारों को रोकने के लिए असुरक्षित स्थलों पर तटों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने तकनीकी कारणों से और पलस्तर करने पर आने वाली भारी लागत के कारण नहर में पलस्तर कराना आवश्यक नहीं समझा है।

बागमती बांध के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

2036. **श्री विभूति मिश्र** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपमंत्री ने सीतामढ़ी में ऐसा वक्तव्य दिया है कि यदि राज्य सरकार बागमती बांध के निर्माण की इच्छुक हो तो केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञों का एक दल भेजने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) बागमती बांध के निर्माण में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या सहायता देने का विचार कर रही है ; और

(घ) इस योजना से क्या लाभ होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञों के एक दल को भेजने के लिए राज्य सरकार का अनुरोध 27 अगस्त, 1976 को केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हो गया है।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन, क्रियान्वयन और वित्त-पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । सामान्यतः केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्ट परियोजना, परियोजनाओं के समूह अथवा विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती । आवश्यक तकनीकी सहायता, जो राज्य को अपेक्षित हो, प्रदान की जाएगी ।

(घ) 22.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की बागमती परियोजना में बागमती नदी पर रामनगर में दोनों तटों पर नहरों के साथ एक बराज का निर्माण तथा दोंनों किनारों पर कुल 90 किलोमीटर लम्बे गाइड बन्धों एवं चढ़ाऊ बन्धों के निर्माण की परिकल्पना है । इससे बाढ़ नियंत्रण लाभों के अलावा, प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी ।

कालेजों/विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना

2037. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात अथवा आठ वर्षों की अवधि में हमारे कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना अच्छी चल पड़ी है;

(ख) क्या स्वैच्छक तथा चयनात्मक आधार पर छात्रों तथा प्राध्यापकों को सम्बद्ध करते हुए सम्पन्न वर्ग और आम जनता के बीच भारी अन्तर के सन्दर्भ में देश की अनेक समस्यायें उच्च शिक्षा के कार्यात्मक मूल्य और सम्बद्धता से कम हो जाएगी; और

(ग) इसके कार्यकरण का रिकार्ड क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). छात्रों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों में स्वैच्छिक तथा चयनात्मक आधार पर शामिल करने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना ने वर्ष 1969 में इसके आरम्भ होने से लेकर नियमित प्रगति की है । इस सम्बन्ध में कालेजों/विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है और इस योजना में भाग लेने वाले छात्रों के दाखिले में वर्ष 1969–70 में लगभग 40,000 से वर्ष 1976–77 में लगभग 2.50 लाख तक वृद्धि हुई है ।

विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा की गयी समाज सेवा में अनेक पहलू शामिल हैं जैसे व्यापक समाज उत्थान कार्य के लिए गांवों को अपनाना, चिकित्सा, सामाजिक सर्वेक्षण आयोजित करना, ग्रामीण महिलाओं को सिलाई कशीदाकारी और बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में कार्य जिसमें गंदी बस्तियों के निवासियों के लिए सामाजिक सेवा, सामूहिक प्रतिरक्षण सफाई अभियान, समाज के निर्धन वर्ग के लिए कल्याण केन्द्रों और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने, रक्त दान तथा लघु बचत अभियानों आदि शामिल हैं । राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र अस्पतालों में मरीजों; अनाथालयों के निवासियों और शारीरिक रूप से अपंग कल्याणकारी संस्थाओं की सहायता भी करते रहे हैं । वर्ष 1971–72 के दौरान बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए स्थापित केन्द्रीय शरणार्थी शिविर इस योजना का महत्वपूर्ण कार्यकलाप था । राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत छात्रों को उनकी छुट्टियों के दौरान रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित करने के एक भाग के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर

शिविर कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं । इन शिविर कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान ग्रामीण आवश्यकताओं के कुछ पहलुओं को सम्मिलित किया जा रहा है । वर्ष 1973 के दौरान "युवा बनाम अकाल" नामक एक अभियान चलाया गया था, जिसके अन्तर्गत छात्रों ने सूखा पीड़ितों तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रो की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए शिविरो में काम किया । 745 शिविर आयोजित किये गये थे । जिनमें 65,000 युवकों ने भाग लिया । दिल्ली समाज कार्य स्कूल, दिल्ली द्वारा आयोजित अभियान के मूल्यांकन से उत्तरवर्ती वर्षों में इसी प्रकार के अभियानों का आयोजन करने की जरूरत सिद्ध हुई है । अतः ये शिविर "युवा बनाम गंदगी तथा बीमारी" तथा "बनरोपण तथा वृक्षरोपण के लिये यवक" नामक अभियान के अन्तर्गत लगातार आयोजित होते रहे । वर्ष 1976-77 से "ग्राम पुनर्निर्माण के लिए युवक" नामक सामान्य अभियान के अन्तर्गत ग्राम विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए इस अभियान को और व्यापक बना दिया गया है । स्मारकों का संरक्षण करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करने वाले अभियान में भी छात्र सहायता करते रहे हैं । आशा है कि चालू वर्ष के दौरान विशेष न शिविर कार्यक्रम में 1,25,000 छात्र भाग लेंगे । इस कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष अलग-अलग संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और जहां कहीं जरूरी वहां सुधार किये जाते हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों का भी मूल्यांकन ले० जन० के० पी० केन्डिथ की अध्यक्षता में एक औपचारिक ग्रप द्वारा किया जा चुका है । इन कार्यक्रमों पर प्राक्कलन समिति और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा भी अनुकूल विचारा धारा व्यक्त की जा चुकी है ।

बुनियादी तौर पर, राष्ट्रीय सेवा योजना एक शैक्षिक कार्यक्रम है और समाज की परिस्थितियों और समस्याओं को समझने तथा सराहना करने में छात्रों और अध्यापकों को शामिल करने तथा उनको सुलझाने के लिए काम करने और देश के सम्मुख विभिन्न समस्याओं के लिए उच्चतर शिक्षा को और अधिक अनुकूल बनाने का एक मात्र कदम है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाने और उसे पुनः तैयार करने के संदर्भ में यथासम्भव अधिक से अधिक शैक्षिक विषयो की पाठ्यचर्याओं के साथ सामाजिक सेवा को समकालित करने के प्रश्न की भी जांच कर रहा है ।

छात्रों में आत्मविश्वास जाग्रत करना

2038. श्री राजदेव सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मार्च, 1976 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में एक सभा को सम्बोधित करते हुए यह इच्छा व्यक्ति की थी कि स्कूली बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे भारतीय नागरिक होने में गौरव का अनुभव करें, प्रशिक्षण से उनमें आत्मविश्वास और देश के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो; और

(ख) यदि हां, तो संघ क्षेत्रों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है और इस दिशा में क्या राज्य सरकारों से स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

सरकार द्वारा अपनाई गई 10 वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य स्कूल के बच्चो में राष्ट्रीय जागृति तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को भारत की विभिन्न उप-संस्कृतियों को अच्छी तरह समझने तथा उनकी सराहना करने की भावना को विकसित करके प्राप्त किया जाएगा।

(2) शिक्षाविदों के पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन में विकसित पाठ्यचर्या के ढांचे के अनुसार 10 वर्षीय स्कूली सभी शिक्षा के लिए विषयों नई पाठ्य पुस्तकों के निर्णय कार्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् लगी हुई है। समाज विज्ञान के विषयों की नई पाठ्यपुस्तकें भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं तथा विश्व-सभ्यता में भारत के योगदानों पर प्रकाश डालेगी। भाषा विषयों की पाठ्यपुस्तकें भी भारत की संयुक्त संस्कृति के मूल मल्यों के विकास के अनुकूल विषयो पर आधारित होंगी।

(3) **स्काउटिंग** :—मार्गदर्शन (गाईडिंग) एन० सी० सी०; शारीरिक शिक्षा तथा हल जैसे सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों और समाज सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करके साथी की भावना, वफादारी कर्त्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, अन्यों के प्रति सहन शक्ति और सम्मान की भावनाओं और निर्णय लेने जैसे गुणों का विकास करना है।

(4) भारत सरकार, शिक्षक प्रशिक्षण के पुनः अवस्थापना के लिए राज्य सरकारों एवं संघ क्षेत्रों की सहायता कर रही है ताकि शिक्षक नई पाठ्यचर्या को क्रियान्वित कर सकें और राष्ट्रीय शैक्षिक अनसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की जा रही नई पाठ्यपुस्तकों को कारगर ढंग से प्रयोग में ला सके।

सिंचाई मंत्रियों का पहला सम्मेलन

2039. श्री अन्नासाहिब गोटखिण्डे : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1975 में हुए सिंचाई मंत्रियों के पहले सम्मेलन के अवसर पर राज्यों से कहा गया था कि वे केन्द्रीय जल आयोग को सूखे की संभावना वाले विभिन्न क्षेत्रों में जल की वर्तमान तथा भावी उपलब्धता से सम्बद्ध आंकड़े और जानकारी दें; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र द्वारा अब तक क्या क्या आंकड़े दिये गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1975 के सम्मेलन के पश्चात् विस्तृत प्रोफार्मा तैयार किया गया था और सूखाग्रस्त क्षेत्रों वाले राज्यों के संबंध में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान को आंकड़े देने के लिए भेजा गया।

हरियाणा, उड़ीसा और राजस्थान से सूचना अभी नहीं आयी है। शेष राज्यों ने आंशिक सूचना भेज दी है।

फालतू घोषित की गई भूमि के विकास के लिये सहायता

2040. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के लागू किये जाने के फलस्वरूप फालतू घोषित की गई भूमि के विकास और उसमें खेती करने के लिए वर्ष 1975–76 के लिये लगभग एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभू दास पटेल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1975–76 के दौरान भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत फालतू घोषित की गई और वितरित की गई भूमि के विकास और उसमें खेती करने के लिए राज्य सरकारों को 81,99,500 रुपये की सहायता दी गई थी। संलग्न विवरण [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-11309/76] में इस सहायता का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

सिंचाई के अन्तर्गत भूमि

2041. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अद्यतन उपलब्ध वष के लिए सिंचाई के अन्तर्गत जोती गई भूमि को राज्यवार प्रतिशतता क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : 1972–73 को अद्यतन उपलब्ध सूचना में निवल बुवाई के क्षेत्र से निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

राज्य	निवल बुवाई क्षेत्र से निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2
आन्ध्र प्रदेश	26.7
असम	24.5
बिहार	28.3
गुजरात	16.0
हरियाणा	45.9
हिमाचल प्रदेश	17.0
जम्मू और कश्मीर	41.9
कर्नाटक	11.7
केरल	20.3
मध्य प्रदेश	9.2
महाराष्ट्र	7.9
मणिपुर	46.4

1	2
मेघालय	29.3
नागालैंड	30.8
उड़ीसा	16.3
पंजाब	74.4
राजस्थान	15.3
तमिलनाडु	44.5
त्रिपुरा	12.3
उत्तर प्रदेश	42.4
पश्चिम बंगाल	26.2
अखिल भारत	23.4

(1) आंकड़े अस्थायी हैं ।

(2) असम, गुजरात, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल के संबंध में 1972–73 के आंकड़े, उपलब्ध न होने के कारण प्रतिशतता निकालने के लिये निवल सिंचित क्षेत्र के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है ।

चीनी

2042. श्री सोम नाथ चटर्जी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1973-74 से 1975–76 तक वर्ष-वार चीनी का कुल उत्पादन, आन्तरिक खपत तथा निर्यात कितना हुआ;

(ख) 1974-75 से 1975–76 तक वर्ष-वार और अप्रैल से जून, 1976 तक मास-वार कुल आन्तरिक खपत में खुले बाजार में बिकने वाली चीनी कितनी थी तथा लेवी चीनी कितनी थी ;

(ग) 1973–74 से 1975–76 तक वर्ष वार तथा अप्रैल से जून, 1976 तक मास-वार प्रत्येक राज्य को (1) लेवी चीनी तथा (2) खुले बाजार में बिकने वाली चीनी कितनी-कितनी आवंटित की गई तथा दी गई ; और

(घ) 1973–74 से 1975–76 तक वर्ष-वार तथा अप्रैल से जून, 1976 तक मास-वार (1) लेवी चीनी तथा (2) खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के थोक तथा खुदरा मूल्य क्या थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर) 1973-74, 1974-75 और 1975-76 (15-8-1976 तक) की सूचना नीचे दी जाती है :--

(लाख मीटरी टन)

	1973-74	1974-75	1975-76 (अस्थायी 15-8-76 तक)
1. उत्पादन	39.48	47.97	42.39
2. आन्तरिक खपत	35.29	34.57	31.33
3. निर्यात (जहाज पर लदान)	4.05	9.24	9.75

(ख) परिशिष्ट-1 पर विवरण में सूचना दी जाती है [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-11310/76]

(ग) लेवी चीनी के राज्यवार आवंटन का ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है। राज्य सरकारों को आवंटित लेवी-चीनी की सारी मात्रा का उपयोग उन्होंने वितरण के लिए किया है।

जहां तक खुली बिक्री की चीनी का संबंध है, उल्लिखित अवधि के दौरान कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया था। देश के किसी भी भाग में लाइसेंस शुदा व्यापारियों को खुले बाजार में बेचने के लिए प्रत्येक मास फ़ैक्ट्रियों को खुली बिक्री की चीनी आवंटित की जाती है और लगभग सारी मात्रा मास के दौरान भेज दी जाती है। विचाराधीन अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में फ़ैक्ट्रियों को खुलीबिक्री के लिए आवंटित चीनी का ब्यौरा परिशिष्ट-3 पर विवरण में दिया गया है।

(घ) देश भर में उचित मूल्य की दुकानों से लेवी चीनी की बिक्री दिसम्बर, 1972 से 2.15 रुपये प्रति किलो के समान मूल्य पर की जा रही है। विचाराधीन अवधि के दौरान प्रमुख मंडियों में खुली बिक्री की चीनी के थोक और खुदरा मूल्य का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट-4 और 5 पर विवरणों में दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रियों के नई दिल्ली स्थित बंगलों पर व्यय

2043. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मंत्रियों के नई दिल्ली स्थित रिहायशी स्थानों पर वर्ष 1974-75 और 1975-76 में बार बार फ़र्नीचर आदि की व्यवस्था करने सहित उनके रख रखाव पर वर्षवार कुल कितना खर्च किया गया ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्धन व्यक्तियों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास योजना

2044. **श्री आर० के० सिन्हा**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धन व्यक्तियों, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार स्ववित्त पोषण परियोजना के आधार पर इन श्रेणीयों को मकान प्रदान करने का है ; और

(ग) इस बारे में भावी कार्यक्रम क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, औद्योगिक कर्मचारियों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न व मध्यम आय वर्गों के लिए विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 4,73,908 मकान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन परिवारों को 69,61,253 आवास-स्थल दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) निर्माण और आवास मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

नेहरु युवक केन्द्र

2045. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कितने नेहरु युवक केन्द्र हैं ;

(ख) इन केन्द्रों ने कितनी प्रगति की है; और

(ग) वर्ष 1976 और 1977 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने नेहरु युवक केन्द्र खोलने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सरकार ने अब तक देश में 186 नेहरु युवक केन्द्रों की स्वीकृति दी है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 24 केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। 1976–77 के दौरान इस योजना का और अधिक विस्तार करने का विचार है। नेहरु युवक केन्द्रों के राज्य वार आवंटन के बारे में जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए गए केन्द्रों में से इस समय 16 कार्य कर रहे हैं। नेहरु युवक केन्द्र, गैर औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल, संस्कृति, समाज सेवा और युवक शिविरों को आयोजित करने से सम्बन्धित क्षेत्रो में विभिन्न कार्यकलाप करते हैं। जुलाई, 1976 में 141 से अधिक केन्द्र गैर औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जिनमें 5000 व्यक्तियों ने भाग लिया। 2000 से अधिक प्रशिक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त नेहरु युवक केन्द्र युवक क्लबों को भी आयोजित अथवा पुनः सक्रिय कर रहे हैं। ऐसा पता लगा है कि 820 क्लब कार्य कर रहे हैं जिनमें 31–3–1976 तक 27,000 व्यक्तियों ने भाग लिया।

सरकारी आवास के लिए लाईसेंस शुल्क

2046. **श्री के० मालन्ना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास के लिए लाइसेंस शुल्क को हाल ही में पुनरीक्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) सरकारी रिहायशी आवास की लाइसेंस फ़ीस हाल ही में पुनरीक्षित नहीं की गई है। वैसे दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में ऐसे आवास की मार्किट लाइसेंस फ़ीस 1–8–76 से बढ़ाई गई है। तदनुसार

टाइप II से IV तक के लिए मार्किट लाइसेंस फ़ीस की पुल एकक दर 4.63 रुपये प्रतिवर्ग मीटर और टाइप V से VIII तक के लिए 5.11 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह है ।

Scheme to construct Cheaper Houses for Harijans in Rural Areas

2047. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have under consideration any scheme to construct low cost and readily available houses in rural areas for Harijans and landless labourers ; and

(b) if so, the estimated cost of the house ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) No such scheme is under consideration. However, social housing schemes fomulated by this Ministry for the economically weaker sections are intended to benefit all sections of society including scheduled castes & scheduled tribes. These schemes are in the state sector and are being implemented by them according to the requirements and priorities determined by them. Also there is a separate scheme for allotment of house-sites free of cost to landless workers in rural areas. This scheme is included in the National Peogramme of Minimum Needs and this is also being implemented by the State Governments. Some State Governments havetaken the initiative to construct houses on the house sites allotted to landless workers in rural areas.

(b) Does not arise.

IMPLEMENTATION OF 20-POINT PROGRAMME THROUGH PANGHAYATS AND C.D. BLOCKS:

2048. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the services of Panchayats and Community Development Blocks are being Utilized in the implementation of 20-point Economic Programme ; and

(b) if so, the fields in which their services are being utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) yes, sir.

(b) The State Governments have been urged to utilise their services in implementation of land ceilings ; allotment of surplus land to landless ; ensuring that the benefits meant for weaker sections actually reach them under the special schemes like SFDA/MFAL, Drought Prone and Command A reas Development Programmes ; in allotment of house sites to landless ; in enforcement of land ceilings laws and fair distribution of surplus land to the really deserving persons of weaker sections of the rural community ; in providing self-emploument to landless agricultural labour ; in abolition of bonded labour and in finding alternative employment opportunities and other facilities for labour freed from bondage and in population educatio n and family planning ; and other programmes of rural development.

ELECTION TO PANCHAYATS AND C.D. BLOCKS

2049. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to State :

(a) the States in which elections to Panchayats and Community Development Blocks have not been held for the last ten years ; and

(b) if so, whether Government are taking any steps for holding elections there ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Elections are held to Panchayati Raj institutions and not to Community

Development Blocks. Elections have not been held during the last ten years in Himachal Pradesh (Zila Parishads only), Kerala (Gram Panchayats), punjab Zila Parishads and Panchayats Samitis), Rajasthan (Zila Parishads and Panchayat Samitis and Gram Panchayats) and West Bengal (Zila Parishands, Panchayat Samitis and Gram Panchayats)

(b) As Panchayati Raj is a State Subject, it is for the State Governments concerned to hold timely elections to Panchayati Raj institutions. However, a close watch is being kept and the State Governments concerned are reminded periodically in this regard on appropriate occassions like state Ministers meetings.

NATIONAL INSTITUTE OF COMMUNITY DEVELOPMENT

2050. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is a National Institute of Community Development in the country if so, the annual expenditure being incurred thereon; and

(b) whether the institute has met with success in achieving the object for which it has been set up ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The National Institute of Community Development is an apex institute for providing orientation and training in the philosophy and aims of community development, integrated rural development and Panchayati Raj to key personnel, both officials and non officials, to carry out studies and research in social sciences with particular emphasis on planned social change in the agririan society through community development, provided academic guidance to the training centres of the country and functions as clearing house for information on community development, rural development and Panchayati Raj and connected areas. Its annual expenditure is approx. Rs. 20 lakhs.

(b) Yes, Sir.

राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता (नेशनल फीजिकल एफिशिऐंसी) अभियान

2051. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अब तक आयोजित राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियानों के फ़लदायक परिणाम निकले हैं ;

(ख) ऐसे अभियान किन-किन राज्यों में आयोजित किये गये ; और

(ग) क्या शेष राज्यों को ऐसे अभियान चलाने में कुछ कठिनाइयां हुई थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता अभियान में 1959–60 में उसकी स्थापना से लेकर 1975–76 तक 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया है। 1975–76 में इस अभियान में 16 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया जो कि अभी तक एक रिकार्ड है।

(ख) और (ग): हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम और पांडिचेरी के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों ने 1975–76 के दौरान इस अभियान में भाग लिया है वित्तीय संसाधनों की कमी अथवा पर्याप्त स्टाफ़ होने के कारण हरियाणा, उड़ीसा और पांडिचेरी उक्त अभियान में भाग न ले सके।

शहरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग

2052. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शहरों के 30 प्रतिशत लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं ;

(ख) क्या अकेले दिल्ली में दस लाख से अधिक व्यक्ति गंदी बस्तियों में रहते हैं और अनधिकृत रूप से बसने वाले लोगों की संख्या किस दर पर बढ़ रही है ;

(ग) क्या सरकार ने समूचे देश में इन लोगों को अधिक स्वस्थ वातावरण वाले स्थानों पर बसने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया है और उपाय किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) भारत के नगरों में गन्दी बस्ती की जनसंख्या के संबंध में कोई ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु योजना आयोग द्वारा 1972 में नियुक्त किए गये कार्यकारी दल ने 5 लाख से अधिक आबादी के बड़े शहरों तथा महानगरों से प्राप्त गंदी बस्तियों की वृद्धि के निर्धारण के आधार पर एक अनुमान लगाया कि शहरों की 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहती होगी।

(ख) नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन द्वारा दिल्ली में अनधिवासी बस्तियों का सर्वेक्षण करने पर पता चला कि 1973 में लगभग 1,31,755 अनधिवासी बस्तियां थी। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि वर्ष 1971–73 के मध्य इन अनधिवासी बतिस्यों में लगभग 23 प्रतिशत तक बृद्धि हुई।

(ग) तथा (घ) : गन्दी बस्तियों के संबंध में दो योजनाएं है जिनका कार्यान्वियन हो रहा है। प्रथम योजना गंदी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना है जो 1956 में आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्ती में रहने वालों को जिन्हें उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्थापित किया गया है, उन्हें खाली विकसित प्लाट अथवा टेनामेंट दिया जाता है। इस योजना में गन्दी बस्तियों में सुधार करने का भी प्रावधान है। ताकि वे रहने योग्य बन जाए। दूसरी योजना गंदी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार की योजना है जो 1972 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसी गन्दी बस्तियों में पानी सप्लाई जिसमें पानी के नलके, नालियां बनाना तथा गलियों को चौड़ा करना व उनमें खडंजे बिछाना जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, जिनका उन्मूलन कम से कम अगले 10 वर्ष तक नहीं किया जाना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में ऐसे सभी शहरो गंदी बस्ती क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत लाना जिनकी जनसंख्या तीन लाख या इससे अधिक है तथा ऐसे राज्यों में कम से कम एक शहर में यह योजना लागू करनी है जिनके किसी भी शहर की आबादी 3 लाख या इससे अधिक नहीं है। ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

दिल्ली में गंदी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अतिरिक्त झुग्गी झोंपड़ी हटाओ योजना के अन्तर्गत सार्वजनिकभूमि के अनधिवासियों को नव विकिसित पुनर्वास कालोनियों में पुनः बसाया जाता है। गत वर्ष लगभग 1,07,000 अनधिवासी परिवारों को नई विकसित पुनर्वास कालोनियों में बसाया गया।

मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में दर्ज व्यक्तियों के लिए मकान

2053. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत गत तीन चार वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण में दर्ज व्यक्तियों को अभी तक मकान आवंटित नहीं किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं और नये दर्ज व्यक्तियों को मकान आवंटित करने से पहले इन व्यक्तियों को मकान देने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में मध्यम आय वर्ग योजना के अधीन आवास के लिए 1972–73 तक पंजीकृत 13,810 लोगों में से 9,634 लोगों को अब तक मकान आवंटित किए गए हैं। 476 लोगों ने अपना पंजीकरण वापस ले लिया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण में मध्यम आय वर्ग के अधीन पंजीकृत लगभग 3700 लोग फ्लैट के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग केवल अपनी मर्जी की बस्तियों में आवंटन चाहते हैं। इन आंकड़ों में इन लोगों की मांग शामिल नहीं है जिन्होंने 1976 के नये पंजीकरण के अधीन पंजीकरण करवाया है तथा जिनके मामले पर तभी विचार किया जाएगा जब पहले पंजीकृत व्यक्तियों की मांग को पूरा किया जायगा।

हरियाणा की मंडियों से गेहूं की वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम की माँग

2054. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने चालू मौसम के दौरान मंडी में आने वाले गेहूं का कम से कम 15 प्रतिशत वसूल करने की अनुमति के लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा फ़िर से की गई मांग को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने मंडी में आये गेहूं की वसूली में से कुछ अंश देने के बारे में गेहूं वसूली मौसम के शुरु में हरियाणा सरकार से अनुरोध किया था। तथापि, हरियाणा सरकार भारतीय खाद्य निगम को कोई शेयर देने के लिए राजी नहीं हुई क्योंकि उनकी धारणा यह थी कि राज्य की वसूली करने वाली ऐजेंसियों के पास गेहूं की वसूली का कार्य संभालने के लिए पर्याप्त स्टाफ़ तथा अन्य प्रबंध हैं। इसलिए इस समय, जबकि गेहूं की अधिकांश वसूली हो चुकी है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा फ़िर कोई नई मांग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

लाभ की कुछ प्रतिशत राशि का चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए उपयोग

2055. **श्री डी० के० पंडा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी निर्माता उद्योग के आधुकीकरण और विस्तार पर बहुत ही कम धनराशि खर्च करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लाभ की कुछ प्रतिशत राशि उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये अनिवार्यतः लगाई जाये, इस प्रयोजनार्थ कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) : चीनी उद्योग जांच आयोग के अनुसार देश की सभी चीनी फ़ैक्ट्रियों द्वारा 1960–61 से 1969–70 की अवधि के

दौरान विस्तार, फ़ेर-बदल, पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर कुल लगभग 76 करोड़ रुपये अर्थात 7.6 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च किए गए थे ।

(ख) : जी नहीं ।

उड़ीसा में भूमिगत जल के लिए विश्व बैंक से ऋण

2056. **श्री राम भगत पासवान :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग के लिये विश्व बैंक से पर्याप्त ऋण हेतु अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में बैंक की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व बैंक उड़ीसा कृषि तीव्रीकरण परियोजना, जिसका भूमिगत जल विकास भी एक अंग है, का मूल्यांकन कर रहा है । प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि विश्व बैंक मुख्य मुद्दों पर भूमिगत जल सर्वेक्षण और शिक्षा प्रदान करने तथा प्रदर्शन अनुसंधान के लिए सहायता देने के संबंध में विचार करेगा । भूमिगत जल विकास परियोजनाओं को कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी जो अदा की गई धनराशि का 55 प्रतिशत ऋण की सामान्य पद्धति के अन्तर्गत विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा निगम को वापिस कर दी जाएगी ।

पशुओं और मुर्गी प्रजनन कार्य का समन्वय

2057. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पशुओं और मुर्गी प्रजनन कार्य में समन्वय के लिए कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के बीच क्या व्यवस्था है ;

(ख) क्या कृषि विभाग द्वारा अपनाये गये पशु प्रजनन कार्यक्रम के बारे में प्रेस में छपने वाली कहानियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के पशु-वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जा रही है ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रशासन द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं विभाग द्वारा संचालित पशुधन तथा कुक्कुट प्रजनन संबंधी अनुसंधान तथा विकास के कार्यक्रमों को निम्नलिखित दो वाक्याठों (फारम) में समन्वय किया गया है :—

(1) अनुसंधान तथा विकास समन्वय समिति, तथा

(2) केन्द्रीय कुक्कुट विकास सलाहकार परिषद्

इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ उन सभी सलाहकार परिषदों, सम्मेलनों, समितियों/गोष्ठियों तथा अन्य वावपीठों के सदस्य हैं जहां विकास कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाता है। तथा कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक पैनलों समितियों, गोष्ठियों की सदस्यता के नाते तथा कार्यगोष्ठियों एवं अन्य सामुहिक विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित के रूप में पूरी तरह से भाग लेते हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी मुद्रणालयों की उत्पादिता में सुधार

2058. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न मुद्रणालयों के कार्यकरण और उत्पादिता में काफी सुधार हुआ है ; और

(ख) गैर-सरकारी मुद्रणालयों से डी० ए० वी० पी० और प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों सहित सरकार की पत्रिकाओं और दस्तावेजों का मुद्रण कम करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां । भारत सरकार मुद्रणालयों की उत्पादिता में कुछ सुधार हुआ है । वर्ष 1974–75 की 36,210 की औसत के मुकाबले में वर्ष 1975–76 के दौरान प्रति घंटा छापों की संख्या की औसत 36,770 रही है ।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा प्रकाशन प्रभाग की सहमति से, उनकी यथासंभव अधिक से अधिक आवधिक पत्रिकाओं, प्रकाशनों आदि को भारत सरकार मुद्रणालयों के अपने तकनीकी संसाधनों के भीतर छपवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

सूखा और बाढ़ों के कारण फसलों को हानि

2059. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों और सूखे के कारण फसलों को होने वाली हानि पिछले दस वर्षों से निर्बाध रूप से निरन्तर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रकोपों के परिणामस्वरूप वर्ष-वार फसलों की अनुमानतः कितनी हानि होती है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम के लिये इस समस्या की गम्भीरता और स्वरूप का गहराई से अध्ययन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) देश के बारंबार सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से सरकार ने 1970–71 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया है । सरकार ने 13 राज्यों

के 74 जिलों को पूर्णत: या अंशत: बारम्बार सूखाग्रस्त जिलों के रूप में अभिज्ञात किया है। शुरू में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन और रोजगार के अवसर तैयार करने पर ध्यान दिया जाता था। परन्तु, बाद में क्षेत्र विकास कार्यक्रम के आधार पर इस कार्यक्रम का पुनर्नवीकरण कर दिया गया अवस्थापना संबंधी पैकेज और क्षेत्र (आन-फार्म) विकास क्रिया-कलापों के माध्यम से इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था मे सुधार करने की नीति है, ताकि ऐसे क्षेत्र की भूमि, जल और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। यह कार्यक्रम पांचवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगा, अत: स्थिति का यथा समय पुनरीक्षण किया जायेगा।

इसी प्रकार बाढ़ से ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों में उचित बाढ़ संरक्षण संबंधी उपाय करने के लिए 1954 में एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग का उचित संरक्षण किया गया है। बाढ़ नियंत्रण उपायों के कार्यक्रमों और भूदा संरक्षण, वनरोपण आदि पहलुम का गहराई से अध्ययन करने के लिए सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बा आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है, ताकि बाढ़ नियंत्रण संबंधी समस्या के हल के लिए समन्वित, समेकित और वैज्ञानिक कार्यक्रम का विकास किया जा सके और प्राथमिकताओं का निधारण करते हुए जो निकट भविष्य में क्रियान्वित की जानी हैं; एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जा सके। आयोग यथाशीघ्र परन्तु किसी भी हालत में दो वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा।

Committee on Propagation of Hindi

2060. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the name of the committee Institute in the Ministry for promotion and propagation of official language, Hindi, indicating the names of their members;

(b) the number of meetings of official language Implementation Committees of the Ministry and diferent Departments of the Ministry held this year and the measures adopted to implement their decision ;

(c) whether periodical meetings of these Committee are not held regularly and their decisions have not been implemented fully; and

(d) if so, the steps taken to bring about necessary improvement in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The names of the members of "Krishi Mantralaya Hindi Salahkar Samiti" are given at Annexure. [Plased in Library See No. L.T. 11311/76]

(b) to (d) The Official Language Implemention Committees have been set up in variouss Departments of the Ministry under the chairmanship of concerned Joint Secretaries of which one meeting each in the Department of Food, Irrigation and Agricultural Research and Education has been held this year and the meeting in the Department of Agriculture has been fixed for September 9, 1976. Acommittee is expected to be constituted very shortly in Rural Development Deparrment after the appoinrment of Hindi. Officer. Action is being taken by the respective Deparrment on the decisions taken by these Committees.

An appeal by the Miniter of Agriculture and Irrigation has also been made for the progressive use of Hindi Meetings of Agriculture for the proper ann speedy implemention of the Official Laguages Rules, 1976.

गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास

2061. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी मौसम में गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार हैं ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). 1976-77 मौसम के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

2062. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गैर-सरकारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

विशेष कार्यक्रम का मूल्यांकन और उसका पर्यवेक्षण

2063. **श्री वसन्त साठे :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अधीन केन्द्र द्वारा प्रयोजित विशेष कार्यक्रमों संबंधी पर्यवेक्षण और मूल्यांकन संगठन को नया रूप देने और सुदृढ़ बनाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां। उठाये गये / या उठाये जा रहे विशेष कदमों में चालू प्रमुख सिंचाई योजनाओं की प्रगति देखने के लिये केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना करना, भूमिगत जल विकास की प्रगति समय-समय पर पुनरीक्षण करना तथा उसके विकास में रुकावट डालने वाली बातों का पता लगाने के लिये केन्द्रीय दलो का गठन करना और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्य का तीव्र पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय में भूमि सुधार प्रभाग को मजबूत बनाना शामिल है। इसी प्रकार ग्रामीण ऋणों की समाप्ति संबंधी कार्य के पर्यवेक्षण तथा छोटे एवं सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेन्सियों, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों को भी मजबूत बनाया गया है। इस मंत्रालय के संबंध में 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के लिये एक समन्वय समिति का गठन भी किया गया है।

"करंट" साप्ताहिक में प्रकाशित एक समाचार के सम्बध में विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE RE, NEWS ITEM PUBLISHED IN 'CURRENT' WEEKLY

अध्यक्ष महोदय : 23 अगस्त, 1973 को श्री नवल किशोर सिंह ने उक्त विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाना चाहा था जो दिनांक 21 अगस्त, 1976 की करंट वीकली; बम्बई में प्रकाशित एक समाचार के सम्बन्ध में था । इस अंक में सदस्य पर कतिपय आरोप लगाये थे ।

वीकली के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक ने दिनांक 25 अगस्त 1976 के अपने पत्र में उन परिस्थितियों को स्पष्ठ किया है जिनके अन्तर्गत सदस्य का फोटो गलती से छप गया था और उन्होंने इस पर अपना खेद व्यक्त किया है ।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : सप्पादक ने मुझे भी पत्र लिखा है जिसमें वही बातें लिखी गयी हैं जो अध्यक्ष महोदय को प्राप्त पत्र में लिखी गयी हैं ।

मैं चाहता हूं कि सम्पादक अपनी वीकली में इस पत्र को उस व्यक्ति; जो अर्बन बैंक का अध्यक्ष है, के चित्र के साथ प्रकाशित करे . . .।

इस मामले में आप जो भी निर्णय लें, मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोयद : यदि सभा सहमत हो तो मैं समझता हूं कि वीकली के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक से कहा जाये कि वह 'करेंट वीकली' के अगले अंक के मुख्य पृष्ठ पर अपना खेद और शुद्धि स्पष्ट रूप से छापे । तत्पश्चात् मामले को समाप्त समझा जाये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON TABLE

अतारांकित प्रश्न संख्या 7823 दिनांक 28-8-75 के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण, मदुरै नगर निगम अंतिम ग्रेड सेवा नियम, 1975 आदि, आदि

निर्माण और आवास मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर के कर्मचारियों को मकान भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के बारे में श्रीमती पार्वती कृष्णन के अतारांकित प्रश्न संख्या 7823 के 28 अप्रैल, 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा

(दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11271/76]

(2) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मदुरै नगर निगम अधिनियम, 1971 की धारा 432 के अन्तर्गत मदुरै नगर निगम अन्तिम ग्रेड सेवा नियम, 1975 की एक प्रति, जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1916 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11272/76]

(3) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 की धारा 304 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1197 की एक प्रति, जो दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु नगरपालिका से नियम, 1970 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11273/76]

(4) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1976 की धारा 277 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात राज्य नगरपालिका (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) निर्वाचन (संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 26 मई, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी० 88–76–एम० यू० एन० 3871-4331 (76)-डी० एच० में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11274/76]

चीनी (वर्ष 1975–76 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1976, तमिलनाडु कृषि उपज बाजार अधिनियम तथा तमिलनाडु ऋण राहत अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1975–76 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन,

आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिचसूना संख्या सा० सां० नि० 763(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11274/76]

(2) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1959 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 956 जो दिनांक 16 जुलाई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० ओ० एम० 1003 जो दिनांक 20 जुलाई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० ओ० एम० 1005 जो दिनांक 30 जुलाई, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) सरकारी ज्ञापन संख्या 68957 ए० एम० आई०/75-2 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० ओ० एम० 1360 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० ओ० एम० 1396 जो दिनांक (अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० ओ० एम० 1473 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० ओ० एम० 1474 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० ओ० एम० 1489 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र प्रकाशित हुई थी ।

(दस) जी० ओ० एम० 1779 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी० ओ० एम० 1783 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० ओ० एम० 1830 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० ओ० एम० 1937 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) जी० ओ० एम० 1950 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) जी० ओ० एम० 67 जो दिनांक 11 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) ज्ञापन संख्या 68960/ए० एम० आई०/75-1 जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सत्रह) ज्ञापन संख्या 70754/ए० एन०-1/75-3 जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(अठारह) जी० ओ० एम० 139 जो दिनांक 18 फरवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० ओ० एम० 346 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० ओ० एम० 347 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) जी० ओ० एम० 392 जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बाईस) जी० ओ० एम० 394 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० ओ० एम० 394 जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौबीस) जी० ओ० एम० 395 जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पच्चीस) जी० ओ० एम० 396 जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छब्बीस) जी० ओ० एम० 397 जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्ताईस) जी० ओ० एम० 554 जो दिनांक 31 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठाईस) जी० ओ० एम० 555 जो दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्तीस) जी० ओ० एम० 556 जो दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीस) जी० ओ० एम० 576 जो दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इकत्तीस) जी० ओ० एम० 604 जो दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बत्तीस) जो० ओ० एम० 605 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तैंतीस) जी० ओ० एम० 787 जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौंतीस) जी० ओ० एम० 788 जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पैंतीस) जी० ओ० एम० 789 जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी ।

(छत्तीस) जी० ओ० एम० 943 जो दिनांक 2 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सैंतीस) जी० ओ० एम० 944 जो दिनांक 2 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अड़तीस) जी० ओ० एम० 1231 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उंतालीस) जी० ओ० एम० 1232 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चालीस) जी० ओ० एम० 1255 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इकतालीस) जी० ओ० एम० 1254 जो दिनांक 21 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बयालीस) जी० ओ० एम० 1255 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेंतालीस) जी० ओं० एम० 1259 जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये संख्या** एल० टी० 11276/76]

(4) (2) तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु ऋण राहत अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 जुलाई 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय मे रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 11277/76]

नागालैंड सरकार की ो अधिसूचनाओं की तिथियाँ ठीक करने वाला एक विवरण और सरकारी क्षेत्र के बाईस बैंको के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन

राजस्व और बैंकिंग विभाग में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नागालैंड विक्रय कर अधिनियम; 1967 के अन्तर्गत 12 मई, 1976 को सभा पटल पर रखी गई नागालैंड सरकार को दी अधिसूचनाओं की तिथियो ठीक करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11278/76]

(2) सरकारी क्षेत्र के बाईस बैको के 31 दिसम्बर, 1975 को सामाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी समेकिन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11279/76]**

गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा (संशोधन) नियम, 1976, विवरण, अधिसूचनायें आदि आदि

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1)(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ-गठित गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा (संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एच० एम०-76-एम०101- जे आई० सी० एस०-1073-170843-जे० में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11280/76]

(2) (क) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु कुदीयिरुप के कब्जेदार (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 1961 की धारा 14 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1293 की एक प्रति जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु कुदीयिरुपू के कब्जेदार (कुदीयिरुप के अभिलेख तैयार करना) नियम, 1973 में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यात्मक टिप्पण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11281/76]**

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अतिरिक्त सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1961 की धारा 112 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०ओ०एम० 1448 जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किया गया है और एक व्याख्यामक टिप्पण। **[ग्रंथालय में रखागया। देखिये संख्या एल० टी० 11282/76]**

(4) (क) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुडालूर जनगस सम्पदा (उत्सादन और रायतवारी में बदलना) अधिनियम, 1969 की धारा 60 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्निलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 1115 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० 1258 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11283/76]

(5) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु इनाम सम्पदा (उत्सादन और रायतवारी बदलना) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत जारी किया गया ज्ञापन संख्या 6772/8–2/76–2 की एक प्रति, जो दिनांक 5 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा 1965 की अधिसूचना संख्या II-1 संख्या 1061 दिनांक 12 मार्च, 1965 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11284/76]

6. (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु कृषि भूमि काश्तकारी अधिकार अभिलेख अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 634 की एक प्रति, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1971 की अधिसूचना संख्या II-1 संख्या 3987 (ख) दिनांक 7 सितम्बर, 1971 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

(ख) (2), (3), (4), (5) तथा (6) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11285/76]

(7) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत तमिलनाडु भाण्डागारण निगम, मद्रास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गवा। देखिये संख्या एल० टी० 11286/76]

Indian Telegraph (7th Amendment) Rules, 1976

Minister for Communication (Dr. Shanker Dayal Sharma) : I beg to lay a copy of the Indian Telegraph (Seventh Ammendment) Rule, 1976 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 933 in Gazette of India dated the 26th June, 1976 under sub-section (5) of section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Laid on the table-*See* Lt. No. 11287/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली, मेरठ तथा बुलन्दशहर (दुग्ध तथा दुग्ध-उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1975,

जो दिनांक 6 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 200 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) उर्वरक (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1976, जो दिनांक 9 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 759 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11288/76]

नई रेल लाइनों/पुनः चालू की गई नई रेल लाइनों के बारे में विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : मैं श्री बूटासिंह की ओर से तारांकित प्रश्न संख्या 190 पर अनुपूरक प्रश्नों के दौरान अध्यक्ष द्वारा 24 अगस्त, 1976 को दिये गये निदेशों के अनुसरण में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें नई रेल लाइनों/पुनः चालू की गई रेल लाइनो के नाम उल्लिखित हैं, जिनके लिये योजना आयोग द्वारा नई लाइनों के निर्माण हेतु नियत की गई एक सौ करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जायेगा, सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11289/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर तथा मद्रास के वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा दो विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(ख) उपर्युक्त दस्तावेजों के हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11290/76]

वित्तीय समितियाँ (1975–76)—एक समीक्षा

FINANCIAL COMMITTEES 1975-76)—A REVIEW

महासचिव : मैं वित्तीय समितियां (1975–76) एक समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE REPORTS
225वाँ, 226वाँ और 228वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी [रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)] से सम्बन्धित पैराग्राफ 9 पर 225वां प्रतिवेदन ।

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 1971–72 और 1972–73 के प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां, खंड 2, प्रत्यक्ष कर (राजस्व तथा बैंककारी विभाग) के अध्याय चार में सम्मिलित धन कर से सम्बन्धित पैराग्राफों पर 226वां प्रतिवेदन ।

(तीन) ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत योजना (कृषि और सिंचाई मंत्रालय—ग्रामीण विकास विभाग) पर 170वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 228वां प्रतिवेदन ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
तीसरा प्रतिवेदन

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन
JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT
19वाँ प्रतिवेदन

श्री पट्टाभि रामराव (राजमुन्दरी) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संविधान (32वाँ संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (THIRTY SECOND) AMENDMENT BILL
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—समय का बढ़ाया जाना
Motion Re : Extension of time for presentation of Report of Joint Committee

डा० हेनरी आस्टिन—मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

संविधान (43वाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (FORTY-THIRD AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, 26 अगस्त, 1976 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

संविधान के अनुच्छेद 316(2) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य 60 वर्ष की आयु तक अथवा 16 वर्ष तक जो भी पहले हो, कार्य भार संभाल सकता है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, लोक सेवा आयोग के कार्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग में केवल साहसी और ईमानदार अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। यह तभी सम्भव है जब सेवा की शर्तें आकर्षक बनायी जाएं । एक शर्त यह भी है कि जिन व्यक्तियों को ये पद दिए जाए उन्हें लम्बे समय तक सेवा कराने का अवसर प्रदान किया जाए । संविधान के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि नियुक्त किए जाने वाले आधे अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुके हो । शैक्षणिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भी आयोग में नियुक्त किया जाता है ।

इस संदर्भ में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति आयु 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई है । इस पर इस उद्योग में नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी को सेवा निवृत्ति के बाद केवल दो वर्ष ही मिल पाएंगे । अनुच्छेद 319 में यह व्यवस्था है कि कोई भी सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी आयोग में नियुक्त नहीं किया जाएगा । इस प्रकार जब तक सेवा की अवधि बढ़ाई न जाए तब तक कर्मचारी इस ओर आकर्षित नहीं हो सकते । इसलिए सेवा निवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव है । यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 316(2) में संशोधन करके की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है । इसलिए मैं मतदान का समय नियत करना चाहता हूं ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : ढाई बजे का समय नियत किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मतदान का समय ढाई बजे होगा।

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshed pur) : It is a welcome Bill. I would like to give certain suggestions in this regard. According to Article 316(2) of the Constitution half of these Member of every public service Commission must have held Government offices for at least 10 years. But this is not being observed. In Bihar there have been instances where members have not held any Government office.

It is stated in the Bill that the age is being raised to 62 with a view to attracting academicians, eminant persons and administrators. Since the age in the case of the U.P.S.C. is 65 why should the same age not be fixed in the case of state public service commissions also? It would certainly be a great attraction.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह विवादास्पद विधेयक नहीं है। मंत्री महोदय ने बताया है कि 2 वर्ष का सेवावधि विस्तार केवल परिपक्व अधिकारियों को ही दिया जाएगा। मेरे विचार में परिपक्वता का आयु के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। हो सकता है कि अधिक उम्र का व्यक्ति परिपक्व न हो और यह भी हो सकता है कि कम उम्र का व्यक्ति भी परिपक्व हो। इसलिए सेवा अवधि 60 वर्ष से बढाकर 62 वर्ष करने का कोई लाभ नहीं। इससे युवा वर्ग के व्यक्तियों को नौकरी का अवसर नहीं मिल पाएगा। वृद्ध कर्मचारियों को युवा व्यक्तियों के हित में सेवा-निवृत्त हो जाना चाहिये। यदि सेवा अवधि बढानी ही है तो इसे 65 वर्ष कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की सेवा अवधि बढाई जाए, वे ईमानदारी और कुशलता से कार्य करें तथा किसी के दबाव में न आएं और न ही किसी की सिफ़ारिश पर किसी को नियुक्त करें। यदि वह ऐसा करते हैं तो हमारे लिए वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा।

प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रौद्योगिकीविद को चुना है। सरकार ने स्वयं महसूस किया है कि आयोग का अध्यक्ष नौकरशाह नहीं होना चाहिए। केवल वही कर्मचारी आयोगों के सदस्य बनाए जाने चाहिए जो सत्यनिष्ठ, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान हो और कुछ अपवादों को छोड़ कर सेवा निवृत्त व्यक्ति को आम तौर पर आयोग में नहीं लिया जाना चाहिए।

सेवा-निवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर देने का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि केवल वृद्ध कर्मचारी ही अधिक कार्यकुशल होते हैं। यह धारणा दूर की जानी चाहिए। आज का युवा वर्ग बहुत सजग है।

विधेयक का समर्थन करते हुए, मेरा अनुरोध है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यो तथा राज्य आयोगों के सदस्यों की आयु के अन्तर के आधार को स्पष्ट किया जाए। इन दोनो में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali) : I welcome the Bill. But I am unable to understand why discrimination has been made in regard to the age of the Members of the State Public Service Commissions and the U.P.S.C. There should be a uniform prniciple in this regard. Let all those who are physically fit to serve up to the same age whether they are judges, professors or others.

The Members of the Public Service Commission should be appointed on the basis of integrity and honesty and some criteria should be laid down in this regard. It has been observed that the appointments in some on the state Public Service Commissions are made on political considerations. This practice should be discouraged.

श्री दिनेश जोरदर (माल्वा) : यह विधेयक आयोग के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढाकर 62 वर्ष करने के लिए लाया गया है। कर्मचारियो के विभिन्न वर्गों के लिए सेवा-निवृत्ति की अलग-अलग आयु निर्धारित करने का क्या मानदण्ड है ? केन्द्रीय तथा सरकारी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति आयु 55 से बढाकर 58 वर्ष कर दी गई है। लेकिन सुनने में आया है कि इसे फ़िर 55 वर्ष कर दिया जाएगा। पता लगा है कि पश्चिम बंगाल नगरपालिका के कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। 50 वर्ष की आयु के बाद नगरपलिका या राज्य सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह उसे सेवा में लगाए रखे अथवा नहीं। ये विषमताएं क्यों हैं ? गृह मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार आयोग को सरकारी कर्मचारियो की सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में नीति की घोषणा करनी चाहिए। ऐसा देखने में आयाहै कि जिसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने तथा प्रतियोगिताओ में भाग लेने का अवसर मिल जाता है उसे आयोग का सदस्य बना दिया जाता है और इस प्रकार वह विशेषाधिकार प्राप्त लोगो की श्रेणी में आ जाता है और उसे कार्यकुशल कर्मचारी घोषित कर दिया जाता है।

वस्तुत: यह नीति उन लोगों और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन नहीं देती जिन्हें कि अपनी प्रतिभा अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार की भर्ती का विकेन्द्रीय-करण किया जाना चाहिए। केवल कुछ लोग अपने प्रभाव के कारण उच्च सरकारी ओहदों को संभाले रखते हैं। 62 से 65 वर्ष तक और उसके बाद भी उन्हें किसी न किसी आयोग का सदस्य बना दिया जाता है और वे मानदेय राशि प्राप्त करते रहते हैं।

इस नीति का समर्थन करना कठिन है कि किसी विशेष व्यक्ति को, यदि वह सक्षम हो तब तक उस पद पर रखा जाए जब तक कि वह कार्य करने योग्य हो। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को कुछ विशेष व्यक्तियों का इन सुविधाओं तथा अवसरों पर एकाधिकार समाप्त होना चाहिए और सक्षम तथा योग्य युवा लोगों को भी उन पदों के लिए रखा जाना चाहिए।

आजकल देखा जाता है कि सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती स्वयं संगठनों द्वारा कर ली जाती है और उनकी भर्ती लोक सेवा आयोगों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखी जाती है। यह उचित नहीं है अधिकांश उपक्रमों में अधिकारी अपने लोगों को भर्ती कर लेते हैं। सरकारी नौकरी देने के लिए अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी देने के लिए भर्ती का समान मानदण्ड होना चाहिए। इसके लिए एक समेकित निकाय होना चाहिए जो कि रोजगार कार्यालयों से उपलब्ध अभ्यार्थियों की सूचियो की जांच करे और इसी समेकित संगठन को ही केन्द्रीय सेवाओं तथा राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना चाहिए। एक तालिका तैयार की जा सकती है और रिक्त स्थानो की पूर्ति उसी तालिका से की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार आयोग को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : अध्यक्ष, महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं संविधान के अनुच्छेद 316 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं पहले किसी भी लोक सेवा आयोग का सदस्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर या उस पद पर 6 वर्ष पूरे करने पर, इनमें से जो पहले हो सेवा निवृत्त किया जाता था। अब चूंकि सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जा रही है अत: 6 वर्ष की अवधि सीमा की यह शर्त हटा दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि उच्चतम न्यायालय के

न्यायधीश उच्चतम न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते अतः उन्हें किसी आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। वह निर्णायक भी हो सकता है जबकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर, आयोग की सदस्यता स्वीकार करने के बाद केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कहीं भी सेवा नहीं कर सकते। अत : 6 वर्षों की यह शर्त हटा दी जानी चाहिए।

लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बीच किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए सेवा निवृत्ति का आयु 62 वर्ष है जबकि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए यह 65 वर्ष है। सभी के लिए सेवा निवृत्ति की आय 65 वर्ष क्यों नहीं कर दी जाती ?

यह भी आवश्यक है कि लोक सेवा आयोग का एक सदस्य अनसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों का होना चाहिए। इससे कमजोर वर्गों के लोगों में भय दूर हो जाएगा और भर्ती करने की गतिविधियों पर वे भी निगरानी रख सकेंगे।

इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग का एक सदस्य दूसरे राज्य से भी होना चाहिए। इससे नियुक्ति और चयन में कुछ वास्तविकता आएगी।

रेलवे का अपना ही सेवा आयोग है। अब राष्ट्रीयकृत बैंक भी अपने लिए पृथक सेवा आयोग के लिए कह रहे हैं। इस तरह अधिक आयोग स्थापित करने से भर्ती की नीति की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इन सभी मामलों पर सरकार को एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : अध्यक्ष महोदय यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं फिर भी सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं।

अब हम इन सदस्यों की सेवा निवृत्ति आय 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर रहे हैं केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आय को 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किया गया है इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीसों की सेवा निवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। यद्यपि हमें इन लोगों की सेवा निवृत्ति आयु के बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं है फिर भी हम चाहते हैं युवा पीढ़ी को भी अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाए क्योंकि वह बड़े लोगों की तुलना में अधिक काम करते हैं और अधिक कुशलता से करते हैं क्योंकि उनमें स्फूर्ति होती है।

मैं तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के संबंध में भी दो चार शब्द कहना चाहता हूं। खेद की बात है कि तमिलनाडु में भतपूर्व सरकार ने लोक सेवा आयोग को स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने दिया और वह आयोग को अपने ही लोगों को नियुक्त करने के लिए आदेश देती रही भतपूर्व सरकार के राज्य वर्ग 1 के पद जैसे डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पद के लिए खुले आम 25,000 रुपया लिया गया और वर्ग दो तीन, और चार के पदों को क्रमश 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए में बेचा गया। अत : हमारा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करे कि क्या वर्तमान लोक सेवा आयोग किसी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। तमिलनाडु के लोगों को आशंका है कि आयोग में वही बात चल रही होगी। मंत्री महोदय इस मामले में उपचारात्मक कदम उठाएं और लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करें।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। कई माननीय सदस्यों को शायद कुछ यह भ्रांति हो रही है कि इस संशोधी विधेयक से युवा प्रतिभाशाली लोगों को लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाने से हतोत्साहित किया जाएगा। संशोधन या मूल संविधान में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो राज्यपाल को या राष्ट्रपति को युवा लोगों की भर्ती करने से रोके।

इस विधेयक का सीमित उद्देश्य यह है कि लोक सेवा आयोग के चैयरमैन तथा सदस्यों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाए। इसका कारण यह है कि जब लोक सेवा आयोग में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर वे किसी भी सरकारी पद के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते। जबकि अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को सेवनिवृत्ति के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। एक जिला न्यायधीश को औद्योगिक ट्रिब्यूनल अथवा श्रम ट्रिब्यूनल का न्यायधीश बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायधीश उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अत: प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए लोक सेवा के सदस्यों की सेवा निवृत्ति आयु 50 से 62 वर्ष करने का उपबंध स्वागतयोग्य उपबंध है इसे बहुत पहले लागू कर दिया जाना चाहिए था।

सरकार के सुचारु कुशल तथा निष्पक्ष कार्यकरण के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष और सेवा संवर्गों की आवश्यकता होती है और यह केवल उसी दशा में सुनिश्चित हो सकता है जबकि लोक सेवा आयोगों को सही प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। यह एक सीमित विधेयक है अत: मैं आपका अधिक समय नहीं लूगा। मैं इसका विधेयक का पूरा पूरा समर्थन करता हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के उपरांत लोक सभा दो बज कर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The lok Sabha assembled after lvnch at four minvtes past fourteen of the clock.

संविधान (43वाँ संशोधन) विधेयक---जारी

CONSTITUTION (FORTY-THIRD AMENDMENT) BILL—*Contd.*

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

Shri R. R. Sharma (Banda) : The scope of this Bill is very limited, namely to raise the age of retirement of the chairman and Members of the State Public Service Commission from 60 to 62. It is not understood why the age is not being raised to 65 as is provided in the case of U.P.S.C. This different should be done away with. With these workds I support the Bill.

Shri Hari Singh (Khurja) : The Bill is a step in the right direction. So far the academicians are not prepared to become Members of the Public Service Commissions because they think that they will retire earlier. Now since the age is being raised they will not hestitate to come forward.

At present there are separate Public Service Commisions for the Railways and Banks. This is not proper. Appointments to all gazetted posts in all depatments should be made by Public Service Commissions.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस पद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति आयु में दो वर्ष की अवधि और बढाई जा रही है लेकिन लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को भी उसके लिए उतना ही योग्य होना चाहिए तभी वह उस पद पर बने रहने के हकदार होंगे ।

यह बात तो यह है कि हमें लोक सेवा आयोगों की ओर अधिक कारगर बनाया जाना चाहिए क्योंकि इन का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण पदों की नौकरियों पर रहता है। यदि आप यह चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों के लिए केवल योग्य व्यक्तियों का चयन ही किया जाये तो आपको लोक सेवा आयोग के सदस्यों का चयन करते समय भी अधिकाधिक योग्य व्यक्तियों का ही चयन करना चाहिए । लोक सेवा आयोग का गठन करने की पद्धति में सुधार किया जाना चाहिये । केवल उसके सदस्यों के कार्यकरण को अधिक आकर्षक बनाने से मैं समझता हूं कि इस सस्मया का पूरी तरह से समाधान नहीं हो सकेगा ।

मेरे किसी साथी ने एक सुझाव यह भी दिया है कि बैंक तथा रेलवे आदि के लिए जो अलग अलग सेवा आयोग है, उन सभी को मिलाकर एक सेवा आयोग ही बनाया जान चाहिए । इस सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन अरना है कि विशिष्टता प्राप्त सेवाओं के लिए ऐसा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । अभी परिस्थितियां इसके अनुरूप नहीं हैं कि एक ही समेकित एजेंसी के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाओं के लिए चयन किया जा सके । इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंकों की जरुरतें अलग होती हैं, सरकारी उपक्रमों के अलग तथा इसी प्रकार रेलवे की आवश्यकतायें अलग होती हैं । अभी मैं समझता हूं कि हमें सेवा आयोगों के गठन की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिए ।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों का अभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है ।

माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न भी उठाए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न श्री सोखी का है। मैं उन्हें यह बताता हूं कि हम लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष केवल इस पद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कर रहे हैं । हमें पता चला है कि विश्व-विद्यालयों में उन्होंने सेवा निवृत्ति की आयु बढाकर 60 वर्ष कर दी है और इसलिए लोक सेवा आयोग के लिए सदस्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों से अकादमीवज्ञों को लाना कठिन हो गया है । इसी बात को ध्यान में रख कर हमने सोचा कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति आयु बढाकर 62 वर्ष कर दी जाये ताकि हमें अकादमी क्षेत्र से अधिकाधिक सदस्य उपलब्ध हो सके ।

पूछा गया है कि हममें इनकी सेवा निवृत्ति आयु सम्बन्ध संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यो की भांति 65 वर्ष क्यों नहीं करनी चाहिए । इस अन्तर को रखने का भी प्रयोजन है । यदि सरकार देखती है कि राज्य सेवा आयोगों के कुछ सदस्यों का कार्य अत्यधिक सराहनीय रहा है तो उन्हें संघ लोक सेवा आयोग में रखा जा सकता है जहां कि वे 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। सेवा निवृत्ति की आयु में इसी प्रकार का अन्तर उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों में भी है ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि सेवा आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का होना चाहिए । 1973–74 तक लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 80 रही है जिनमें से 9 अनुसूचित जातियों तथा 9 अनुसूचित जनजातियों के थे। संघ लोक में भी हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं ताकि किसी भी समय आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जातियो का तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजातियों का रहे ।

दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग तथा रेल सेवा आयोग के बारे में उठाई गई है । शायद इसमें सदस्यों को कुछ भ्रान्ति हो रही है । रेल सेवा आयोग के माध्यम से केवल तीसरी श्रेणी की भर्ती की जाती है। रेलवे में दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है ।

जहां तक बैंकिंग सेवा आयोग का सम्बन्ध है, क्योंकि वहां की नौकरियां तकनीकी ढंग की होती हैं । हाल ही में सभा ने एक विधेयक पारित किया है कि बैंकों का एक पृथक सेवा आयोग होना चाहिए जो कि विशिष्ट पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के लिए भी बात उठाई गई है । प्रशानिसक सुधार आयोग की भी, यह एक सिफारिश है किन्तु पहले सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है । चूंकि यह मांग की गई है कि सरकारी क्षेत्र के लिए भी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग करे अतः हम इस पर विचार करेंगे और पता करेंगे कि क्या ऐसा सम्भव है ।

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग पर कुछ आरोप लगाए गए हैं । हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में पहले ही उपबन्ध कर लिया था । यदि ये विशिष्ट आरोप होंगे तो उन्हें राष्ट्रपति के समझ पेश किया जाएगा जो कि उन्हें उच्चतम न्यायालय को भेज देंगे । तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय की सलाह पर संघ लोक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवा से हटाया जा सकता है ।

Shri Bibhuti Mishra : On the basis of my personal enperience I may submit that the Chairmen and the Members of Public Service Commissions are always eager to have other members of the Commission from their own States. There are a number of such States which have not got equitable representation in Public Service Commissions. So I want to know whether Government is thinking of some such measure by which equitable distribution is possible.

श्री ओम मेहता : सरकार की यह नीति है कि आयोग कि सदस्यता के लिए सबसे उपयुक्त तथा कुशल व्यक्ति का चयन ही किया जाये । व्यक्ति का चयन जाति के आधार पर नहीं किया जाता

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मैं यह प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करूं , मैं इसे मत विभाजन के लिए प्रस्तुत करता हूं क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है । प्रश्न यह है :—

'कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes } 294 विपक्ष में Noes } 3

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

The motion is carried by a majority of the total, member ship of the House and by majority of not less than two third of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड दो पर भी मतदान मत-विभाजन द्वारा किया जायेगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes } 298 विपक्ष में Noes } शून्य

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

The Motion is carried by a majority of the total membeship of the House and by a majority of not less than two-third of the, Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 1

संशोधन किया गया
Amendment made

पृष्ठ 2, पंक्ति 3,—

"(43 वां संशोधन)" के स्थान पर "(41वां संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाये"।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1hc Motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting formula and the Titte were added to the Bill.

श्री ओम मेहता : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है । मेरी समझ में यह नहीं आया कि सामान्य संविधान संशोधन विधेयक के पेश होने तक इस के लिये प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई, जबकि वह विधेयक शीघ्र ही सभा के समक्षपेश किया जाने वाला है । मैं समझता हूं कि इस तरह बार बार संविधान में छोटे छोटे संशोधन करना बरी आदत है ।

देश के गणतंत्र बन जाने से लोक सेवा आयोगों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया है तथा संविधान में इनके महत्व को समझा गया है तथा इसलिये ही संवैधानिक उपबन्धों के द्वारा लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र रखा गया है । अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति आय बढ़ाकर उन्हें इस पद के लिये आकर्षित ही नहीं किया जा रहा है अपितु उन्हें यह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिये भी दो वर्ष की और अवधि के लिये आयोग में रखा जा रहा है । सरकार की भूमिका तेजी से बढ़ रही है । हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और हम में से जो समतावादी और समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वे समझते हैं कि सरकार को अधिक सक्रियता से कार्य करना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि प्रशासन का विस्तार करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसे सक्षम व्यक्तियों द्वारा चलाया जाये । इस के लिये यह जरूरी है कि यदि प्रशासन चलाने के लिये व्यक्तियों का चयन प्रतियोगिता के आधार पर किया जाये, तो लोक प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा भर्ती के जिम्मेदार लोक सेवा आयोगों के सदस्य अनुभवी और बद्धिमान व्यक्ति हों ।

उन की सेवा की शर्तें सम्मानीय बनाई जानी चाहियें तथा कार्य करने के लिये उन्हें स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिये । केवल तभी उन का पद अधिक आकर्षक होगा ।

श्री ओम मेहता : माननीय सदस्य ने कहा है कि उन के पदों को और आकर्षक बनाया जाये । हमने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन में वृद्धि की है । पहले उन्हें 3000 रुपये वेतन मिलता था, जिसे बढ़ा कर 3250 रुपये कर दिया गया है । हम ने उन की पेंशन योजना में भी सुधार किया है । हम ने यह कदम इन पदों को अधिक आकर्षक बनाने के लिये ही उठाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में, 308, विपक्ष में शून्य ।

The Lok Sabha divided Ayes 308, Noes Nil

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

संविधान पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक

FIFTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि भारत के संविधान की पंचम अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने जनजाति क्षेत्रों तथा जनजातीय लोगों के लिये विशिष्ट उपबन्ध किये थे । हमारा प्रयास यह रहा है कि ये सीधे सादे व्यक्ति राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो जायें । परन्तु इस के साथ साथ हम ने यह सुनिश्चित करना अनिवार्य समझा कि वे अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास करें और अपनी विशिष्ट संस्कृति तथा रहन सहन की पद्धति को कायम रखें ।

यह स्पष्ट है कि विकसित क्षेत्रों के लिये बनाये गये आम कानून जनजाति के सीधे सादे लोगों के लिये ठीक नहीं उतरे । संधिान के निर्माताओं को इस बात का भी पता था कि कभी कभी निहित स्वार्थ औपचारिक विधि सम्बन्धी कानूनों का सहारा ले कर अनिश्चितताओं तथा अनिर्णयों का लाभ उठा लेंगे । अतः सुरक्षा प्रदान करने वाला उपकरण भी स्वयं लचीला होना चाहिये ।

पांचवीं अनुसूची में इन बातों को विधिक रूप दिया गया है, जो विशेष विनियम बनाने की व्यवस्था करते हैं । इन विनियमों को संसद् या राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून की शक्ति प्राप्त है । ये विनियम वर्तमान कानूनों में संशोधन कर सकते हैं और वर्तमान कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों के किसी भी भाग में लागू होने से रोक सकते हैं । इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है । इसका मुख्य उद्देश्य हैं सीधे सादे लोगों के लिये जटिल कानूनों को सरल बना कर उनकी जरूरतों के मताबिक किया जाना ।

राष्ट्रपति द्वारा अनुसूची के अन्तर्गत 1950 में दो आदेश जारी किये गये थे । भूतपूर्व भाग "क" और भाग "ख" राज्यों में कतिपय क्षेत्र अनुसूचित थे । ये अनुसूचियां अपरिवर्तित अनुसूचित भागों के रूप में रहती आई हैं । गत वर्ष नवम्बर में हिमाचल प्रदेश में कुछ नये क्षेत्रों को अनसूचित किया गया है ।

सभा को अनुसूचित क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी हमारे नये प्रयास की जानकारी है । हमने उपयोजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों के समेकित रूप से पुनर्विकास की नीति अपनाई है । समीक्षा से पता चला है कि वर्तमान अनुसूचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 2.42 लाख किलोमिटर है । इन क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की संख्या लगभग 1.34 करोड़ है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग

44 प्रतिशत है । अब सभी बहु संख्यक जनजातीय क्षेत्रों में उप योजनायें चालू की जायेंगी । इन उपयोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 3.9 लाख वर्गमीटर क्षेत्र तथा 2.50 करोड़ जनजातीय लोग आ जायेंगे, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग दो तिहाई हैं । इन आंकड़ों से पता चलेगा कि जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र पहले ही अनुसूचित किये हुए हैं, वहां उपयोजना क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र से अधिक है । दूसरे शब्दों में उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के कुछ भाग इस समय ऐसे राज्यों में पंचम अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते ।

आर्थिक कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और संक्रमणकाल के दौरान जनजाति के लोगों की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि जो राज्य अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर हैं, पांचवीं योजना के अन्तर्गत की गई व्यवस्थाओं का लाभ उपयोजना क्षेत्र के उस भाग को भी पहुंचे । नई नीति के अन्तर्गत एकीकृत विकास के तब तक लाभ नहीं होंगे, जब कि ऐसे राज्यों में समूचे उपयोजना अनुसूचित क्षेत्र में न हो । इस विधान को पेश करने का उद्देश्य इसी लक्ष्य की प्राप्ति है । हम चाहते हैं कि सीधे सादे जनजाति के लोगों का विकास तेजी से हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि भारत के संविधान की पंचम अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक का सामान्य रूप से समर्थन करता हूं, परन्तु मैं इसे एक व्यापक विधेयक नहीं समझता, क्योंकि इसे केवल आदिजातीय उपयोजना को ध्यान में रख कर लाया गया है । आदियजातीय उपयोजना के तैयार हो जाने के बाद सरकार कुछ क्षेत्रों में ये सुविधाय देना चाहती है तथा नये क्षेत्रों को पंचम अनुसूची में लाना चाहती है । यह देखना सरकार का सर्वप्रथम कार्य है कि कौनसे आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की पंचम अनुसूची में लाना है । सभी राज्यों में क्षेत्रों का सीमांकन करने के बाद सरकार को आदिवासी लोगों की विशेष परिस्थिति के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को देख कर ही योजना बनानी चाहिये और धन आवंटित करना चाहिए । लेकिन यह कार्य बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से किया गया है । हमारी यही मांग है कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की घनी जनसंख्या है उन्हीं क्षेत्रों को ही संविधान की पंचम अनुसूची में लाया जाना चाहिये ।

कतिपय आदिमजाति क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें आदिमजातीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है । संवैधानिक उपबन्धों का लाभ उठाते हुए कि जिन क्षेत्रों में आदिजातीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है, उनको आदिमजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, राज्यों ने यह किया है है कि चूंकि आदिमजातीय लोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र से ऊंची ऊंची पहाड़ियों द्वारा विभाजित होते हैं, उन्होंने जिलों को भी विभाजित कर दिया है । आदिवासी क्षेत्रों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिये । यदि किसी क्षेत्र में बहुत अधिक आदिवासी जनसंख्या है तो समूचे क्षेत्र को एक ईकाई माना जाना चाहिये और उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये ।

पचम अनुसूची का विस्तार करने वाले विधेयक को पेश कर अब मन्त्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वर्तमान पंचम अनुसूची में कुछ एक क्षेत्रों को और शामिल करने का विचार है ।

इसके अतिरिक्त केवल कुछ और क्षेत्रों को शामिल करके पंचम अनुसूची का विस्तार करने मात्र से आदिवासी क्षेत्रों को लाभ नहीं होगा। आदिवासी लोगों के लिये किसी विशेष क्षेत्र के विकास कार्य में सक्रिय भाग लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। उनकी कोई आवाज ही नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आदिवासी विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लें, तो आपको छठी अनुसूची का भी विस्तार करना चाहिये।

भूमि सुधार अधिनियम मौजूद है तथा यह उपबंध भी मौजूद है कि आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के नाम में आन्तरित नहीं की जायेगी। 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार त्रिपुरा में कुछ भूमि जो अवैध रूप से आदिवासियों से गैर आदिवासियों के नाम में आन्तरित की गई थी, पुनः आदिवासियो को दे दी गई है। परन्तु आदिवासियों को इस भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं मिला है। यदि आप वहां जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि अभी तक वह भूमि गैर आदिवासियों के कब्जे में है। जो कुछ हुआ है वह यह है कि जिला मैजिस्ट्रेट और कुछ पुलिस अधिकारी वहां गये थे और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भूमि का कब्जा आदिवासियों को दे दिया गया है। परन्तु अगले दिन जब आदिवासी वहां खेती करने गये तो उन्ह रोक दिया गया। जब उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की तो उन्हें कहा गया कि वे न्यायालय में जायें। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं। यदि आदिवासी को उस भूमि का कब्जा 6 महीने नहीं दिया गया, तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। जब तक सरकार कड़ी कार्यवाही नहीं करेगी आदिवासी अपनी भूमि पर खेती नहीं कर पायेंगे, क्योंकि ये पिछड़े हुए और कमजोर हैं और गैर आदिवासी व्यक्ति उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर देते हैं। इसलिये समूचे आदिवासी क्षेत्र को ही पंचम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिये।

केवल पंचम अनुसूची में परिवर्तन करने से काम नहीं चलेगा। आप को संविधान में परिवर्तन करना होगा तथा छठी अनुसूची में परिवर्तन करना होगा। आदिमजातीय लोग पिछड़े हुए और कमजोर हैं आप को उनके संरक्षक के रूप में कार्य करना होगा। केवल योजना बनाते से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आपको अपते रवैये में परिवर्तन करना होगा अथवा आदिमजातीय लोग समझेंगे कि उन्हें दूसरी श्रेणी के नागरिक समझा जा रहा है। आपको नौकर शाही पर विश्वास नहीं करना चाहिये, बल्कि आदिमजातीय लोगों को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर जिला परिषदें बनाई जानी चाहियें और उन्हें आदिवासी क्षेत्रो को विकास करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू। वैसे मैं यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि क्षेत्र सम्बन्धी रुकावटें समाप्त कर दिये जाने के बाद कुछ क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय आपका क्षेत्र छठी अनुसूची वाला क्षेत्र है। आसाम के अलावा भी पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रो में हमारी कुछ जनजातियों को मान्यता प्राप्त नहीं है।

सलाहकार परिषद केवल एक सलाहकार निकाय ही है। इसकी वर्ष में एक बार बैठक होती है। यह विषयों पर चर्चा करने के बाद राज्यपाल को सलाह देती है और फिर वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसमें बहुत समय लग जाता है। जनजाति क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता।

इस विधेयक के प्रावधान केवल 50 प्रतिशत जनसंख्या पर लागू होंगे। शेष 50 प्रतिशत लोगों के बारे में क्या प्रावधान है ? मध्य प्रदेश की आधी जनजाति जनसंख्या पर पांचवीं अनुसूची लागू नहीं होगी। इस प्रकार ऐसे आधे लोगो के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार पांचवीं अनुसूची

[श्री बसुमतारी]

बनाने से क्या लाभ है ? हम अन्य क्षेत्रो के विकास के विरुद्ध नहीं हैं । हमारा उद्देश्य तो जनजाति क्षेत्रों के लोगो का विकास है ।

जनजाति लोगों के लाभ के लिये ही पांचवीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था । परन्तु मैनें इन क्षेत्रों में देखा है कि वहाँ पर सड़कों आदि के विकास के बाद और लोग वहाँ जाकर भूमि ले लेते हैं । इस प्रकार जनजातियों के लोगों का शोषण होता है । मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों को कैसे सरक्षण प्रदान किया जाए ।

मैं इस के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु यदि हम से पहले ही सलाह कर ली जाती तो अच्छा होता । इन क्षेत्रों के विकास के कार्य में हम हाथ बटा सकते हैं ।

श्री ओम मेहता : माननीय सदस्य अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सभापति रह चुके हैं । यह कैसे कहा जा सकता है कि उनसे सलाह नहीं की गई है ।

श्री डी० बसुमतारी : इसीलिए मैं कहता हूं कि हम से मांश्वरा किया जाना चाहिए था । परन्तु यदि किसी काम को करने से पूर्व उस पर चर्चा कर ली जाये तो यह लाभप्रद रहता है ।

मैं चहाता हूं कि राज्य में पंचायत राज्य स्थापति कर दिया जाये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shris K. M. Madhukar (Kesaria) : Sir, I support this Bill. yThis Bill seeks to amend the fifth schedule of the constitution . Now the President in consultation with the Governor of the state will be empowered to issue an order to increase the scheduled areas of a state, Even after so many years of independence the lot of the people belonging to scheduled castes and scheduled Tribes remains as it was before, they are leing exploited even now.

I know about the condition in the staty of Bihar. The money lenders are looting the poor people. In spite of the legislation enacted by the state Government things have not improved. The land belonging to the tribals has been taken over by other people without any registration etc.

The problems of scheduled tribes have not been solved. The big business houses like the Tatas are not doing any thing in that area. The problems of the tribes of various states are identical. These people are leading different type of life which is away from the nationa mainseam . They should be inspired to join the national mainstrearm.

The people belonging to Tharu tribe a were settled in Champaran district of Bihar by the Britishers. Their problems have not been solrred even now Government should pay attention to this and help these people.

The scheduled areas should be given reognition on the basis of Parchayats. If a certain panchyat area has got forty percent of tribes it be decfared a schedufed areals. Allthe developmental schemes for such areas should be implemented there.

There should be uniform rules in all the states for giving recognition to scheduled Tribes. Now different states have their own sets of rules in this regard.

I want to refer to the Tharu people of Champaran area again. The money lenders are exploiting these people. Their development is beings neglected sicne long. The scheduled castes and scheduled Tribes Commission of Bihar has recommended that these tribes should be recognised as much tribes. It is unfortunate that the Central Government and the State Government have, not paid attention to this .

The statement of objects and reasons of this bill says that the Central Government propoes to spend Rupees 200 crores for the development spend rupees of scheduled castes and scheduled tribes during the fifth five year plan period . This will not help these people who have not been declared as belonging these tribes.

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए
SHRI P. PARTHASARATHY *in the Chair*]

In the end I want to say that in the intetres of country's national unity and emotional integration the problems of tribes should be solved expeditiously.

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : मैं पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं । परन्तु मैं मंत्री महोदय से कुछ बातें जानता चाहता हूं । सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ रियायतें दी हैं । क्या उन क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक विकास के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है । इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये आयोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन क्षेत्रों के विकास हेतु नियत राशियों को अन्यत्र प्रयोग किया जाता रहा है । अब इन क्षेत्रों को बढ़ाया जा रहा है । यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इस विधेयक के अन्तर्गत जनजातियों के लोगों के दो तिहाई लोगों को लाभ होगा । सरकार ने जो फार्मूला बनाया है उससे पश्चिमी बंगाल राज्य को सन्तोष नहीं होगा । वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ,अधिक है । ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए किस आधार पर राशियां निर्धारित की जायेंगी । सरकार को राशियों के आवंटन के मामले में बड़े ध्यान से कार्य करना होगा । यह देखना होगा कि पांचवीं अनुसूची में शामिल न होने वाले क्षेत्रों के साथ न्याय होता है ।

यह एक अच्छी बात है कि ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं । हमें इस बारे में होने वाली प्रगति पर ध्यान देना चाहिए । मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में इसाई धार्मिक संस्थाएं कन्याण कार्यों में लगी हुई हैं । उनका कार्य बहुत सराहनीय है । भारत सेवक समाज के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओ का काम इतना अच्छा नहीं है ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथराव (छतरपुर) : : यह विधेयक एक अविवादास्पद विधेयक है/इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाएं बढ़ाने का अधिकार मिल जायेगा । जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव केन्द्र को भेज दिये हैं । यदि उन प्रस्तावों को हमें भेजा जाता तो अच्छा होता । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विकास हेतु और क्षेत्र भी घोषित किये जायें ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनका विकसा राज्य की जिम्मेदारी होती थी । उन क्षेत्रों को "एजेंसी एरिया" कहते थे । अब उन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाने लगा है इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सरकार की विशेष जिम्मेदारी है । जनजाति क्षेत्रों के विकास में बहुत सुधार की आवश्यकता है । इस समय हम पाचवीं योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं । हमें मालूम नहीं है कि 200 करोड़ रुपए में प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है । उदाहरण के लिए मैं उड़ीसा के बारे में जानना चहाता हूं । वहां की सरका ने क्या योजना भेजी है ? मैं उस पर ठोस सुझाव दे सकता हूं ।

मैं जानना चाहता हुं कि राज्य सरकार के कौन कौन से क्षेत्रों को विकास के लिए चुना है । कुछ दिन पहले मंत्री महोदय कह रहे थे कि उड़ीसा की कुल 32 परियोजनायों में से केवल 8 के लिए स्वीकृति दी गई है । इस जानकारी से हमारी सन्तुष्टी नहीं होती । मैं सभी परियोजनाओं की पूर्ति चाहता हुं ।

मेरा क्षेत्र अर्थात् कोरापुट एक जनजाति क्षेत्र हैं वहां 80 प्रतिशत लोग जनजाति के हैं। 1938 में वहां ऐसे क्षेत्रों के लिए जांच समिति नियुक्त की गई थी। सरकार ने उसकी रिपोर्ट को लागू किया था । परन्तु इस बारे में कानूनों का कार्यान्वयन बहुत त्रूटिसूर्ण रहा है ।

अब प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम से समस्या के समाधान की दिशा में कार्यवाही हो रही है । गृह मंत्री को इस कार्य को अपने हाथ लेना चाहिए । भारत सरकार को इन क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

जनजाति सलाहकार परिषद् सभी विकास योजनाओं की छानबीन कर सकेगी । परिषद् की सलाह राज्यपाल के लिए मान्य होगी ।

मेरे मानीय मित्र श्री बसुमतारी क्षेत्र प्रतिबन्ध की बात कर रहे थे । इसके बारे में मैं उन्हें भ्रांतिजहैं जिसे मैं स्पष्ट करना चहता हुं । संशोधन से पुर्व स्थिति यह थी कि एक विशिष्ट क्षेत्र में जिस जाति को आदिवावी समझा जाता था , उसे अन्य क्षेत्र में आदिवासी नहीं समझा जाता था । लेकिन संशोधन में यह व्यवस्था है कि अब प्रत्येक क्षेत्र में उसे आदिसासी ही समझा जाएगा ।

सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि जिन क्षेत्रों में आदिसासियों की संख्या 50 प्रतिशत से कम है, वे क्षेत्र विकसित है ? आदिवासियों के विकास के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए । अनुच्छेद संख्या 339 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को आददिवासियों के लिए कल्याण कार्य करने का अधिकार है । इसलिए गृह मंत्रालय से, जिसने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण का भार अपने ऊपर लिया है, मेरा अनुरोध हैं कि वह इस ओर पूरा ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यूवाही करें कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित अवधि के अनुरुप तैयार हो। गृह मंत्रालय को कठिनाइयों तथा रुकावटों का भी पता लगाना चाहिए। ताकि आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो सके ।

Shri R.S. Panday (Rajhandgaon): I rise to support the fifth schedule to the Constituion Bill. This is a simple Bill and its objects are clear.

All those areas where the tirbal population is more than 50 percent have been covered under this Bill. In Madhya Pradesh, the population of tribals is about 33 percent of the total population of the state. Many areas of that state have been left out from this Bill. I would therefore, slike to know what would happen to those areas where the tribal population is less than 50 percent of the total population. I suggest that equal attention should be given for tribal development in in those areas also.

Rupees two hundred crores have been set apart for tribal development during the fifth five year plan period. In view of the magnitute of the problems this is a meagre amount This amount should be increased to Rs. 500 crores and arrangements must be made to spent Rs. 100 crores, on the welfare measures in each year of the five year plan.

The Prime Minister has suggested that a special call for tribal development should be created in each state. I would like to know how many states have implemented this suggestion.

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नंदयाल) : मैं संविधान की पंचम अनुसूची के संशोधन का स्वागत करता हूं।

योजना आयोग ने पांचवी योजना में अनुसूचित जाति के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। यह राशि आदिवासी क्षेत्रों का विकास के लिएविभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विनियोजित राशि से अतिरिक्त है। इस संशोधन में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए व्यवस्था की गई है।

देश के 2 करोड़ आदिवासियों को लाभन्वित करने का प्रस्ताव है। उप-योजना का विचार हाल में नहीं बनाया गया है यह विचार बहुत पहले का है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों के महत्व का पता लगाने तथा उनके सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए कुछ समय लग गया। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी तत्व तोड़फोड़ की कार्यवाही करने तथा हिंसात्मक गतिविधियां चलाने के लिए आदिवासी लोगों को अपना शिकार बनाते थे। राज्य सरकार ने इस खतरे को महसूस किया और उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर सहायता देनी शुरू कर दी। वहां एक आदिवासी विकास निगम स्थापित किया है ताकि आदिवासी लोगों का अन्य लोगों द्वारा किए गए शोषण को समाप्त किया जा सके। यह निगम भली भांति कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश ने राज्य में आदिवासियों के लिए भूमि विकास बैंक खोल दिया है। यह बैंक इन लोगों को भूमि के विकास के लिए ऋण देता है। आशा है अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार की संस्थाए खोलेंगी ताकि आदिवासियो का कल्याण हो सके।

आदिवासियों को राष्ट्रय जीवन का अंग बनाया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, 20 सूत्री कार्यक्रम के महत्व का पता नहीं लग सकता। प्रसन्नता की बात है कि आंध्र प्रदेश में बंधक मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए जोरदार कार्यवाही की जा रही है। शिक्षा के प्रसार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

आदिवासियों की जमीनें अन्य लोगों द्वारा हथिया ली गई थी और वे इस आदिवासियों के नाम से जोत रहे थे। अब यह अधिनियम बना दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति आदिवासियों की जमीन को नहीं जोत सकता। योजना आयोग द्वारा 200 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई राशि से भी आदिवासियों को काफी लाभ होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं इसके लिए भारत सरकार को बधाई देता है।

आदिवासी विकास गतिविधियो से सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा जो फिर उनके विकास के लिए लगाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

Shri M.C. Daga (Pali): I rise to support this Bill. There are 12 big tribal villages in this district of Pali in Rajasthan. Similarly there is a substantial population of tribal n district Siroh in the same state but those areas have not been included in the Bill, presumably bacause the population of tribals in those pockets is less than 50 percent of the total population of those districts. I would therefore like to know in what way Government propose to help those tribals who have been left out from the purview of the Bill.

Recent report of the Estimates Committee has mentioned that tribals development plans could not be implemented properly and vigorously because those who are entrusted with the work of

implementation lacked zeal and missionary spirit. This should be looked into. Only those persons who are endowed with missionary zeal and a spirit of service should be entrusted with this work of tribal development.

Present condition of tribals is far from satisfactory. They are still groaning under heavy indebtedness. Their lands are being taken by non tribals and the evil practice of bounded labour is still prevalent here. In fact, they are still livting under sub-human conditions. In order to protect those persons from being exploited and to enable them to march forward, special laws should be enacted for their welfare under this schedule.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । कुछ आदिवासी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है और कुछ में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । जहां प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है वहां अच्छे परिणाम निकले हैं लेकिन जहां का प्रशासनिक ढांचा ठीक नहीं है वहां हमने कुछ भी प्रगति नहीं की है । मंत्री महोदय उन राज्यो के नाम बताए जिन्होंने अपनी राज्य योजनाओं में आदिवासी क्षेत्रों के लिए अंतिम आवंटन किये हैं साथ ही उन मंत्रालयो के नाम भी बतायें जिन्होंने उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया है । उपयोजना क्षेत्रो में वित्तीय संस्थाओं का संकलन किया जाना चाहिए । उपयोजना के अंतगत प्रस्तावित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर विभिन्न विकासीय विभागों का समेकन आवश्यक है । यदि राज्य सरकारें निर्णय संबंधी तिथियों और सिद्धान्तों से सहमत नही होती और अगर वह धन नहीं देती तो केन्द्र विशेष सहायता धन को और राज्य धन को मिलाकर प्रत्यक्ष ही परियोजना अधिकारियों को भेज सकता है ।

इन क्षेत्रों में सामान्यत: जन तक काम चलता है । अत: आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो धन दिया जाता है वह जून के अन्त तक होना चाहिए ।

सरकारी काम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की प्रणाली है । आदिवासी क्षेत्रो के लिए केन्द्र को एकीकृत प्रशासनिक ढांचा बनाना चाहिये । योजना आयोग का एक अध्ययन दल है जोकि आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करता है । उन्होंने इस कार्य के लिए एक विशेष ढांचा अपनाया हुआ है । क्या विभिन्न राज्यो से इस प्रकार के प्रशासनिक ढांचे को अपनाने के लिए कहा गया है ?

मेरा अनुरोध है कि आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को बढ़ाने के प्रश्न पर मख्य मंत्रियो/ राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए । यदि आदिवासी क्षेत्रो के लिए उचित प्रशासनिक ढांचा बनाया जाता है तो निश्चय ही वहां प्रगति होगी ।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): I welcome this Bill because the constituency which I represent here consists mostly of schedule tribes and Adivasis. My friend Shri Kartik Oraon is holding the chairmanship of Development Boards and he is fully aware of this fact that these boards in tribal areas do not posses much power. Chhota Nagpur Development Board is not only a Board which is not having adequate powers to exercise an effective control over the affairs . So my first submission is that steps should be taken to give sufficient powers to these development Boards.

Seconder under paragraph 6 (2) of the fifth schedule to the Constitution the President is empowered to change the existing boundaries of the Scheduled areas by way of ratification. Now with this amendment we are empowering the President to increase the area of the scheduled Areas in any state.

I want to know what will be the criteria for the increase of area ?

My other submission is that a boundary commission should be set up for proper demarcation of the boundaries of scheduled Areas. While drawing or demarcating the boundaries? the concerned M.Ps. M.L.A.S. and local people should. be consulted. The Government should pay special attention to the provisions in the 5th Schedule for the proper administration of Scheduled area.

Lastly I may mention that in Ranchi Adivasi lawyers exploit poor adivasis. Steps should also be taken to check such things. With these words I support this Bill.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : यह विधेयक स्वागत योग्य है क्योंकि यह व्यवस्थाओं को युक्तिसंगत बनाता है और अब उपयोजना क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के समनरूप बन गया है। अब कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हो गया है अतः कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां नहीं आनी चाहिए।

योजना आयोग में खंडवार दृष्टिकोण से उद्देश्य हल नहीं होगा। ग्राम पंचायतों को आधार बनाया जाना चाहिए ताकि आंचल को। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो सरकार को कम से कम उन आंचलों के लिए जिनकी 20 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासियों की है उसके लिए प्रति व्यक्ति आवंटन करना चाहिए ताकि आदिवासी क्षेत्रों अथवा आदिवासी ग्रामों पर धन व्यय करके प्रगति की जा सके।

हमें भारत सरकार की नीतियों को, जिनके विषय में नए आर्थिक कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से बताया गया है, कार्यरूप देने के लिए एक प्रभावी, सजग और संगठनात्मक ढांचे का विकास करना होगा। गृह मंत्रालय ने इस उपयोजना को वृहद पंचवर्षीय योजना का एक अंग माना है इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। पहली योजना से ही इसे उसमें स्थान दिया जाना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता तो स्थिति में यह हेर फेर नहीं होता।

200 करोड़ रुपये की राशि से हम इस अंतराल को जो कि पिछले 25 वर्षों में हो गया है, पूरा नहीं कर सकते। आवंटन में प्रभावी संकलन होना चाहिए। आंचलवार आवंटन को ग्राम पंचायतवार आवंटन बना दिया जाए अथवा जिन आंचलों को जनसंख्या में आदिवासी 50 प्रतिशत से कम है उनमें प्रति व्यक्ति के आधार पर आवंटन किया जाए ताकि उन आंचलों के आदिवासी ग्राम इस मुख्य धारा में मिल सकें।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : हिमालय के आदिवासी क्षेत्र की ठारु जनजाति के काफी लोग उत्तर प्रदेश के मैदानों में जाकर बस गए हैं लेकिन उन लोगों की आर्थिक दशा शोचनीय है। जिन क्षेत्रों में यह लोग रहते हैं उन्हें भी पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाना चाहिए।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I welcome the present Bill. In this regard I may submit that a number of people belonging to Tharu Tribe, which belongs to Himalayan Tribal Area, have gone to plains in U.P. and have settled down there. The fact of the situation is that economic condition of these people is not at all satisfactory. The condition is very bad and the areas in which these people live should be included in the Fifth Schedule.

Shri M.G. Uikey (Mandal) : I am thankful to the Minister for bringing forward this legislation but at the same time I want to make a few submission in this regard. In my constituency I have got 17 revenue circles out of which 2 revenue circles are scheduled areas. In those circles there are 65 forest villages. But since September last the daily wages of the workers employed to by the forest Department have not been paid. Contributions to the tone of 800 rupees were collected from the people in the name of Indiraji. This matter should be looked into by C.B.I. Similarly the people in the forest villages are also subject to exploitations by forest officials and money lenders. Steps should be taken for putting an end to this exploitation.

I am thankful to the Prime Minister for her 20 point programme because whatever had not happened in the last 25 years has happened in this year. A good number of works have been done for the tribal welfare.

Lastly I may submit that the condition of tribal areas could improve only if the Central Government paid special attention to those areas. So my submission is that special watch should be kept over the administration of these areas. Only thus the development of these areas could be possible.

श्री बी० वी० नायक : (कनारा) : अनुच्छेद 342 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के बारे में अधिसूचना जारी करनी होगी । अनुसूचित क्षेत्र भाग के राज्य आदेश 1950 का आदेश है जबकि महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात के राज्य बम्बई राज्य के नाम से जानी जाती थी । अनुसूचित जातियां बहुत दूर दूर बसती थीं ।

इस देश में जनजातियों के बारे में कभी सम्पूर्ण प्रामाणिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया । विधिवत तथा सरकार को एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय की स्थापना करनी चाहिए । जिसका नाम भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण रखना चाहिए तभी मेरे जिले में रह रहे लगभग एक लाख आदिवासी लोगों का पता लगाना संभव हो सकेगा ।

जब तक भारत सरकार इन बातों का पूर्ण सर्वेक्षण नहीं करती तब तक इन सुधारों और संशोधनों से केवल उन्हीं जनजातियों को लाभ होगा जो कि पहले से इनका लाभ उठा रही है और इससे उन अनुसूचित जाति क्षेत्रों को कुछ नहीं लाभ होगा जिन्हें कि इसकी सख्त जरूरत है । सरकार को इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : इस विधेयक का समर्थन करने वाले सदस्यों का मैं आभारी हूं । नीति में यदि कुछ त्रुटियां न होती तो फिर भला हमें उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती ?

इस सदन को तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात है कि देश के अत्यधिक अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों का सदियों से शोषण होता आ रहा है । उनके कष्टों को देख कर हमारी प्रधान मंत्री ने आदिवासियों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है और पहली बार पांचवीं योजना में समेकित आदिवासी विकास खण्ड बनाए गए हैं । इन खण्डों के बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को शोषण से बचाना तथा उनके जीवन स्तर और शिक्षा स्तर को उठाना है ।

ज्यों ही आदिवासी कल्याण का विषय गृह मंत्रालय में आया हमने तुरन्त ही मुख्य मन्त्रियों और आदिवासी कल्याण से सम्बन्धित राज्यों के मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कई कड़े निर्णय लिए गये । पहला निर्णय आबकारी नीति में परिवर्तन करने का था । यह निर्णय किया गया कि ठेकेदारों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शराब बेचना बन्द किया जाए । कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में नई आबकारी नीति को लागू कर दिया गया है तथा ठेकेदारों द्वारा शराब का बेचना बन्द कर दिया गया है ।

दूसरा प्रश्न है भूमि सम्बन्धी विधानों की समीक्षा यथा साहूकारों और अन्य शोषणकर्ताओं द्वारा येन-केन प्रकारेण आदिवासियों की हथियाई गई भूमि को उन्हें वापिस दिलाना 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली बार इस सम्बन्ध में कार्रवाही की जा रही है और अधिकतर राज्यों ने इस सम्बन्ध में कानून पास किए हैं, जिसके द्वारा आदिवासियों को उनकी हथियाई गई भूमि वापिस दिला दी गई है ।

वन क्षेत्रों में ठेकेदार आदिवासियों से वन उत्पाद बहुत कम मूल्य पर खरीद कर उनका शोषण करते हैं । वे उन उत्पादों को सरकार और अन्य एजेन्सियों को ऊंचे ऊंचे दामों में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि इसे बन्द किया जाए और इन छोटे वन उत्पादों को सहकारी समितियां खरीदें अथवा राज्य सरकारें स्वयं उन्हें खरीदें जिससे पूरा लाभ बिचौलियों को न मिल कर सीधे आदिवासियों को मिले ।

विपणन के क्षेत्र में भी हम कुछ कदम उठा रहे हैं जिससे साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण समाप्त हो। शोषण समाप्त करने के लिए कानून पास किए गये हैं। एक वैकल्पिक ऋण व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।

पहले आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त दण्ड समझा जाता था। किसी अधिकारी के शहरी क्षेत्र में अयोग्य पाए जाने पर उसे आदिवासी क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाता था। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि इसे सर्वथा बन्द किया जाए तथा योग्य और ईमानदार अधिकारियों को ही वहां नियुक्त किया जाए।

एक अन्य बात यह उठाई गई है कि पांचवीं योजना में इस कार्य के लिए रखे गये 200 करोड़ रुपये की राशि अधिक नहीं है। जहां तक इस कार्य का सम्बन्ध है धन की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200 करोड़ रुपया ही इसके लिए रखा गया है। नई नीति के अन्तर्गत पांचवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों पर हमारी 1400 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना है। 146 समेकित आदिवासी विकास खण्ड बनाए गये हैं। इसके लिए धन का नियतन चार भागों में बांट कर किया गया है—राज्य की योजना का भाग, केन्द्र संचालित योजनाओं से लाभ विशेष केन्द्रीय सहायता और संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता।

1400 करोड़ रुपये में से 952 करोड़ रुपया राज्य योजना से मिलेगा, 200 करोड़ रुपया विशेष केन्द्रीय सहायता से तथा शेष अन्य स्रोतों से प्राप्त होगा। 149 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं में से राज्यों से केवल 41 का ब्यौरा मिला है। हम राज्यों को लिख रहे हैं कि पांचवीं योजना के समाप्त होने में केवल दो वर्ष रह गए हैं और यदि वे कार्य में तेजी नहीं लाएंगे तो वे धन राशि को व्यय नहीं कर सकेंगे। हमने इन परियोजनाओं के लिए जो रुपया दिया है उसे किसी अन्य काम में नहीं लगाया जा सकता पहले यह धन अन्य कामों में लगा दिया जाता था परन्तु अब ऐसा नहीं होगा।

यह कहा गया है कि त्रिपुरा में राष्ट्रपति के आदेश से आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित किया जा सकता है। यह विधेयक उन राज्यों के बारे में है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र पहले ही से थे परन्तु अब उनका विस्तार करना है। यह विस्तार राष्ट्रपति के आदेश से नहीं किया जा सकता। पहले राष्ट्रपति केवल सीमाओं में फेर बदल कर सकते थे। यदि वे नए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहें तो नहीं कर सकते थे। अब इस विधेयक के अन्तर्गत वे कुछ नए अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कर सकते हैं।

बिहार के उन क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित करने का प्रश्न उठाया गया जिन में थारू जाति के लोग रहते हैं। थारू जाति को बिहार में अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें शामिल करने के बारे में उचित समय पर विचार किया जा सकता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र तभी घोषित किया जा सकता है जबकि वह रहने वाली जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया जाए।

यह कहा गया है कि पांचवां अनुसूची के क्षेत्रों में विकास कार्यों में आदिवासियों का सहयोग नहीं लिया गया। विकास कार्यक्रमों में जन सहयोग लेना सरकार की नीति है। परन्तु यह सहयोग अलग-अलग क्षेत्रों में लग-अलग प्रकार का हो सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में विकास का यह कार्य शक्तिशाली स्थानीय संस्थाओं को सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों की जनसंख्या

बिखरी हुई है । इस कारण उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सका । अब नई नीति के द्वारा 25 लाख में से 10 लाख आदिवासियों को उप-योजना के विशेष कार्यक्रम का लाभ मिल सकेगा । वहां भी समेकित आदिवासी विकास योजना चालू कर दी गई है ।

उप-योजना की सबसे छोटी इकाई खण्ड है । पाली और सिरोही का आदिवासी क्षेत्र इस शर्त को पूरा नहीं करता । इसलिए इसे अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जा सकता ।

Shri M.G. Uikey (Mandla): What has been done to stop the exploition of tribal people.

श्री ओम मेहता : मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि यह स्माप्त होना चाहिए । इसके लिए वहां नियुक्त किए जाने वाले अधिकरी उसी, क्षेत्र के होने चाहिए जो आदिवासियों की समस्याओं को समझते हों ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान की पंचम अनुसूची का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब खण्डवार विचार आरम्भ होता है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री ओम मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए । "

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक

KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) SECOND AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य के विद्यमान विधान सभा की कालावधि का और बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह सर्वविदित है कि केरल विधान सभा की कालावधि का संसद् द्वारा केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम 1975 (1975 का 33 वां) के माध्यम से पहली बार 6 महीने के लिए उस समय विस्तार किया गया था जबकि 3 दिसम्बर, 1971 और 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अन्तर्गत आपात स्थिति की उद्घोषणा की गई थी तथा विधान सभा की सामान्य पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली थी। उस समय इस बात पर भी विचार किया गया था कि केरल विधान सभा के आम चुनाव लोक सभा के आम चुनावों जो मार्च, 1976 में होने वाले थे के साथ कराए जा सकते हैं, ताकि चुनावों पर होने वाला खर्च कम किया जा सके।

जब केरल विधान सभा की बढ़ी हुई कालावधि समाप्त होनी थी उस समय यह स्पष्ट हो गया था कि आपात स्थिति की उद्घोषणा विधान सभा की बढ़ी हुई कालावधि की अन्तिम तिथि अर्थात् 21 अप्रैल, 1976 से आगे तक जारी रहेगी। इसी दौरान लोकसभा की कालावधि भी लोकसभा (कालावधि विस्तार) अधिनियम, 1976 के द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। इन परिस्थितियों में केरल विधान सभा की कालावधि को 6 महीने के लिए और बढ़ाना आवश्यक समझा गया है। इस विधान सभा की अवधि केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 6वां) के द्वारा और 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई।

जिन परिस्थितियों में केरल विधान सभा की कालावधि दूसरी बार 6 महीने के लिए (22 अप्रैल, 1976 से 21 अक्तूबर, 1976 तक) बढ़ाई गई थी, वे अभी भी विद्यमान हैं। आपात स्थिति की दोनों उद्घोषणाएं भी जारी हैं। अतः अब चुनाव करना उचित नहीं समझा गया है। इसलिए वर्तमान केरल विधान सभा की कालावधि 22 अक्तूबर, 1976 से आगे 6 महीने तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान विधेयक में इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने का उपबन्ध किया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केरल राज्य की विद्यमान विधान सभा की कालावधि को और बढ़ाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : केरल विधान सभा की अवधि अब तीसरी बार बढ़ाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी वही तर्क दिया जा रहा है कि आपात स्थिति लगी हुई है इसलिए चुनाव करना उचित नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो यह स्पष्ट किया जाए कि आपात स्थिति में चुनाव होने ही नहीं चाहिए।

इस विधेयक के लाए जाने से पहले यह आम चर्चा थी कि चुनाव अक्तूबर-नवम्बर में होंगे। इसमें सत्ताधारी दल की परीक्षा होनी थी, परन्तु स्थिति के खराब होने के डर से बाद में यह विधेयक लाया गया है। अतः इस सिद्धान्त के पीछ कोई तर्क नहीं कि आपात स्थिति के कारण चुनाव नहीं हो सकते।

चुनाव कराने या न कराने के सम्बन्ध में सत्ताधारी दल द्वारा निभाई गई भूमिका अब सर्वविदित है। तमिलनाडु में वह चुनाव कराने के लिए 3 महीने तक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इन्होंने तमिलनाडु,

विधान सभा को भंग कर दिया क्योंकि उनके अनुसार यहां स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। लेकिन केरल विधान सभा की कालावधि 6 महीने बढ़ाई जा रही है और वहां चुनाव नहीं कराये जायेंगे कारण यही है कि सत्ताधारी दल चुनावों में मतदाताओं के सामने नहीं जा सकता है। क्योंकि विपक्ष ने वहां पहल की और चुनाव अभिसमय का आयोजन किया तथा निम्नतम स्तर पर अभियान दलों का गठन किया, इसलिए सत्ताधारी दल ने यह समझा कि चुनाव कराना उनके हित में नहीं होगा और चुनाव कराने का अभी उचित समय नहीं आया है। हम चुनावों की मांग कर रहे हैं क्योंकि केरल में उन लोगों को, जो मिली जुली सत्ता के साथ नहीं है, जीवन नारकीय हो गया है।

प्रधान मन्त्री ने कोलम्बो में बताया है कि पूर्व-सेन्सर नहीं है। लेकिन केरल में हमारे दल के समाचार पत्र "देशाभिमान" पर पूर्व-सेन्सर लगा हुआ है। अब यह पूर्व-सेन्सर हमारे साप्ताहिक "चिन्ता" पर भी लगा दिया गया है। हम अपने विचारों को स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हमारी बैठकों पर सुसंगठित रूप से प्रहार किए जाते हैं। इन परिस्थितियों में हमारी यह मांग स्वाभाविक ही है कि वहां शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जायें।

डा० हेनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : गत 6 वर्षों से केरल के इतिहास में आशातीत राजनीतिक स्थिरता है। लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास के समय से केरल की राजनीति अस्थिर रही है। इससे आर्थिक और सामाजिक स्तर के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन पिछले अनुभव से लोग यह महसूस करने लगे हैं कि सभी प्रकार के विकास के लिए स्थिरता ही मूल-तत्व है। यहां तक कि यदि हमारी राज्य विधान सभा की कालावधि और एक वर्ष बढ़ा दी जाये तो हमारे राज्य में पहली बार स्थिरता आयेगी और लोग इससे प्रसन्न होंगे।

मार्क्सवादी दल ने ही हमारे राजनीतिक जीवन में छोटे-छोटे राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन देने की प्रथा जागृत की है। कांग्रेस-विरोधी बनने के लिए उन्होंने छोटे-छोटे दलों को प्रोत्साहित किया है उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को पराजित करना है। चुनावों को जीतने के उद्देश्य से उन्होंने साम्प्रदायिक तथा अन्य ताकतों को बढ़ावा दिया। चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगे और इसीलिए वे दो वर्ष तक भी शासन नहीं चला सके। केरल का सत्ताधारी संयुक्त मोर्चा वहां स्थिरता बनाये रखने के लिए कटिबद्ध है।

वहां की वर्तमान सरकार ने जनता को दो या तीन योजनाएं दी हैं। जिससे न केवल हमारे राज्य के लोगों की अपितु राष्ट्र भर की कल्पना शक्ति उस ओर आकर्षित हुई है। उदाहरणार्थ हमारे राज्य में प्रत्येक पंचायत में एक लोक स्वास्थ्य केन्द्र है। यहां तक कि दूर देहातों में भी कुछ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। प्रत्येक पंचायत में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए लगभग 100 मकान बनाए गये हैं। इस कार्यक्रम को जनता के स्वैच्छिक सहयोग द्वारा क्रियान्वित किया गया है। भूमि सुधारों के मामले में केरल ने बहुत प्रगति की है। आज प्रत्येक काश्तकार के पास 10 सेंट भूमि है। यह कम उपलब्धि नहीं है।

समुद्री भोजन के निर्यात के मामले में केरल आज विश्व में सबसे आगे है। केरल के अपने बगान उत्पादों की भी अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी है।

हमारे समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों से बड़ा लाभ पहुंचा है। इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में कालावधि विस्तार हेतु लाया गया यह विधेयक स्वागत योग्य है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : गत छह महीनों के दौरान सदन से कालावधि विस्तार हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद, सरकार के लिए केरल में चुनावों की व्यवस्था करनी सम्भव थी, क्योंकि राज्य में इसके लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस दल के अध्यक्ष तथा कांग्रेस दल के नेताओं ने केरल में अनेक अवसरों पर कहा कि वह निर्वाचक मण्डल का सामना करने के लिए तैयार हैं। केरल के मुख्य मंत्री ने भी सम्मिलित सरकार की ओर से कहा कि वह केरल में निर्वाचक मण्डल का सामना करने के लिए तैयार है । यदि यह स्थिति है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह चौथी बार सदन से विधान मण्डल की कालावधि विस्तार हेतु अनुमति न मांगे।

सरकार का कहना है कि देश में स्थिति पहले ही के समान है और इसी कारण हम केरल विधान सभा का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। परन्तु एक के बाद एक मंत्री ने यहां यही कहा है कि हम आपात स्थिति को ढीला करने जा रहे हैं। कोलम्बो में विदेशी पत्रों के संवाददाताओं के सामने श्रीमती गांधी ने भी यही कहा है। यदि ऐसा है तो केरल में चुनाव करना सरकार के लिए बहुत उचित होगा।

मार्क्सवादी अब केरल में अकेले पड़ गए हैं। जनता के सामने उनकी कलई खुल गई है तथा अब वे पहले के समान चुनाव जीतने के स्वप्न न लें । उनकी बुरी हार होगी ।

मन्त्री महोदय जबकि केरल विधान मण्डल की कालावधि के विस्तारण हेतु अनुमति मांग रहे हैं सरकार को हमें बताना चाहिए कि वहां चुनाव कब होंगे। हम यह बात जानने के हकदार हैं कि संसद के तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव के बारे में उसका क्या रवैया है। अब जबकि 20-सूत्री कार्यक्रम के लागू होने और आपात स्थिति के कारण राजनीतिक स्थिरता आ गई है क्या यह कहा जा सकता है कि संसद की अवधि और बढ़ाई जाएगी और चुनाव नहीं होंगे ?

यह तर्क देना सर्वथा गलत है कि समाजवाद में और सरकार के अच्छा कार्य करने की दशा में चुनावों की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक हम संसदीय लोक तंत्र में रह रहे हैं, जनता का सामना करने से नहीं बच सकते ।

केरल विधान-मण्डल की कालावधि विस्तार के साथ साथ केरल सरकार की कुछ मांगों को भी पूरा किया जाना चाहिए। केरल श्रम कल्याण निधि विधेयक पिछले एक वर्ष से राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु, पड़ा हुआ है। उसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। पिछले पांच वर्षों से विदेशी बागानों के राष्ट्रीयकरण के मामले में एक प्रारूप अध्यादेश लिनम्बित पड़ा है। मैडिकल प्रैक्टीशनर विधेयक को भी बिना स्वीकृति दिए वापिस कर दिया गया है। इससे उन लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिन्होंने इन्टेग्रेटिड मडिकल कोर्सों में डिग्री प्राप्त की है। लेकिन केन्द्र सरकार ने इसे वापिस भेज दिया है। केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक कल पेश किया जाएगा। यदि इस विधेयक को केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना उसके वर्तमान रूप में ही पास कर दिया जाएगा तो केरल में 127 करोड़ रुपए के कुल राजस्व में से 23 करोड़ रुपया कम हो जाएगा। इसकी जांच की जानी चाहिए ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 31 अगस्त, 1976/9 भाद्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, 31st August 1976/ Bhadra 9, 1898 (Saka).

म०प्र०भा०स०मु०मि०रो०न०दि०—अल०एस० III—1752 एल०एस० 12-10-76—200
GMGIPND—L.S. III—1752 LS. 12-10-76—200